राजस्थान विधान सभा

३० वीं बैठक, शनिवार, दिनांक १४ अप्रेल, सन् १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष—There is no question hour to-day.

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं। निम्नलिखित सदस्यों ने, विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

श्री मोतीचन्द खजान्ची (वि० सं० १०५) दिनांक १ अप्रेल से २० अप्रेल तक।

श्री अमरसिंह (वि० सं० २) २६ मार्च से १५ अप्रेल तक।

श्री लालसिंह शक्तावत (वि० सं० ८३) १३, १४ अप्रेल, १९५६।

डा० श्री मंगलसिंह (वि० सं० ६४) १५ अप्रेल से सत्र के अन्तिम दिवस तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६
(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

Page No 2

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने मेरे इस प्रस्ताव पर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वितीय संशोधन विधेयक को दुबारा उसी प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, इस पर उत्तर देते हुए जो कुछ कहा उसके लिये अगर मैं यह कहूं कि उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया लेकिन प्रस्ताव की भावना को माननीय मन्त्री ने महसूस किया और उसका समर्थन किया ऐसा कहूं तो कोई अनुचित नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष, इस सदन में कल जिस प्रकार की बहस हुई उसके लिये आज कोई इन्कार नहीं कर सकता। सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा किस प्रकार की है, कल की बहस ने यह अच्छी तरह साबित कर दिया है कि राजस्थान की जनता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक के मूल अधिनियम में जो संशोधन किया जा रहा है, उसके पक्ष में नहीं है।

जहां तक पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की अवधि बढ़ाये जाने के प्रश्न पर विचार व्यक्त किया गया है और सदन के माननीय सदस्यों ने समय समय पर इस बात का उल्लेख किया है कि वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किसी भी प्रकार जनता की सेवा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, उसका मूल कारण माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुने हुए नहीं हैं। इस पर भी माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने यह कहा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नोटिस दे दिया गया है, उसे इस बात का नोटिस दे दिया गया है कि इसको भंग क्यों न किया जाय? नोटिस पिछले कुछ दिनों पहले दिया गया, नोटिस देने के बाद क्या कार्यवाही हुई, उनके सम्मुख शिकायतें कितने दिन पहले पहुँच चुकी थीं और कितने दिन बाद नोटिस दिया गया भंग करने का और क्या क्या चीजें अब भी विचारणीय हैं। लेकिन इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम संतोषजनक नहीं था। माननीय अध्यक्ष, यह जयपुर का ही प्रश्न नहीं सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, टोंक, गंगानगर ये जो और पांच डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए हैं, उनके बारे में मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय को उसकी विस्तृत जानकारी होगी। उनके लिये नोटिस की सूरत पैदा हुई या नहीं, नोटिस उनको देंगे या नहीं, उनके कार्य से सन्तोष है या नहीं, यह अब भी विचाराधीन है। लेकिन मैं इतनी उम्मीद अवश्य कर सकता हूँ, इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के विषय में भी सरकार के सम्मुख समय समय पर ये शिकायतें आई हैं। उन शिकायतों की जांच हुई या नहीं यह मैं नहीं कह सकता, इनकी ऑडिट रिपोर्ट भी आई चाहे वे मामूली ही क्यों न हो। सरकार के सामने आई इससे सरकार की यह राय जरूर बनी होगी कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, वैसी सूरत में हम केवल इस कारण कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जनता की सेवा कर रहे हैं उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को हमने अगर खत्म कर दिया तो जो जो काम इनके द्वारा शुरू किये हुए हैं वे रुक जायेंगे, इस बात की दलील इस बात के सामने कि इनका काम ठीक नहीं है बिल्कुल टिक नहीं सकती। यह दलील, कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस द्वारा जो टैक्स लगा रखा है और जो जो कार्य शुरू करवा रक्खे हैं, या इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ने जिन जिन कार्यों को हाथ में ले रखा है अगर इनको खत्म कर दिये जाते हैं तो वे काम रुक जायेंगे। हमने यह पहले ही अनुभव कर रखा है कि चाहे म्युनिसिपेलिटी, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चाहे पंचायतें हों जब हम उनके

[श्री भैंरूंसिंह]

कामों में किसी प्रकार की असन्तोष की चीज हमारे सम्मुख आती है तो हम उनको सुपरसीड कर देते हैं। जयपुर म्युनिसिपेलिटी को सुपरसीड किया इस प्रकार की राजस्थान में कई म्युनिसिपेलिटियां हैं जिनको सुपरसीड किया, उसी प्रकार आज जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहले शास्त्री मंत्री मण्डल में बने हुए थे। उनको व्यासजी के मंत्री मण्डल ने भंग किया और उनकी जगह दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाये गये, उसके बीच कुछ इन्टरिम पीरियड भी रहा। जिस पीरियड में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं रहे तो ऐसी हालत में यह कहना कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं रहेगें तो काम रुक जायगा, अगर ऐसा हम मानते हैं तो मैं यह कहूंगा कि हम गैर समझदारी का काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहें या न रहें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन जहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्य से सन्तोष नहीं उस जगह मनोनीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समाप्त कर देने चाहिये। यह हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज अगर सरकार किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में कोई सुपरसीड करने का आर्डर इश्यू करते हैं तो मूल अधिनियम में संशोधन लाना पड़ेगा। सरकार को जो अधिकार दिया गया है सरकार यदि प्रयोग करती है तो बहुत मुमकिन है सरकार के सामने कई बाधायें उपस्थित हो जायेंगी लेकिन जब यह विधान सभा एक मत होकर उन पांचों डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को समाप्त करने का फैसला करती है तो इस कानून के अन्तर्गत जो स्पेशल पॉवर है उनका बिना उपयोग किये ही इन सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जीवन लीला को समाप्त कर सकते हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि सरकार इस सुअवसर का फायदा क्यों नहीं उठाती? सरकार को चाहिये कि जहां आम शिकायत है इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बारे में, उनको इस विधान सभा के निर्णय के के अनुसार ही समाप्त कर दें। निर्णय आसान है। आज इसे पास नहीं कराओ तो कल ऑर्डिनेन्स की १२ बजे तक की अवधि है, उसके समाप्त होते ही ये सब अपने आप समाप्त हो जावेंगे, अपनी मौत आप मर जावेंगे। अगर सरकार वाकई में इन बोर्डों की धांधलियों से उकता गई है और इन्हें समाप्त करना चाहती है तो यह आसान तरीका है। अगर यह ६ महीने का एक्सेटन्शन स्वीकार न करें आप तो ये सब अपने आप खत्म हो जावेंगे। आप कह दें कि ऐसे बोर्डों के लिये हम सिफारिश नहीं कर सकते। वैसे आपको मूल अधिनियम में जो धाराएं हैं उनकी मातहत इनको खत्म करने में बहुत दिक्कतें आवेंगी, नोटिस देना पड़ता है, और भी कई काम करने पड़ते हैं, एक्सप्लेनेशन लेना पड़ता है, और कितनी ही जाब्ते की कार्यवाही करनी पड़ती है। अगर इसके मातहत आप इनको समाप्त करना चाहेंगे यह मैं मानता हूँ पर आज बड़ा सुअवसर है। आप इन्हें समाप्त कर दें, पर यह कह देना कि इससे काम रुक जावेगा यह कोई तर्कगम्य बात नहीं है।

दूसरी बात है चुनाव पद्धति की। इस सम्बन्ध में बहस का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री महोदय ने केवल इस बात का उल्लेख किया कि इसमें कई कठिनाइयां हैं। पर जहां तक सिद्धांत का सवाल है, वहां हमें कठिनाई की परवाह नहीं करनी है। वैसे किसी सिद्धांत को इम्प्लीमेन्ट करना कठिन होता ही है। कठिनाइयों से घबरा कर सिद्धान्त छोड़ा नहीं जा सकता। एक तरफ हमारा सिद्धांत है कि अल्पमत को उचित प्रतिनिधित्व मिले। इस सिद्धांत के मुकाबले में हमें उस कठिनाई को कि जिसके जरिये से चुनाव कराना कठिन है, इसमें कई कम्प्लीकेशन्स हैं, रख कर देखना होगा।

Page No 4

[श्री भैंरू सिंह]

एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ कठिनाई। सत्य बोलने का सिद्धांत है एक तरफ और दूसरी तरफ उसके रास्ते में आने वाली कठिनाई उससे होने वाला नुकसान है। पर सत्य बोलने से कितना ही नुकसान होता हो, हमें सत्य बोलना है क्योंकि हमारा यह सिद्धांत है, हमें उन कठिनाइयों और नुकसान का मुकाबला करना पड़ेगा। अहिंसा हमारा सिद्धांत है, अब उस अहिंसा पर चलने से कितना ही नुकसान होता हो पर हम अहिंसा छोड़ नहीं सकते। हमने इसे फन्डामेन्टल सिद्धान्त मान लिया है। सामाजिक जीवन, वैयक्तिक जीवन, और राजनैतिक जीवन में, सब जगह अपने अपने सिद्धांत हैं। इनमें अगर कठिनाइयां आवें तो उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। कठिनाइयों से डर कर सिद्धांत से पतित नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की इलेक्शन की चुनावों में कई तरह की कठिनाइयां हैं इस वास्ते दूसरा तरीका चुनाव का लिया जावे कोई महत्व नहीं रखती।

तीसरी बात आती है डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के द्वारा टैक्स वसूल करने के सम्बन्ध में। अपनी बहस के उत्तर के सिलसिले में माननीय मन्त्री महोदय ने मेरी इस बात का उत्तर नहीं दिया। इससे मैं इतना ही समझूंगा कि या तो मन्त्री महोदय भूल गये हैं या किसी प्रकार का उत्तर देकर सन्तोष दिलाने में वे अपने आपको असमर्थ पाते हैं इसलिये उत्तर नहीं दिया।

चौथा प्रश्न है वार्ड बनाने का। इसके बारे में भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला।

तो इतना कहकर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो यह संशोधन प्रस्तुत किया गया था कि इसको दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द पेश किया जावे, उसके बारे में सदन से मांग करूंगा कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार करके इन अनियमितताओं और बुराइयों के केंद्र जिला बोर्डों की इस लीला को समाप्त करें और इन गलत प्रकार की चुनाव पद्धति को यहां भी लाया जा रहा है तो उसे भी वापिस प्रवर समिति में भिजवा कर जो मूल अधिनियम में प्रतिपादित था उसी पर फिर विचार करने के लिए प्रवर समिति से निवेदन करें। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **लादूराम चौधरी**—माननीय अध्यक्ष, पिछले कई दिनों से भैंरू सिंह जी ने और मानसिंह जी ने एक ही रास्ता अपना रक्खा है और वह रास्ता है सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लेकर और वहां एक प्राइमरी स्कूल के भवन को लेकर जो सही बातें हैं उनको तोड़-मरोड़ कर सदन में पेश करना। स्कूल की स्थिति के बारे में मैं सही बातें सदन के सम्मुख पेश करना चाहता हूँ।

मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से १५००) लिए हैं और तीन किश्तों में एक ५०१) की, दूसरी ७५०) की और तीसरी २५०) की। लेने के एक डेढ़ महीने के बाद में वह रुपया खर्च हो गया और वह रुपया खर्च भी मेरे द्वारा मेरी मार्फत नहीं हुआ। जो माननीय सदस्य के प्रिय हैं, जो उनकी मदद करते हैं, जो रामराज्य के आदमी हैं उनकी मार्फत खर्च हुआ है और वह भी पूरी लिखा पढ़ी और कई आदमियों के सामने बाकायदा रसीदें

[श्री लादूराम चौधरी]

और सील लेकर, वह भी साहब मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सीकर में जमा करा दी है। एक है ५२०) रुपयों के पत्थरों की, पत्थर पड़ाई मदना मंडाई के आदमियों से और वे पत्थर मौजूद हैं आज भी और एक रसीद खान पर से पत्थर लाये गये हैं उसकी है, वह है ५००) की। ३००) की एक अलग रसीद है और जो भाड़े से पत्थर मंगाये गये हैं उनकी १५०) की की रसीद है। इस तरह १४७०) की रसीद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सीकर में मैंने जमा करा दी है और वह जो माल है आधा तो स्कूल भवन पर पड़ा है, और आधा माता डूंगरी की खान पर फील्ड में पड़ा है और इस कारण वह पड़ा है कि हमारे यहां दो फसलें होती हैं और इसलिए काश्तकारों को फुर्सत कम मिलती है इसलिए भाड़े से मंगाया जावे तो पैसा ज्यादा खर्च होता है इसलिये वैसे ही मंगाने की इच्छा थी जिसमें करके यह देर हो गई और मंगा नहीं पाये और यह भी है कि स्कूल भवन हम एक अच्छा और बड़े पैमाने पर बनाने की कोशिश में थे किन्तु इतनी रकम में बन नहीं सकता था, और रकम की हमें व्यवस्था करनी थी, पर इस बीच में कई आपत्तियां मेरे पर आई, चुनाव आया, चुनाव पिटीशनें आई, इसलिये इनकी तरफ पड़ने लगा क्योंकि देहाती दुनियां पहले अपना काम सोचती है, फिर दूसरा काम सोचती है। (हंसी) इसलिये यह काम अधूरा ही रह गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन हैं, वे जो सड़क पर काम संभालते हैं और जो उनके प्यारे मित्र हैं उनके द्वारा जांच हुई है। उन्होंने वह ८४० का पत्थर जांचा है जिसमें उसकी मज़दूरी आई नहीं ! पत्थर फोड़े उस का भाड़ा नहीं लगाया, कोर्स मिट्टी की खोड़ जो फिकाई है उसके दाम नहीं लगाये, खान पर पत्थर पड़ा है उसके दाम नहीं लगाये। ८४०) का हिसाब हमसे लेकर दस्तखत लिए हैं। वहां से रवाना होने के बाद में सीकर पहुँचते पहुँचते माननीय सदस्य को हिसाब देते देते ३००) गायब और हो गये। ८०० की जगह ५०० का हिसाब दिया। तो यह है स्कूल की सारी स्थिति।

दूसरी बात माननीय अध्यक्ष, मैं बताऊं वे रोजाना जातिवाद के नारे लगाते हैं, मानसिंह जी और भैरूंसिंह जी दोनों। आप कहते जरूर हैं कि हम जातिवाद से बहुत दूर रहते हैं। इसका नमूना हमें नौ तारीख को देखने को भी मिल गया। वैसे कहने को कहते हैं कि वे भूस्वामी के नजदीक नहीं रहते। पर ८ तारीख को यहां प्लान बनाये, और स्कीम बनाई और ६ तारीख को·······

श्री अध्यक्ष— आपके ऊपर आक्षेप लगाये हैं उन्ही का आप उत्तर दें। आप प्रत्यारोप लगावेंगे तो वे फिर इसका जवाब देंगे और वे प्रत्यारोप करेंगे तो आप फिर बोलेंगे, तो यह क्रम समाप्त नहीं होगा।

(घंटी)

श्री भैंरूंसिंह—बोलने दीजिये साहब, मैं भी सुनाऊंगा इनका कच्चा चिट्ठा।

श्री अध्यक्ष—आप पर जो आक्षेप हैं उनका ही उत्तर दें।

श्री भैंरूंसिंह—वह तो हमारे ही ऊपर हैं, अध्यक्ष जी।

श्री लादूराम—तो स्कूल के बारे में मैंने स्पष्टीकरण किया अध्यक्ष महोदय, अब बोलना तो और भी चाहता था, उनके कारनामे भी बताना चाहता हूं पर अब आपके आदेश का पालन करते हुये, यहीं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—दो प्रस्ताव श्री भैंरूंसिंह जी और श्री मानसिंह जी के, एक ही आशय के हैं और पहला प्रस्ताव चूंकि भैंरूंसिंह जी ने रखा है इसलिए उसी को सदन के सम्मुख राय के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को दुबारा उसी प्रवर समिति के सम्मुख विचारार्थ सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक मास में प्रस्तुत करेगी।

(प्रस्ताव अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

क्लॉज २, क्लॉज २ पर संशोधन श्री भैंरूंसिंह जी का है।

We can take the clause as moved.

Shri Bhairun Singh, Division No. 16, to move his amendment.

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्लॉज २ को विलोप किया जाय।

माननीय अध्यक्ष, इस धारा के ऊपर, मैं समझता हूँ, काफी चर्चा हो चुकी है। सदन के माननीय सदस्यों ने इस धारा के स्वीकार होने के कारण जो कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं, उनके ऊपर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो केवल इस संशोधन का समर्थन करने के लिए मैंने रिजर्व रख छोड़ी थीं। वे बातें अपने इस संशोधन की पुष्टि में सदन को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

हमने सन् १६५४ में राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट पास किया और उसकी धारा २ एक प्रोवीज़ो एड करके यह निश्चय किया कि:—

"Provided that the State Government shall, within a period of six months commencing from the coming into force of this Act, establish for each District a Board in accordance with the provisions of this Act."

हमने यह उस समय निश्चय किया कि इस एक्ट के लागू होने के पश्चात् ६ महीने के अन्दर अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के नये चुनाव हो जायेंगे। मैं सदन को याद दिलाऊं कि जिस समय इस धारा पर विचार किया जा रहा था मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था और यह मांग की थी कि ६ महीने के समय के बजाय ३ महीने का समय रख दिया जाय। तीन महीने में चुनाव हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि में, अपने संशोधन की पुष्टि में, मैंने सदन के समक्ष कुछ तथ्य रिलेट किये थे। लेकिन उस समय स्वायत्त शासन मन्त्री ने यह उत्तर दिया था कि मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि ५, ६ महीने के अन्दर २ चुनाव हो जायेंगे। तीन महीने में चुनाव नहीं हो सकते इसलिए यह आवश्यक है कि ६ महीने का जो प्रोवीज़न रखा है उस प्रोवीज़न को उसी रूप में स्वीकार किया जाय। मैं उस दिन की सदन की कार्यवाही में से श्री रामकरण जी जोशी, जो उस समय स्वायत्त शासन मंत्री थे, उनके भाषण का थोड़ा उल्लेख करके सदन को यह बताऊंगा कि किस तरह से उस समय के स्वायत शासन मंत्री ने इस सदन को ६ महीने में चुनाव करवाने का विश्वास दिलाया था। उन्होंने यह कहा था:—

"माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन पेश किया गया है वह बिल्कुल ही बेमौजू है और बोलने वाले महानुभावों ने इस बात पर बोलकर अपने दिल के गुब्बार निकाले हैं। जितनी व्यक्तिगत दिलचस्पी पंचायत राज्य के लिए आज दिखाई जा रही है यदि उसी प्रकार की पंचायत राज्य के लिये दिलचस्पी पहले दिखाई जाती तो यह पंचायत राज्य कभी का कायम हो गया होता। हम पंचायत राज्य के बारे में यह बातें कह जाते हैं कि ६ महीने तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कायम रखने की यह बात क्यों रखी गई? मगर मैं यह कहूंगा कि धारा को पढ़ने के बाद आपको यह मालूम होगा कि इस अरसे के अन्दर सब जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव हो जाना चाहिए और वे काम

[श्री भैरूं सिंह]

करने लग जायं। यह समय ६ महीने का इसलिए रखा गया है कि चुनाव के कुछ नियम होते हैं। इलेक्ट्रोल्स अभी भी तैयार करने पड़े हैं और उसमें भी समय लगता है। इन बातों के लिए यह ६ महीने का समय रखा गया है।"

यह था उस समय जब कि बिल को पास किया गया था, माननीय रामकरणजी जोशी जो कि उस समय के स्वायत्त शासन मंत्री थे उन्होंने उस समय सदन को आश्वासन दिया था। उसके बाद में ६ महीने का जब समय पूरा हुआ तो ६ अक्टूबर, सन् १९५५, को पहला संशोधन विधेयक आया और उस संशोधन विधेयक के द्वारा मांग की गई थी कि ६ महीने को बढ़ाकर १ साल का समय किया जाय। उस समय एक दूसरी चर्चा चल रही थी। सदन के बाहर और सदन के अन्दर एक दूसरी चर्चा चल रही थी कि मथाई कमीशन ने इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में इस बात का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को डिज़ोल्व कर दिया जाय। इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की कोई आवश्यकता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वाराजो टेक्स लगाया जाता हैं वह टेक्स दोहरा टेक्स जनता पर लगाता है इस टेक्स का भार जनता पर नहीं आना चाहिए। उस समय एक एटमासफियर ऐसा बना था कि जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को समाप्त करने के बारे में निर्णय लेने ही वाले हैं, लेकिन उस एक्ट में ६ अक्तूबर को एक संशोधन पेश किया गया और उस समय यह कहा गया था कि मथाई कमीशन के मातहत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहने वाले नहीं हैं और यह एक प्रकार से फॉरमल एमेन्डमेंट लाये हैं। शायद ६ महीने भी इसमें नहीं होंगे और ६ महीने में ही इसको समाप्त कर देंगे इसलिए इस एमेंडमेंट की आवश्यकता है और वह एमेंडमेंट सदन में पास किया गया।

६ महीने का समय बढ़ाया गया और एक वर्ष का समय होगया और एक वर्ष के बाद जब ऐसा पता लगा कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे। मथाई कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अभी कार्यवाही नहीं की जाने वाली है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसी प्रकार जिन्दा रहेंगे और इस प्रकार का संशोधन आज आया है। वह संशोधन आगया है और उस संशोधन के द्वारा मांग की गई है कि चुनाव नहीं करा सके हैं उसका कोई कारण नहीं है। इलेक्ट्रोरोल्स तैयार नहीं करवा सके हैं या एक मोटा कारण दिया जाता है। वार्डस नहीं बना सके हैं यह दूसरा कारण दिया जाता है। पंचायतों के इलेक्शन पूरे नहीं हो सके हैं इसका भी एक कारण दिया जाता है लेकिन इसके बारे में एक विशेष प्रकार की दलील है। इस बात का जिक्र नहीं किया कि पंचायत के इलेक्शन क्यों नहीं हुए, बोर्ड के मामले को लेकर हाई कोर्ट में रिट हुए और उस रिट के कारण पंचायतों के चुनाव वायड करार दिये गये हैं। उसके कारण बड़ी दिक्कत पेश हुई, यह कहा जाता है। दिक्कत पेश होती उस समय, जब कि आप हाई कोर्ट डिसीज़न की कद्र करते। हाई कोर्ट डिसीज़न के अनुसार मारवाड़ पंचायत एक्ट के मातहत चुनाव होकर जो पंचायतें बनी हुई थीं उन पंचायतों को पंचायत अधिनियम के मातहत बनाया और बनाकर जो कुछ हेरफेर की और जिस हेर फेर को हाई कोर्ट ने ठीक न समझ कर उस रिट को स्वीकार किया, उसी भावना को स्वीकार

[श्री भैरूंसिंह]

उन पंचायतों को खत्म करके दुबारा चुनाव करवाते तो बहुत मुमकिन है कि आप के सामने बर पंचायत के संबन्ध को लेकर जो रिट की गई है उसका डिसीज़न होने के कारण कई दिक्कतें पैदा हुई होतीं, लेकिन पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। अब भी कई पंचायतें ऐसी हैं जिनके चुनाव रुके हुए हैं। इस बात को लेकर कि पंचायतों का निर्माण गलत कराया है, वार्ड गलत बनाए, पंचों की संख्या गलत निर्धारित की गई, इन चीजों के लिए हाई कोर्ट में रिट दी हुई है। कई रिटें हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। यह कई दिक्कतें हैं। दिक्कतें हो सकती हैं जिनके द्वारा आपकी गलतियां रोकी जाती हैं। गलतियां रोकते हैं और आप को सुधारा जाता है। आप में सुधार लाया जाता है उनको दिक्कतें मत समझो, बल्कि यह समझें कि किसी न किसी प्रकार से सहायता दी जाती है। उसे सहायता के रूप में रखकर हम कहते हैं कि पंचायतों के चुनाव के कारण अभी और दिक्कतें आने वाली हैं।

दूसरी बात यह कही जाती है कि इलक्ट्रो रोल्स तैयार नहीं हुई हैं और इलेक्ट्रो रोल्स की बात लेकर अभी सरकार यह बताए कि इस डेढ़ वर्ष में सरकार के द्वारा इस इलेक्ट्रो रोल्स को तैयार करवाने में कौन सा प्रयत्न किया गया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार ने बिल्कुल चेष्टा नहीं की। सरकार ने उसकी तैयारी के इन्स्ट्रक्शन्स नहीं भेजे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की इलेक्ट्रो रोल्स तैयार करवाना है। यदि इलेक्ट्रो रोल्स तैयार करवाने के संबन्ध में इन्सट्रक्शन दिए और उन इन्स्ट्रक्शन की कम्प्लायन्स नहीं होती हैं और उस कम्प्लायन्स में कोई विशेष प्रकार की मजबूरी आती है तो समझने की बात थी कि वाकई इलक्ट्रो रोल्स तैयार नहीं हो सकी। इलेक्ट्रो रोल्स तैयार करवाने का काम शुरू नहीं हुआ तो हम कैसे इल्जाम लगाते हैं, हम यह नियत कैसे कर सकते हैं, हम यह निश्चय कैसे कर सकते हैं, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्ट्रो रोल्स तैयार नहीं हो सके इसलिए हम को इसकी तैयारी करनी चाहिए। जहां हमने कानून बनाया, जहां हमने रूल्स बनाए, रूल्स बनाने के साथ साथ यदि इलेक्ट्रो रोल्स भी बनाने की कार्यवाही करते तो वह सारी कार्यवाही कम्पलीट हो जाती। इलेक्ट्रो रोल्स बनाने के बाद पंचायतों द्वारा पंच बनेंगे उनका चुनाव नहीं हुआ तो संशोधन लाकर अधिकार प्राप्त कर सकते थे। अगर एक दो पंचायतें छूट जांय तो उनका बाद में चुनाव करा सकते थे लेकिन सारी पंचायतें छूटी हुई है। वहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सके हैं, इलेक्ट्रो रोल्स अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए एक्सटेन्शन चाहते हैं। मैं निहायत नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिलाया था कि जुलाई के महीने में तमाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव करा दिया जायगा। वे यह भी कहते हैं कि जो मैं विश्वास दिलाता हूं, उसकी तामील होती है। मैं उनको याद दिलाऊं कि उन्होंने सदन में यह विश्वास दिलाया था और कहा कि उस विश्वास की तामील होगी तो जयपुर म्युनिसिपलिटी के लिए ऑर्डर्स इश्यू किए गये, ऑर्डर्स गजट में........

[क्रमशः]

श्री अध्यक्ष—म्युनिसिपैलिटी की बात कहां आ गई।

श्री भैरूंसिंह—मैं उनकी याददाश्त करा रहा था। म्युनिसिपलिटी का आश्वासन था लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं कराए। आप यह कहते थे कि आश्वासन का पालन होता है तो मैंने जयपुर म्युनिसिपलिटी का उदाहरण देकर आप को बताया कि आपके आश्वासन का किस प्रकार आप पालन करते हैं।

आप ने उत्तर में बताया था कि कुछ मजबूरियां हो सकती हैं और उससे डेढ़ वर्ष से दो वर्ष का समय कर रहे हैं। आज भी मजबूरियां हैं, आज भी उन मजबूरियों के कारण घबराने की स्थिति में हैं, और आज भी उन मजबूरियों के कारण विश्वास नहीं दिला सकते कि आज जो आप के सामने मजबूरियां हैं वे दो महीने के बाद तो समाप्त हो जावेंगी। मजबूरियां क्या हैं? उनका कोई पता नहीं लगा, मजबूरियां किन कारण से है उसका कोई पता नहीं लगा, आज कौनसी मजबूरियों के कारण असमर्थ हुए चुनाव नहीं कराने के लिए, उनका भी कोई पता नहीं लगा, केवल मजबूरियों की आड़ लेकर दो साल का एक्सटेन्शन चाहते हैं। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता जो जमुआ रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहे हैं। यह प्रत्यक्ष चीज नजर आ रही है और एक चीज को लेकर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव नहीं कराना चाहते। वह चीज प्रत्यक्ष रूप में दीखती है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को उदयपुर में लागू करते हैं, तो चुनाव कराते, जब कि उदयपुर में पहले से ही पंचायतें बनती चली आ रही हैं; उदयपुर में कोई दिक्कत नहीं आती, वहां तो आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नये बना देते। वहां भी अगर वह चीज नहीं बनी तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी एक विशेष बात को लेकर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, इस लिए चुनाव नहीं कराना चाहते हैं उन पहले वाले बिना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को आप कायम रखना चाहते हैं। जब उनको बनाये रखना चाहते हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जीवन लीला और उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कारनामों को हमें सोचना पड़ेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, चाहे स्वायत्त शासन मन्त्री कहें, कोई भी सदस्य जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कारनामों से अच्छी तरह परिचित है, हृदय में उन्हें अच्छी तरह से सन्तोष नहीं हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स द्वारा जो पैसा जनता से इकट्ठा किया जाता है, जो धन जनता से इकट्ठा किया जाता है, उसका किस तरह से उपयोग होता है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, के कारनामे हमारे सामने आये, सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नमूने हमारे सामने आये और अभी माननीय सदस्य ने जो एक्सलेनेशन के रूप में बातें कहीं उन्होंने, तो मेरे कथन की एक रूप में पुष्टि ही की है। मैंने यह इल्जाम लगाया था कि सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सन् १९५२ में...

(घंटी)

मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सीकर की बात कह रहा था, उनके एक्सप्लेनेशन का जवाब नहीं दे रहा था।

श्री अध्यक्ष—इल्जाम लगाया, फिर उसका जवाब दिया, फिर आप कहेंगे और उसका वे जवाब देंगे तो फिर ये जवाब ही जवाब चलते जावेंगे।

Page No 11

श्री घीसीसिंह—ये तो टाइम लेना चाहते हैं; कहीं कहानी पंचायतों की, तो कहीं सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, इन कहानियों को तो काफी सुन चुके हैं।

श्री हिम्मतसिंह—इस तरह से सदस्य महोदय को बैठे बैठे नहीं बोलना चाहिये।

श्री घीसीसिंह—मैं खड़ा हूँ।

श्री भैरूं सिंह—सदन में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं।

(घंटी)

यदि मैं कहूं कि उनका कोई उल्लेख नहीं कर रहा था, किन्तु केवल उनके कथन का ही उल्लेख कर रहा था तो यह उचित ही होगा। वे स्वयं मानते हैं कि उन्हें सन् १९५२ में उनको सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से रुपया मिला था और सन् १९५६ तक उन्होंने उसका हिसाब पेश नहीं किया। वहां जो उसके बाद कार्यवाही हुई मैं उनके कथन को सही मानता हूँ कि उनको ५२ में रुपया मिला, ५६ तक उन्होंने उन रुपयों का हिसाब नहीं दिया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने उनके खिलाफ ५६ में जाकर कार्यवाही की और माननीय मन्त्रीजी यह कहें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अच्छा काम किया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बहुत दक्ष है; ऐसा नहीं मान सकता। आपको भी मानना पड़ेगा कि सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो कारनामे हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं। ये तो मैंने आपके सामने सीकर और जयपुर के नमूनों का जिक्र किया। अब मैं आपके सामने झुंझुनू का जिक्र करूं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की गाड़ियोंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कराये, पंचायतों के चुनाव कराये, वहां सी. आई. डी. के आदमियों को भेज दीजिये फोटो खींचने की सामग्री देकर, तो आपको मालूम हो जायगा कि पंचायतों के चुनावों में, पंचों को लाने के लिए, पंचायतों के चुनावों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों के लिए, उनके आने जाने के लिए, मोटरें, जीपें किस तरह से काम करती हैं, उन सारी चीजों के चित्र लेकर जरा तसल्ली करिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के काम किस तरह से होते हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इतना काम होता है, जितनी जीपें होती हैं चुनावों में जाती हैं, कार्यकर्ताओं का, कर्मचारियों का उसमें हाथ होता है। मैं स्पष्ट संकेत करना चाहूंगा कि आज तक सीकर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो हिसाब पेश किये, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जो खर्च का हिसाब पेश किया, जिन जिन लोगों को तनख्वाहें बांटी गई, जिन लोगों को तनख्वाहें डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिनके नाम पर वे हैं, उनको मिलीं या नहीं मिलीं, जिन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को टेक्स पे किया उसकी रसीदें मिली नहीं, इस प्रकार की एक नहीं दस शिकायतें हैं, मैं समझता हूं कि वे या तो डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ के पास उनके दफ्तर में होंगी या सरकार के पास विचाराधीन होंगी। सरकार के पास बार बार शिकायतें आने के बाद भी कर्मचारी सारे के सारे खुले रूप में चुनावों में भाग लेते हैं; डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के रुपयों का दुरुपयोग होता है, इस प्रकार की कई शिकायतें आज भी सचिवालय में विचाराधीन होंगी, लेकिन बदकिस्मती से उन शिकायतों को कोई सुनना नहीं चाहते। उन शिकायतों पर कोई गौर नहीं किया जाता और कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का काम ठीक तरह से चल रहा है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

[श्री भैंरू सिंह]

टोंक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का सवाल ले लीजिये, मैं उन सारी बातों में इस समय जाना नहीं चाहता, टोंक, सवाई माधोपुर, क्या २ हो रहा है, गंगानगर में क्या हो रहा है। अगर आप छूट दे दें अध्यक्ष महोदय, तो मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कारनामे सदन में प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूँ। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि या तो उन शिकायतों की जांच करायें और उसके लिए किसी निर्णय पर पहुंचे, उनकी शिकायतों के बारे में बदकिस्मती से कोई जांच तक नहीं होती है। इस कारण उन शिकायतों की जांच नहीं होती है कि वे सरकार के मनोनीत हैं, इस कारण से उनकी जांच नहीं होती है कि वे सरकार के पक्ष के लोग हैं, इस कारण से उनकी जांच नहीं होती है कि उनमें सरकार के पक्ष के आदमी बैठे हैं जिनको उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में से निकालना सम्भव नहीं, इस कारण से जांच नहीं होती है कि उन लोगों के बारे में जिक्र करना सम्भव नहीं, उन लोगों के बारे में जिक्र करना मुमकिन नहीं, लेकिन उनका जिक्र किया और जांच कराई तो उनको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, अगर उनका जिक्र किया तो उनके बहुमत में कमी आ जायगी। जिस प्रकार से सत्ता धारण कर रखी है उसमें कमी आ जायगी, लेकिन इस जड़ को तो दूर करना पड़ेगा। ये वे लोकल बोर्ड्स हैं जो प्रजातन्त्र के आधार हैं, जो राष्ट्रीयता को बल देने वाले हैं, उनमें घुसी हुई चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उन चीजों को टालते रहना सम्भव नहीं है। लेकिन करते कहां हैं ऐसा, जब उनके प्रति शिकायतें आती हैं तो उनको इग्नोर करते हैं, बल्कि मैं तो यह कहूं कि हम उनको प्रोत्साहन देते हैं, दूसरे रूप में उनको प्रोत्साहन देते हैं।

व्यक्तियों के बारे में पी० एस० सी० से सिलेक्शन नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत जितनी सार्वजनिक संस्थायें हैं, औषधालय हैं, वाचनालय हैं, उनमें सरकार का एक ही दृष्टिकोण रहता है कि हम हमारे लोगों को, हमारे पक्ष के लोगों को उनमें विशेष सुविधायें देते हैं आने के लिए, उन सार्वजनिक संस्थाओं में अपने आदमियों को ही नौकर रखा जाता है। सीकर, झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मैंने गत वर्ष कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उनके पक्ष के लोगों को ही रखने का सवाल नहीं आना चाहिए था दूसरे लोगों को भी जिन्दा रहना है, उनके पक्ष के लोगों को ही स्कोलरशिप देते हैं। सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ६० ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट है जिनमें ७ और कौम के हैं और ५३ व्यक्ति एक ही कौम के हैं जिनको कि सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कोलरशिप देता है।

मैंने ऐतराज किया उसका फल मुझे मिला। ७ दूसरे व्यक्तियों को भी स्कोलरशिप दी गई। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देखिये स्कोलरशिप देते समय यह देखने की चिन्ता नहीं है कि लड़के पढ़ते हैं या नहीं, यह देखने की चिन्ता नहीं कि उनकी फाइनेन्शियल कंडीशन अच्छी है या नहीं, गरीब अमीर होने की चिन्ता नहीं, लेकिन चिन्ता इस बात की है कि विद्यार्थी हमारे ही आदमियों के लड़के हैं या नहीं। आप इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जिन्दा रखना चाहते हैं मैं समझता हूं यह न्याय संगत नहीं होगा। हमें उनकी जीवन लीला को खत्म करना पड़ेगा, नये बोर्डों का निर्माण करना पड़ेगा। हमारी मूल अधिनियम को पास करने में जो भावना थी उसका समावेश इसमें नहीं होता। हमने नये कानून में मांग की थी

[श्री भैरूं सिंह]

कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य वही लोग हो सकते हैं जो बाहर गांवों के रहने वाले हैं, जो बाहर गांवों की परिस्थिति को समझते हों, गांवों की परिस्थिति का ज्ञान रखते हों, वे ही लोग इन बोर्डों के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पांचों ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में शहरों के रहने वाले लोग सदस्य हैं। सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को ले लीजिये वे सीकर के रहने वाले हैं, वे ६ साल पहले गांव में रहते थे, वे यह कह सकते हैं कि उनकी पैदायश गांव की है लेकिन आज कल शहर ही के रहने वाले हैं। फतहपुर म्युनिसिपेलिटी के सदस्य सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य हैं उनके लिये शहर का होने का प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है। सीकर के रहने वाले वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नगर के रहने वाले लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर नहीं हो सकते लेकिन आज सीकर, टोंक, मालपुरा का यह हाल है कि वहां पर शहर के लोग सदस्य हैं, सवाई माधोपुर का भी वही हाल है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उल्लेख तो कल भी कई बार किया जा चुका है। जयपुर में भी आज यही हाल है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य तो नहीं है लेकिन म्युनिसिपल एरिया के रहने वाले जरूर हैं। जिस भावना के कारण हमने इच्छा व्यक्त की थी और ऐसी व्यवस्था की थी कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के अलावा कोई भी आदमी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता, उस भावना को गहरा आघात पहुंचाया गया है, जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्यों से जनता खुश नहीं है, जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को मूल भावनाओं के प्रतिकूल मनोनीत किया गया है, उनके लिये आज आप इस बात की हिम्मत रखते हैं कि उनको अभी और जिन्दा रखें और उनको खुली छूट दे दें कि वे लूटें और खायें, यह कतई उचित नहीं है।

इतना ही नहीं ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स टैक्स लगाकर के दुनियां से टैक्स वसूल करते हैं। टैक्स लगाते समय कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, क्यों कि टैक्स लगाने की कार्यवाही एक सी होती है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। जो लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों के पक्ष के गांवोंमें रहनेवाले हैं उन से टैक्स वसूल नहीं होता और एक दूसरा गांव जो उनके खिलाफ है, वहां के लोगों पर फोर्स से अधिक टैक्स वसूल किया जाता है। जहां से पैसा वसूल नहीं हुआ वहां उस गांव के लिये सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया, बदकिस्मती से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से और जनता की भावना के प्रतिकूल प्रस्ताव पास किया कि जिस गांव से पैसा नहीं जाता, कोई सैस नहीं आती उस गांव को किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी जाय, हमारे गांव के लिये यह तय किया कि वहां मदद नहीं दी जाय और सैस वसूल करने के लिये तैयार हुए। ३ साल तक हमने उन गांवों को महरूम रखा उस प्रस्ताव के कारण और वही प्रस्ताव एरियर के रूप में वसूल करने का पास कर दिया। वसूल किया हुआ पैसा मेरे गांव में ही नहीं मेरी तहसील में ही नहीं बल्कि सारे सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लगना चाहिये, यह संकीर्णता का दृष्टिकोण नही हैं, मेरे गांव का पैसा मेरे गांव में ही लगे यह भी आवश्यक नही हैं लेकिन....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

Page No 14

श्री अध्यक्ष—समाप्त करिये, आपको बोलते हुए आध घंटा होगया है।

श्री भैंरू सिंह—अभी समाप्त करता हूँ अध्यक्ष महोदय, तो इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जो कुछ तय किया उससे संकीर्णता का पता लगता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने तय किया कि जिस गांव से सैस वसूल नहीं होगी उस गांव में पैसा खर्च नहीं किया जायगा। यह बात उनकी संकीर्णता का परिचय देती है। तीन चार चीजें ऐसी हैं जिनके कारण हम इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जिन्दा रखना पसन्द नहीं करते।

मंत्रीजी बार बार कहते हैं कि हम सुपरसीड और समाप्त करने की पॉवर मांगते हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को समाप्त करने या सुपरसीड करने का अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो आप यह कहते हैं कि सरकार को ऐसा अधिकार नहीं देना चाहिये। हम यह चाहते हैं कि लोकल बोडीज़ को अच्छे पॉवर हों और सरकार के पास उनको समाप्त या सुपरसीड करने के पॉवर नहीं हों लेकिन वे लोकल बोडीज़ डेमोक्रेटिक ढंग के आधार पर बनी हुई होनी चाहिये। आज विरोधी दल के सारे सदस्य एक मत होकर आपका साथ देंगे सहयोग देंगे इस बात में कि आप इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को समाप्त करिये, सुपरसीड करिये, हम आपको उन्हें सुपरसीड करने का अधिकार देते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि जहां हम अधिकार देना चाहते हैं वहां आप लेना नहीं चाहते और जहां आप मांगना चाहते हैं वहां हम स्वाकार नहीं करना चाहते, इसके कई कारण हैं। आज आपको सिर्फ यह कहने की आवश्यकता है कि विधान सभा इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को नहीं चाहती है इसलिये हमको इन्हें समाप्त करना है और इसलिये हमने इन्हें समाप्त किया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार करें, इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को खतम करें और जल्दी ही नये चुनाव करावें, आज जिस तरह से पैसा खर्च किया जाता है, गोलमाल किया जाता है वह भी दूर होगा और नये बोर्ड बनने तक बीच के पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होंगे उनको अधिकार होगा कि पिछले हिसाब की जांच करें और जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें सजा दिलावें और उनसे रुपये वसूल करावें। इतना कह कर मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार करें और पुराने ढर्चर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को समाप्त करने का संशोधन स्वीकार करे।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं, जिसमें बताया गया है कि इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक की धारा २ को विलोपित किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इधर तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कराने को कहते हैं और उधर ज्यादा मियाद बढ़ाकर इनको कायम रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिविजन में, जहां पंचायतों के चुनाव आज से दस माह पूर्व हो चुके हैं, वहां बार बार मांग करने पर भी यह आदेश देते हैं कि चुनाव नहीं कराये जांय। इससे आपकी भावनायें मालूम होती हैं। आप यह चाहते हैं कि वहां चुनाव देरी से हों। पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं इससे भी आपकी क्या मनोवृति है इसका पता चलता है। जयपुर के बारे में दो माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। जहां ऐसी बातों का उल्लेख होता है, जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेम्बर्स

[श्री जगतसिंह झाला]

घोटाला करके प्रजा को तकलीफ देना चाहते हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जल्दी से जल्दी भंग करना चाहिए। मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपकी भावना ऐसी है कि इस प्रश्न को सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर चलना चाहते हैं इसलिए आपको यह बुरा मालूम होता है। जब आप प्रजातंत्र के तरीकों पर चलना चाहते हैं, जब आप नारे लगाते हैं कि आप सोशियलिस्टिक पेटर्न कायम करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि नोमिनेटे बोर्ड्स को जल्दी से जल्दी समाप्त करके इलेक्टेड बोर्ड्स कायम करें। आप इसको नहीं करना चाहते हैं इससे मालूम होता है कि आपकी सोशियलिस्टिक पेटर्न की भावना नाम मात्र है।

मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने उदयपुर डिविजन के लिये नोमिनेशन भरने की डेट तय की थीं, लेकिन उदयपुर कांग्रेस के मुख्य व्यक्तियों के कहने पर या उनके टेलीफोन आने पर आपने वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव स्थगित करवा दिये। यह स्पष्ट करता है कि आप जनता की भावना की कद्र करना नहीं चाहते, आप अपने ही इन्ट्रेस्ट को देखना चाहते हैं। इसलिए मैं फिर निवेदन करता हूँ कि इस धारा (clause) को विलोपित करने का जो प्रस्ताव है उसको मान लें, क्योंकि प्रजातन्त्र का सिद्धान्त है कि जहां जल्दी चुनाव नहीं कराते हैं, पुराने चुनाव नहीं कराते हैं, पुराने बोर्ड्स की मियाद बढ़ाते हैं, तो आपके प्रति जनता की भावना ठीक नहीं होगी और उसके कारण देश में अशान्ति हो सकती है। इस लिये आप इस सदन के सभी साथियों की आवाज को मान लें। केवल इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री मानसिंह मझार—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अमेन्डमेन्ट बिल की धारा २ के बारे में सिलेक्ट कमेटी ने जो सिफारिश की है, उस धारा २ को विलोपित करने का जो संशोधन सदन के समक्ष दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उसके समर्थन में मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ वह क्लॉज़ है जो राजस्थान के अन्दर वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जिस किसी प्रकार से भी बने हुए हैं उनको दो वर्ष के लिये रखा जाय, ऐसी बात है कहा जा सकता है कि २ वर्ष का अर्थ अब केवल ९ महीनों से है, लेकिन ९ महीनों का तो एक निहायत लम्बा समय है।

लेकिन ९ महीने का समय तो एक इतना लम्बा समय है जिसके अन्दर बच्चा-बच्ची पैदा हो जाता है....

(हंसी)

तो इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को, इन नोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ९-९ महीने की जिन्दगी प्रदान की जाय यह तो एक बहुत ही घातक बात होगी।

मैं यह समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, और मैं ही नहीं भूतपूर्व रियासत के तो करीब करीब प्रत्येक व्यक्ति को यह कटु अनुभव हो चुका है कि जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्दर धांधलियां हुई हैं वे धांधलियां राजस्थान में एक ऐतिहासिक चीज़ें बन चुकी हैं। उन धांधलियों की अगर हम

[श्री मानसिंह मद्दार]

गिनतियां करने बैठे तो वे धांधलियां ऐसी होंगी कि शायद दुनियां की सारी धांधलियों का रेकार्ड ही तोड़ देंगी। उन धांधलियों की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें वास्तविकता की ओर जाना है। उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में सबसे बड़ी बात यह हुई कि इतने छोटे से अर्से में ये तीन बार नोमिनेटेड हो गये हैं, एक सरकार आती है वह एक बोर्ड को नोमिनेटेड करती है और इसके बाद दूसरी सरकार आती है तो वह महसूस करती है कि ये सदस्य ठीक नहीं हमारे यस मेन (yes men) नहीं, इस लिये वह दूसरे सदस्यों को नोमिनेटेड करती है, फिर तीसरी सरकार आती है तो वह भी इसी प्रकार तीसरी तरह के सदस्यों को नोमिनेटेड करती है। इस प्रकार की बातें होती हैं जो किसी माननीय सदस्य से छुपी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं और बातें बताऊं एक बात और बता देना चाहता हूं, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इस प्रकार से नोमिनेटे किये गये हैं कि आज सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों में से कई ऐसे मौजूद हैं जो इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से इस प्रकार की पार्टीबाजी और गुट्ट परस्ती के कारण बर्खास्त किये गये। मैं भी जयपुर के पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य था, जिसको कि सरकार बदलते ही सुबह हमने देखा तो वह बोर्ड खारिज हो गया। उसमें केवल मैं ही नहीं था सरकार में मन्त्री पद पर आसीन व्यक्ति भी उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में थे, तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिस आधार पर नोमिनेट किये जाते हैं वह आधार ठीक नहीं। इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, इन सब का कारण यही है कि इनका नोमिनेशन का जो आधार है वह गलत है।

जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट को जयपुर की लेजिस्लिटिव कौंसिल ने पास किया था तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जिस पर हमने बल दिया था, लेजिस्लेटिव कौंसिल के सब मेम्बर्स ने बल दिया था, वह यह थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में वे व्यक्ति आने चाहिये कि जो म्युनिसिपलिटीज़ के सदस्य न हों और म्युनिसिपलिटीज में काम नहीं करते हों। इसका अर्थ यह था अध्यक्ष महोदय, कि हम लोग यह चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व हो जो शहर के न हों, गांवों की जनता का जो लोग प्रतिनिधित्व कर सकें, यह नहीं कि सीधे शहरी लोग जा जाकर उन पर आधिपत्य स्थापित कर लें और गांव वालों को बैक ग्राउन्ड में डाल दिया जाय और उन पर जुल्म ज्यादतियां की जायं। पर नोमिनेशन के बाद बिल्कुल उल्टी बात हुई, बिलकुल उल्टा असर हुआ, मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि नोमिनेशन के बाद बिलकुल उलटी बात हुई। जितने बोर्ड जयपुर डिविजन में नोमिनेट किये गये उन में म्युनिसिपल टाउन्स के आदमियों को लिया गया। उन्होने इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जाकर ऐसा जाल बिछाया और इनके चेयरमेन भी वही हुए जो म्युनिसिपल टाउन्स में रहते थे। कायदे से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की मंशा से एम्स एन्ड ओब्जक्ट्स थे उनके बिलकुल विपरीत लोगों ने इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पर कब्जा किया और इसका जो कुछ नतीजा हुआ वह आज हमारे सामने है।

जयपुर के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पर लाखों रुपया खर्च किया गया पर वह रुपया जिस प्रकार से खर्च होना चाहिये था उस प्रकार से खर्च नहीं किया गया। पर उन रुपयों को इस तरीके से खर्च किया कि अमुक गांव में अमुक व्यक्ति हमारा कृपा पात्र है वहां तो कुछ

Page No 17

[श्री मानसिंह महार]

रुपया खर्च होना ही चाहिये चाहे वहां कोई आवश्यक काम न हो। कई गांव जहां आबादी अच्छी है, जहां कई चीज़ों की, कई कामों की बहुत बड़ी आवश्कता थी पर वहां उन गांवों में चेयरमेन नहीं होने के कारण उन गांवों को बिलकुल निग्लेक्ट कर दिया गया, न सिर्फ उनको निग्लेक्ट किया गया बल्कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कर्मचारियों ने वहां के लोगों पर ऐसे ऐसे अन्याय किये, चुनावों के समय वहां जा कर खुले आम प्रचार किया कि अमुक अमुक व्यक्तियों को साथ नहीं लेते थे इसलिये तुम्हारे यहां कुछ भी काम नहीं हो सकता, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो हमारे मुट्ठी की चीज है।

हमको भय है अध्यक्ष महोदय, कि अगर ये नोमिनेटेड बोर्ड अगले समय तक कायम रहे तो जितने इनके सदस्य हैं वे इनसे नाजायज फायदा उठायेगें और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में काम करने वाला प्रत्येक वैद्य, प्रत्येक मास्टर या और किसी तबके का आदमी नौकर होगा, वह चेयरमेन और दूसरे मेम्बरों का खुले आम चुनावों में प्रचार करेगा, ऐसी सूरत में हमें मजबूरन सदन से प्रार्थना करनी पड़ती हैं कि धारा २ जिस प्रकार कमेटी ने रखी है उसी प्रकार पास कर के देंगे तो यह एक बहुत ही खतरनाक बात होगी, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह धारा २ अपने आप में देखने से भी विचित्र मालूम होती है, मैं इस धारा को पढ़ कर सुनाता हूँ:—

"The committee considers that a period of one year and six months would not be an adequate period for the establishment of all the District Boards in accordance with the provisions of the Act and that consequently this period as mentioned in the Bill may be extended by another six months so that the period so constituted viz. the period of two years may be sufficient for the purpose. The Committee has, therefore, amended the clause acordingly."

इसके अन्दर कहीं यह जिक्र भी नहीं है कि सरकार यह चाहती है, इस कमेटी ने ही सोच लिया है। सरकार और हमारे मन्त्रीजी बार बार यह कहते हैं कि जुलाई से पहले चुनाव कराने को मेरे पास पूरा इन्तजाम है। कल भी मन्त्री जी ने इस सदन की फ्लोर पर कहा है कि जुलाई से पहले चुनाव करा देंगे। यह प्रोग्राम है। उन्होंने वह प्रोग्राम पढ़ कर सुनाया और हमको कन्विन्स कराना चाहा। पर मेरी समझ में नही आया कि जब यह कहा जा रहा है कि जौलाई तक चुनाव करा देंगे, फिर ६ महीने की मियाद और बढ़ाने की यह बात किस नायाब दिमाग के सदस्य के दिमाग में आई। मैं यह समझता हूं और कल मैंने स्पष्ट शब्दों में निवेदन किया था अध्यक्ष महोदय, कि यह ६ महीने की मियाद बढ़ाना एक बड़ा षड्यन्त्र है।

[श्री मानसिंह मझार]

दूसरी बात इसके साथ साथ यह है कि जो ये नोमिनेटेड बोर्ड्स हैं, इनको सरकार अगस्त महीने तक किसी तरह चालू रखना चाहती है, ताकि अगले चुनावों में सरकार को उनसे लाभ पहुँच सके। ऐसी सूरत में माननीय अध्यक्ष, चूंकि १० मिनिट मुझे बोलते हुये हो चुके हैं इसलिए अधिक न कहकर सदन से आशा करूंगा कि जिन लोगों ने सिलेक्ट कमेटी में यह चीज रखी है और सरकार ने यह बात कही है कि अब हमको जुलाई तक का समय दिया जाय और सिलेक्ट कमेटी कहती है कि अभी जनवरी तक तुम लोग चरो, इसको हम रोकना चाहते हैं। जनवरी तक सुलह करें। हम इनको नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि नोमिनेटेड बोर्ड हैं कल या परसों यानी तारीख २६ को जब इनकी मियाद खत्म हो रही है, ये आखिरी सांस ले रहे हैं, इनको खत्म कर दिए जावें और इनका खत्म होना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, उनको बहुत जल्दी खत्म कर देना चाहिये और उनको खत्म करने में सरकार को डरना नहीं चाहिये। सरकार को उनको खत्म करके उनकी संपत्ति को अपने हाथ में लेने का इन्तजाम करना चाहिये। और जब नया चुनाव हो और जो चुन कर आयेगा उसको यह अधिकार सुपुर्द कर दिया जावेगा। यह जो एमेन्डेंड बिल है, वाजिब नहीं है। अगर सरकार ने नोमिनेटेड बोर्डों को समाप्त नहीं किया और उनको प्रोत्साहन देते रहे तो अगले चुनावों तक जनता इनको स्विलट अप कर देगी। (समय सूचक घंटी) इसलिए मैं सरकार से यह आशा करूंगा कि वे इस क्लॉज़ को ड्रोप करके सदन में सद्भावना का परिचय देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता [स्वायत शासन मंत्री]—अध्यक्ष महोदय, इस एमेंडेड बिल पर बहुत सी बातें कही गई हैं और इस विषय में मैं फिर सदन की जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि यह जो एमेंडमेंट है इसकी दो मंशा हैं। एक तो इसकी मंशा यह है कि इस क्लॉज़ को अगर समाप्त कर दिया जावेगा तो आयन्दा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो बनने वाले हैं उनके लिये कोई म्याद नहीं रहेगी और दूसरा मतलब यह होगा कि जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काम कर रहे हैं, आज की तारीख से नहीं बल्कि २६ जनवरी, १९५६ से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वे खत्म हो जावेंगे। इस संबन्ध में बहुत सी बातें कही हैं। और मैं माननीय अध्यक्ष, इस संबन्ध में नम्र निवेदन करूंगा और पहले भी मैंने निवेदन किया था और कल भी किया था कि नोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रखने का सरकार का कतई इरादा नहीं है। हमारे हाथ की बात हो तो कल खत्म कर सकते हैं। मगर आज होता क्या है, यदि हम इसकी मियाद नहीं बढ़ाते हैं तो इस एक्ट के अन्दर जो दफा दी है उसके माफिक कानून के अनुसार सरकार कोई एडमिनिस्ट्रेटर कायम नहीं कर सकती, क्योंकि कानून में कोई इस प्रकार का प्रोविज़न नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था और फिर भी यही निवेदन करता हूँ। इसके अंतर्गत जयपुर डिवीजन में ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नहीं आते इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहां बोर्ड हैं उसके लिए भी मियाद करना जरूरी है। मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि ये नोमिनेटेड बोर्ड नहीं होने चाहिए और इसके लिए मैंने पहले

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

भी निवेदन किया था जो नोमिनेटेड बोर्ड हैं, अनडेमोक्रेटिक हैं और उनको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी आप को विश्वास दिलाया था कि ये तीस तारीख के बाद नहीं रहेंगे। २६ जुलाई को चुनाव कराया जावेगा। अब इसमें १॥ वर्ष के बजाय २ वर्ष की मियाद करने की जरूरत है। मैं यह कहूंगा कि २६ जुलाई तक वेट करने की जरूरत है, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दिये जावें और ये स्पिलिट अप हो जावें। यह कैसे हो सकता है कि ये समाप्त कर दिए जावें। जिनके हाथों में लाखों रुपयों का कारोबार चलता है। वह सब खत्म हो जावेगा। इससे बहुत गड़बड़ी हो जावेगी मैं समझता हूँ कि इसका कितना भयंकर परिणाम होगा यह आप को मालूम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य जैसा मैंने उन्हें फिर विश्वास दिलाया, उस विश्वास को मानते हुए इस पर प्रेस नहीं करेंगे।

दूसरी बात चुनावों में देरी के बारे में कही गई। मैंने पहले ही माननीय अध्यक्ष, जिक्र किया कि पंचायतों के चुनाव हो जावेंगे और जल्दी हो जावेंगे इसके लिए गवर्नमेंट काफी प्रयत्न कर रही है और किया है और अब इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के लिए पंचायतों का चुनाव होना ओबलीगेट्री है। पंचायतों का चुनाव कहीं कहीं पर नहीं हुआ इसके लिये मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह गवर्नमेंट की गलती नहीं है। यह आपस में झगड़े होने के कारण वहां पर इलेक्शन पंचायतों का नहीं हो पाया और कहीं कहीं पर एक एक जगह पर ६, ६ बार चुनावों के लिए तिथि मुकर्रर करने पर भी चुनाव नहीं हो पाए, उसका खास कारण आपसी झगड़े थे इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है? मैं तो यह कहूँगा कि गवर्नमेंट तो हमेशा हिदायत करती रही कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जावें। इसके अलावा कहीं कहीं पर पंचों के चुनाव में फैसले हुए उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट हुई और उसकी वजह से भी देरी हुई। लेकिन मैं यह कहूंगा कि सरकार की भी यह मंशा कतई नहीं थी कि पंचायतों का चुनाव जल्दी से जल्दी समाप्त नहीं कराया जावे। मैं तो यह समझता हूँ कि इस समय बहुत कम जगह बाकी है जहां चुनाव होना बाकी रहा है। दो या चार जगह ही बाकी होंगी जहां पर चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं और वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव करने की व्यवस्था की जावेगी इसके अलावा यह भी कहा गया कि सरकार चुनावों के लिये कोई स्टेप नहीं ले रही है। मैं यह निवेदन करूंगा और कहूँगा कि सदन के सभी सदस्यों को यह मालूम है कि दोनों तरफ के सदस्यों ने यह कहा था कि समय बहुत कम है, इसलिए जिस तारीख से वार्ड बने उसका गजट में नोटिफिकेशन करा दिया जाए। मैं यह कहूंगा कि हमको कई जगह मजबूर होकर चुनावों को स्थगित करने पड़े। मैं अब भी आपको यह कहता हूं कि २६ जुलाई तक चुनाव हो जावेंगे अगर कोई ऐसी बात हो जावे कि जो गवर्नमेंट के पॉवर के बाहर को हो तो दूसरी बात है, इससे तो चुनाव अपने आप रुक जावेंगे या कोई ऐसी बात हो जावे जो अभी फोरसीन नहीं हो। २६ जुलाई को चुनाव हो जावेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको पोस्टपोन किया जाए। गवर्नमेंट की मंशा कतई इसको पोस्टपोन करने की नहीं है। सरकार देश में अनडेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायम रखना नहीं चाहती। मैंने कल भी आपको विश्वास दिलाया और मैं समझता हूँ कि इस विश्वास के बाद माननीय सदस्यों ने एमेन्डमेंट

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

मूव किया है वापिस ले लेंगे। और सिलेक्ट कमेटी ने इसको युनेनिमसली पास किया उसी तरह से पास करेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, मैं एक बात कहूंगा। जब गवर्नमेंट इस बात को खुद मानती है कि मनोनीत बोर्डों को कायम नहीं रखना चाहिये तो गवर्नमेंट को चाहिये कि उनसे पॉवर अपने हाथ में ले ले और उनको समाप्त कर दे। जब हाउस की यह ओपीनियन है कि यह अनडेमोक्रेटिक है और जब आपके पास इसकी रिपोर्ट है कि पब्लिक फण्ड के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है तो फिर समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट उनको क्यों कायम रखना चाहती है? क्या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि उनसे पॉवर लेकर खुद इन्तजाम करे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिये चुनाव कराना होगा। मैं खुद यह चाहता हूं कि अनडेमोक्रेटिक बोर्ड नहीं रहें लेकिन मजबूरी यह है कि कानून में इसके लिये कोई प्रोविजन नहीं है। इसके अलावा सरकार को पॉवर लेने की जरूरत इसलिये महसूस नहीं होती कि जुलाई में इलेक्शन समाप्त हो जावेंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी।

श्री भैंरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मनोनीत किये हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में इस सदन में जो कुछ जिक्र किया गया उसी जिक्र के कारण माननीय मन्त्री महोदय ऐसा महसूस करने लगे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो मनोनीत किये हुए हैं, वे सब अन डेमोक्रेटिक हैं। उन सबको समाप्त किया जाना चाहिये था। लेकिन इस खुशी के साथ साथ मुझे इस बात का दुख है कि वे स्वयं महसूस करते हुए भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कानूनी दिक्कत उनके सामने आ रही है। अभी पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन के आधार पर एक माननीय सदस्य ने इस बात की जानकारी चाही कि जब आप स्वयं यह चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समाप्त कर दिये जांय, इसमें दिक्कत कौन सी आ रही है? माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री, अगर उनको जो इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिये मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा देंगे ताकि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समाप्त हो जांय और सरकार को यह अधिकार हो जाय कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कार्य संचालन के लिये उनका चार्ज लेने के लिये एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द कर सकें हम उनकी इस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं अगर माननीय मन्त्री महोदय की दिक्कत दूर हो गई तो माननीय मन्त्री स्वयं ऐसा महसूस करेंगे कि विरोधी दल के सदस्य कोआपरेट करना चाहते हैं, आज जो उनकी विवशता है है उसको हम दूर नहीं कर सकेंगे तो यह हमारे लिये ठीक नहीं होगा। इस समय ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह सरकार अवश्य महसूस करने

[श्री भैंरूसिंह]

लग गई है कि इनको समाप्त करना है। और यह अनडेमोक्रेटिक है इनसे किसी भी प्रकार जनता का भला नहीं हो सकता। उनकी मजबूरी को दूर करने के लिये मैं दुबारा निवेदन करूंगा कि मुझे एक अवसर दिया जाय ताकि मैं संशोधन प्रस्तुत कर सकूं और जिसमें माननीय मन्त्री महोदय की भावनाओं का समावेश कर सकूं और जो उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनको दूर कर सकूं। अगर माननीय अध्यक्ष, मुझे आपसे इजाजत मिल जायगी तो मैं माननीय मन्त्री महोदय की सेवा कर सकूंगा। अगर मुझे दूसरा संशोधन पेश करने की अनुमति नहीं मिली तो मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार करके माननीय मन्त्री जी की बातों का समर्थन करेंगे, जो यह नहीं चाहते कि इस प्रकार के अनडेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायम रहें, उनको खत्म किया जा सके और कल इतवार है फिर भी वे दूसरा संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर दें, जिसमें सरकार मे अधिकार ले लें, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट करने का इस तरह से उनकी जो इच्छा है वह पूरी हो सकेगी। मेरी यह इच्छा है या नहीं किन्तु माननीय मन्त्री जी की इच्छा स्पष्ट रूप से है, माननीय मन्त्री महोदय स्वयं चाहते हैं इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छा पूर्ति के लिये सहयोग दें, सहयोग देने के लिये मेरे संशोधन को स्वीकार करें इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे और इन्हें आप दूसरा संशोधन लाने की इजाजत देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—संशोधन लाने की उनको छूट है, वे चाहे किसी भी समय ला सकते हैं।

You can bring it at any time you like.

श्री वेदपाल त्यागी—This is the test of the statment that he has made whether he wants to do it or not.

राज श्री हिम्मत सिंह—Will you allow him to move this amendment ?

श्री अध्यक्ष—अगर कोई निस्वार्थ सेवा स्वीकार होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री भैंरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह बिल्कुल निस्वार्थ सेवा है और खास तौर से माननीय मंत्री महोदय की स्वयं की सेवा है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक ऐसा अमेन्डमेन्ट मूव कर सकता हूँ जिसमें सरकार को यह अधिकार हो जाय कि वे इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष—आपने इनके उत्तर को समझा नहीं।

श्री भैरूसिंह—अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है थोड़ा समय मुझे दिया जाय ताकि माननीय मंत्री महोदय की इच्छा पूर्ण हो सके बहुमत में होते हुए भी अगर उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो यह ठीक नहीं होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लीगल बात है इसको डिस्कस करना पड़ेगा केवल अमेन्ड-मेन्ट से काम चलने वाला नहीं है। You will have to move an amendment or insert a new clause empowering the Goverenment to appoint an Administrator in this case.

श्री भैरूसिंह—अध्यक्ष महोदय, हम जो अधिकार देने की बात कर रहे हैं। मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेने से ही वे डिजोल्व हो जायेंगे। एक खामी तो पूरी होगी। रही एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट करने की बात सो हम दूसरा संशोधन लाकर वह भी अधिकार दे देते हैं। कानून जानने वाले और कानून के विशेषज्ञ यहां बैठे हुए हैं हम यह दावा करते हैं कि जो भी संशोधन प्रस्तुत किया जायगा उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डिजोल्व होने के बाद जो अधिकार आपको चाहिये अभी दे देते हैं, दो मिनिट में इससे आपकी इच्छा की पूर्ति भी हो जायेगी और जनता का भला हो जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, यह जो बातें कही जा रही हैं, इससे कोई सम्बन्ध नहीं। वर्तमान में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उन्हें वे २६ जुलाई को इल्लीगल करने जा रहे हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—अगर ये क्लॉज डिलीट कर दिया जाता है तो पुराने जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं वे खत्म हो जायेंगे। अगर उनकी जगह गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करती है, तो कोई कानूनी दिक्कत आने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—I shall put it to vote.

राज श्री हिम्मत सिंह—इस क्लॉज को डेफर कर दिया जाय।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—डेफर करने का सवाल नहीं है, कानून इल्लीगल है। यह सेपरेट पॉवर देते हैं तो उसको अलग माना जायगा।

राज श्री हिम्मत सिंह—इससे केयोस पैदा हो जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इससे केयोस का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट करने का अधिकार देने का सवाल है, वह तो अलग से दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—निस्वार्थ सेवा मिलेगी, यह तो कल्पना है ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूंसिंह जी ने जो रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ३ व ४,

इनमें कोई संशोधन नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ३ और ४ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ३ व ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज ५

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ५ में मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।
That clause 5 be amended as follows:—

"Sub Section (1) of section 12 of the principal Act be amended a follows:—

Page No 24

[श्री भैरूसिंह]

The words 'in accordance with the system of proportional representation by means of single transfarable vote' be substituted by the words 'in accordance with the system of direct election.'

अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह मूल अधिनियम सदन में प्रस्तुत हुआ था और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनावों के सम्बन्ध में किस पद्धति को अपनाया जावे, इसके सम्बन्ध में जब विचार हुआ उस विचार के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया जावे, उससे पूर्व हमारे समक्ष पंचायतों का एक चित्र था। हम यह चाह रहे थे कि राजस्थान में पंचायती राज्य कायम होगा। पंचायती राज्य कायम करने के लिए हम पंचायतों का निर्माण करके और पंचायतें स्थापित करने का हम ने एक कानून बना दिया था। इसमें उस समय किसी को ऐसी कल्पना नहीं थी कि हम पंचायत राज में किस प्रकार की अव्यवस्था हमें पंचायतों के चुनाव करने से लेकर अंत तक देखने को मिलेगी, राजस्थान के कोने कोने से आज इस बात की आवाज बुलन्द की जा रही है कि जिस प्रकार का पंचायती राज यहां कायम हुआ है उससे हमें किसी प्रकार के सुख की कल्पना नहीं है। पंचायती राज्य के इतिहास में जब इसने अपने प्रारम्भिक काल में जनता की इस प्रकार की राय अपने पक्ष में बनवाई है तो इस बात का भय है कि जिस पंचायत राज्य की कल्पना करके हम आगे बढ़ रहे हैं, वह कल्पना किसी हद्द तक निरर्थक सिद्ध होगी।

पंचायतों के विषय को लेकर इस सदन में भी कई बार चर्चा हुई। लेकिन जिस समय कानून बना था उस समय यह कल्पना बिलकुल नहीं थी। अवश्य कई माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में यह बात थी उन्होंने अपनी राय सदन में भी प्रस्तुत की थी कि जिस प्रकार यह तरीका है और उस तरीके से जो पंच चुने जावेंगे, यह तरीका गलत है। पर इस चुनाव के तरीके का, इस चुनाव से बने पंचों का आगे चलकर क्या असर होगा वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बना, उस दिन मालूम हुआ। उस समय एक बात कहकर कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव करावेंगे, सारी बातों को सारे बहम को समाप्त कर दिया। सबने देखा कि जो पंच चुने जावेंगे वे अच्छे पंच चुने जावेंगे, पंचायतों का यह एक अच्छा एलक्टोरोल बनेगा और वे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में वोटर बनेंगे। हम कई दिनों से इसी सन्तोष में थे कि चलो यह अच्छी बात रहेगी।

श्री अध्यक्ष—This clause only relates to the system of elections.

श्री भैरूसिंह—वही तो बात कर रहा हूँ साहब।

श्री अध्यक्ष—And the Hon'ble member should confine his arguments to it.

श्री भैरूसिंह—वही अर्ज कर रहा हूं। इस तरह से एक अच्छे इन्डाइरेक्ट इलेक्शन का आश्वासन मिला था। पहले उसका जिक्र करके आगे और जिक्र करूंगा। जब

[श्री भैंरु सिंह]

वे आश्वासन पूरे नहीं हुए तो डाइरेक्ट इलेक्शन की रीति अपनानी चाहिये । मैं कह रहा था कि हम उस समय विश्वास में थे कि इनडाइरेक्ट इलेक्शन की पद्धति अपना रहे हैं इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर चुनाव होंगे, और हमने एक मत होकर इस बात की स्वीकृति दी।

लेकिन आज हम, उस चुनाव के तरीके को बदलने को तैयार हो गये । प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर चुनाव कराने में कठिनाइयां होती हैं इस बात को सम्मुख रखकर जो सर्व सम्मत सिद्धान्त हैं उसको बालाये ताक रखने की चेष्टा की है। पंचायतों के चुनाव गलत हो गये, इलेक्टोरोल क्लॉज गलत बन गया । अब उसके आधार पर हम इनडाइरेक्ट इलेक्शन, का मूल सिद्धान्त होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का, उसके स्थान पर, हम मेजोरिटी के आधार पर जो चुनाव होगा, उसकी व्यवस्था करें, यह अनुचित चीज है। दो मोटी बातें हैं। इनडाइरेक्ट और डाइरेक्ट इलेक्शन । डेमोक्रेसी के मोटे सिद्धान्त हैं कि माइनोरिटी को प्रोटेक्शन दिया जाय। पर हम इस बात से दूर हट रहे हैं, लीगल तरीके से उसको प्रोटेक्शन देने की बात से हिचक रहे हैं, पर मेजोरिटी के बल पर हम एक ऐसी चीज को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक ऐसे गुट को, एक ऐसी जाति को प्रोटेक्शन दे रहे हैं इल्लीगल तरीके से कि उसका क्या परिणाम होगा वह हमारे सामने प्रत्यक्ष है ? इस सदन में तो नहीं पर आज तक सन् १९४७ के पहले कांग्रेस ने इस चीज को अपनाया । उसने इल्लीगल तरीके से कम्यूनल माईनोरिटी को प्रोटेक्शन दिया इसका नतीजा हमने भोगा, आज जब एस. आर. सी. का बिल हमारे सामने आया उसमें भी इसका उल्लेख है । उसके भी जो परिणाम हुये हमारे सामने हैं और जो भी परिणाम होंगे वे भी हमें भुगतने होंगे, लिंगुवल माईनोरिटी को प्रोटेक्शन देना चाहिये इस तरह जहां लंगवेस्टिक पेटर्न को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, वहां परटीक्यूलर माइनोरिटी को प्रोटेक्शन दें, यह नहीं आता । क्यों नहीं आता ? कम्यूनल माइनोरिटी को प्रोटेक्शन देने से देश के टुकड़े भले ही हो जावें, इसकी उनको चिंता नहीं, इससे विघातक प्रवृत्तियां उत्पन्न हों इसकी चिन्ता नहीं, पर पोलिटकल माइनोरिटी नाम की चीज को प्रोटेक्शन नहीं दिया तो हमारे इस दल को, हमारी इस पार्टी को, इस प्रकार का धक्का पहुंचेगा, और इस धक्के को बरदाश्त नहीं कर सकेंगे । देश के टुकड़े होने के धक्के को बरदाश्त कर लेंगे, देश में ? विघाति प्रवृत्तियों को पैदा करनेवाली किसी चीज को बरदाश्त कर लेंगे, पर संगठन को समाप्त करनेवाली कोई चीज आती है तो यह स्वीकार नहीं करेंगे। माइनोरिटी यह नहीं कहती कि हम संगठन को समाप्त करेंगे । पर कभी हो सकता है आप भी अल्पमत में हों और तब आप भी यह इच्छा करें कि मेजोरिटी सब सीटें स्वयं न ले जाय, हमारे भी प्रतिनिधि वहां पहुँचे, तब आप सोचेंगे कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टशेन कितना अच्छा है । पर आज तो केवल एक ही कल्पना के मातहत कि हमारा दल हमेशा सत्ताधारी रहेगा, हम कभी हारने वाले नहीं इस कल्पना को लेकर कानून बनाया जा रहा है इसलिये कोई भी

[श्री भैरूंसिंह]

माइनोरिटी ग्रुप का आदमी इस कानून के आधार पर किसी प्रकार से जनता को रिप्रेजेन्ट कर नहीं सके इस बात को सामने रखकर इस प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है।

मैं कह रहा हूँ कि फौरेन कन्ट्रीज में भी, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, नहीं तो अभी मन्त्रीजी फिर यह कह बैठेंगे कि मैं तुम से ज्यादा लिखा पढ़ा हूं पर मैं बताऊं ज्यादा पढ़ा लिखा होने से ही कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसने सब चीजों को देखा है। कम पढ़ा लिखा आदमी भी किसी मामले में ज्यादा पढ़े लिखे आदमी से ज्यादा जान लेता है। तो मैं बताऊं कि पोलिटिकल साइन्स पर काफी किताबें लिखी गई हैं, उन में सब जगह इन बातों का उल्लेख है कि डेमोक्रेसी उस समय गलत हो जावेगी, घातक हो जावेगी, बुरी साबित हो जावेगी, जब कि हम माइनोरटीज को संगठित नहीं कर सकेंगें। यह डेमोक्रेसी नहीं, जिसमें अल्पमत को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं, वह डेमोक्रेसी की सरकार नहीं, जिसमें अल्पमत को प्रोटेक्शन नहीं, वह तो एक दूसरे ही प्रकार की सरकार होगी। तो मैं फिर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां हम इस सिद्धान्त को लेकर चलते हैं कि माइनोरिटी को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिये वहां हमें ये बातें माननी होंगी, उस कुचलने का इरादा छोड़ना होगा। या फिर हम साफ कह दें कि माइनोरिटी को हमें प्रोटेक्शन नहीं देना। पर जब प्रोटेक्शन देने की हम बात करते हैं तो उस सम्बन्ध की जितनी भी जरूरी जरूरी बातें हैं उनको स्वीकार करना पड़ेगा।

पर बद किस्मती है कि आज राजस्थान का बहुमत दल इस बात की शुरूआत कर रहा है कि डेमोक्रेसी के इस मोटे सिद्धान्त को खड्डा खोदकर उसमें डाल दिया जावे और उस पर मिट्टी डाल दी जावे। राजस्थान को छोड़ कर कौनसा अन्य प्रान्त है भारत में, जिसमें डाइरेक्ट इलेक्शन के बाद प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की बात को नहीं माना गया हो। पर आज राजस्थान इसकी शुरुआत कर रहा है अपनी एक पार्टी को बचाने के लिये, और पार्टी में भी एक जाति विशेष को बचाने के लिये शुरुआत कर रहा है। इन बेजा इलेक्शन के कारण से एक जाति विशेष इसमें पनपी है और वह ग्राम पंचायत इलेक्शन में और तहसील पंचायत इलेक्शन में उसने धींगामस्ती से अपना बहुमत बना लिया है। उसी तरह से बहुमत के बल पर आज इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर भी अधिकार कर लेने की इनकी योजना है। तो यह सारी की सारी बनी बनाई योजना है उनकी और इस योजना को बैक डोर से क्रियान्वित करने के लिये माननीय मन्त्री महोदय के मुख से इस बात को कहलवाया जा रहा है कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की पद्धति में कई डिफिकल्टीज हैं, जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता। मैं कहूं कि शायद यह हमारी बदकिस्मती है कि जिस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे यहां पनप रही है उससे मन्त्री महोदय परिचित नहीं हैं। वे उस वातावरण में रह रहे हैं जहां इस प्रकार की विघातक प्रवृत्तियां अभी पनपी नहीं हैं अगर पनप जातीं तो मेरी जैसी हालत माननीय मन्त्री महोदय की होती। वे मन्त्री नहीं होते और एक आर्डिनरी सदस्य होते तो जोरों से कहते कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की प्रवृत्ति पनपाई जावे। पर बदकिस्मती से आज वे मन्त्री हैं। उनको तो इससे

[श्री भैंरू सिंह]

खुश होना चाहिये कि अल्पमत को न्याय मिल रहा है और एक अच्छी चीज को अपना रहे हैं पर बदकिस्मती है कि आज मन्त्री होकर भी सही बात को स्वीकार नहीं करते । वे स्वयं महसूस करते हैं कि डेमोक्रेसी के मूल सिद्धान्तों पर घातक प्रहार नहीं करना चाहिये, पर आज वे मजबूर हैं । केबीनेट के डर से, अपनी पार्टी के डर से, एक विशेष दल के दबाव के कारण से, जो उस दल पर छाया हुआ है, वे आज स्वतन्त्र नहीं हैं कुछ करने और सोचने के लिये । पर उन्हें सोचना चाहिये कि सिद्धान्त का पालन एक तरफ है और कठिनाइयां एक तरफ हैं । कठिनाइयों से घबरा कर सिद्धान्त को नहीं छोड़ना यह उनकी मूल नीति होनी चाहिये । पर अफसोस है कि वे उस रास्ते को अपना नहीं रहे हैं ।

अगर वास्तव में उनको सिद्धान्त का ही पालन करना है और कठिनाइयों का कोई हल निकालना है तो यह हल भी निकल सकता है । मैं बताऊं आपको इसका हल । आप इन्डाइरेक्ट के के स्थान पर इसका डाइरेक्ट इलेक्शन करवा दें । इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी । फिर वह जैसा सिंगल मेम्बर कान्सटीटूएन्सी बनाना चाहें वह बना लें, अगर डबल मेम्बर कान्सटीटूएन्सी बनाना चाहें वह बना लें । इससे तहसील का चुनाव कराना चाहें तो करा लेंगे जिले का चुनाव कराना चाहें तो करा सकेंगे । इसमें कोई दिक्कत नहीं । माइनोरिटी, मेजोरिटी की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी । जैसे पार्लियामेन्ट का और असेम्बली का डबल मेम्बरों का चुनाव एक ही साथ हो जाता है तो उसी प्रकार तहसील पंचायतों का और जिला बोर्डों का चुनाव भी एक साथ इन्डाइरेक्ट के स्थान पर डाइरेक्ट पद्धति से हो जावे । इस प्रकार आप डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली डाल दें । पंचायतों के चुनावों में डाइरेक्ट चुनाव जैसे करते हैं वैसी तैयारी हम कर लें । तो इससे सबको तसल्ली होगी । इन्डाइरेक्ट इलेक्शन के आधार पर जो प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के तरीके पर चुनाव हो जाने चाहिये थे उन दोनों चीजों को स्वीकार करते हुए सरकार के सामने जो कठिनाई आ सकती है, उसको दूर करने के लिये इस तरीके का दूसरा सब्स्टीट्यूट है, न्याय संगत सब्स्टीट्यूट हो सकता है; इस प्रकार की डाइरेक्ट इलेक्शन की पद्धति को अपनाना है ।

माननीय अध्यक्ष, जहां तक इन्डाइरेक्ट और डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणालियां है दोनों ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रह सकता । जहां तक इन्डाइरेक्ट प्रणाली है उसका इलेक्ट्रोल कालेज किस प्रकार से हो, किस प्रकार के पढ़े लिखे लोग वहां है, डेमोक्रेसी के बारे में उनको कितना ज्ञान है, अपनी रेस्पोन्सीबिलीटी क्या है, उस रेस्पान्सीबिलिटी को रियेलाइज करने के सम्बन्ध में वह कितने जागरुक हैं ? इन चारों बातों को देख कर हमें आगे चलना पड़ेगा कि इन्डाइरेक्ट इलेक्शन हमारे यहां किस तरह से लाभ दायक सिद्ध हो सकते हैं ? पंचायतों का चुनाव हुआ, ५–७ पंच बन गये और उनको अधिकार दे दिया तहसील के पंचो को चुनने का, और उनको अधिकार दे दिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव करवाने का । जहां तक उनको अधिकार दिया है एक व्यक्ति को चुनने का वह ठीक हो सकता है । तहसील पंचायत को चुनने का उन्हें अधिकार है तो फिर दुबारा उनको अधिकार दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव करवाने का तो मैं समझता हूँ यह ठीक नहीं है । इससे जनता का पूरा रिप्रेजेन्टेशन नहीं बनता है, क्योंकि पंचायतों के पचों ने उनका चुनाव किया है तहसील पंचायत में, और अब दूसरा चुनाव भी उन्हीं से करवाते हैं । वह इस लिए बनाये गये

Page No 28

[श्री भैरूंसिंह]

है कि पंचायत राज्य की मूल भावनाओं को कार्य रूप में लायें और अपने वे पंचायत क्षेत्र को जाने की जिस प्रकार से सेवा कर सकते हैं उसी प्रकार से सेवा करें। उसका कोई यह मतलब नहीं है कि वह अपने ऊपर के अफसरों को मनोनीत करने के लिए, अपने ऊपर के अफसरों को चुनने के लिए, अपने से ऊपर वाली संस्था का निर्माण करने के लिए भी हम उनको अधिकार दें। पंचायतों के पंचों को यदि हम अधिकार देते हैं तो वह अधिकार सीमित होने चाहिए, और उन्हें हमने अधिकार दे दिया है तहसील पंचायत के चुनाव करवाने का और अब हम यहां उनको वैसे ही डबल पावर्स दे रहे हैं। यदि हर जगह पावर्स का उपयोग करने का अधिकार हम उनको दे देते हैं तो मैं समझता हूँ यह अन्यायपूर्ण होगा। एक बार हमने उनको तहसील पंचायत के पंचो को चुनने का अधिकार दे दिया तो फिर बाद में आवश्यकता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव का अधिकार उन व्यक्तियों के हाथ में देना और उस तरीके से देना कि जिसका किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं हो तो मैं निवेदन करूंगा कि उस प्रणाली को छोड़ दें।

तो दूसरा तरीका है डाइरेक्ट इलेक्शन का। उससे एक जिले में जिला बोर्ड का निर्माण करना है तो उस जिले में इस बात की चिन्ता नहीं है कि कौन किस जाति का है, कौन किस दल का है, कौन कैसा काम करने वाला है, हमारे सामने तो जिले का दृष्टिकोण रहेगा। हमारे सामने यह दृष्टिकोण रहेगा कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति जिले के कार्य के लिए, जिले के विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए चुनकर भेजें, और सारे आदमी अपना मतदान दे कर जिले के अच्छे आदमी को उस पर काम करने के लिए भेजेंगे। सब अपनी रेस्पोन्सीबिलिटी फील करेंगे। सब का उससे डाइरेक्ट सम्बन्ध होगा और इसलिए मैं समझता हूं कि वे लोग अच्छे आदमी को भेज सकेंगे। माननीय अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो पावर्स दिये हैं वे एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं बल्कि डेवलपमेंट के विकास सम्बन्धी कार्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अधिक से अधिक करेगा इस की व्यवस्था की गई है, मूल अधिनियम के द्वारा। जब यह व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विकास कार्यों का सम्बन्ध पंचों से नहीं होगा, बल्कि सीधा जनता से होगा। सीधा उन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने वाला है जो कि उसकी उस चीज के लिए डाइरेक्टली रेस्पोन्सीबल हैं। हमारे श्रम की आवश्यकता हो सकती है हमारे धन की आवश्यकता हो सकती है। हर प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है और पंच कहेंगे कि सहयोग देना पड़ेगा तो नहीं देंगे लेकिन यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य डाइरेक्टली उनके प्रतिनिधि बन सकते हैं, तो वे जाकर जनता से कहेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विकास के कार्यों में अपने हाथ में लेंगे तो उसमें जनता सहयोग देगी और उस वक्त वे पंचों की मन्शा पर सहयोग देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जनता के बीच में पंच आते हैं। इन पंचों को हटाने से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स और जनता के विकास के कार्यों के लिए सीधा संबंध स्थापित होगा। इसलिए डाइरेक्ट चुनाव प्रणाली को देखें तो उसमें बुराइयां भी हैं, और अच्छाइयां भी हैं; लेकिन आज की परिस्थितियों में मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली उचित है उस प्रणाली को मानना चाहिए। उस प्रणाली को मानकर जो मेरा संशोधन इस बात का है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए।

[श्री भैरूंसिंह]

मेरे इस प्रस्ताव की पुष्टि में यदि मैं यह कहूं कि जितने भी फोरेन कन्ट्रीज हैं उन कन्ट्रीज के बारे में जानकारी करते हैं तो सब का नाम ले ले कर कहें तो डाइरेक्ट प्रणाली और इन्डाइरेक्ट प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के साथ हो या नहीं हो तो वहां इस प्रथा के रूप में डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रथा को स्वीकार किया जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि, माननीय अध्यक्ष, कि माननीय मंत्री जी की दिक्कत को दूर करने के लिए, जिस दिक्कत के बारे में बार बार कहा जाता है उस दिक्कत को दूर करने के लिए, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करके मांग करता हू कि इन्डाइरेक्ट प्रणाली को हटाकर डाइरेक्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के करा दें ताकि जो हमारी शिकायत है, वह दूर होगी।

मुझे एक विषय पर और कहना है वह है खर्चे पर। माननीय मंत्रीजी यह कहेंगे कि इससे खर्चा बहुत होगा और परेशानियां भी बहुत होंगी। हर गांव में जाना पड़ेगा, वोट्स लेने पड़ेगें, लोगों को प्रचार करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में तो प्रचार होगा ही। डेमोक्रेसी में वोट्स लेने देने के लिए तो खर्चा होगा ही। जो वोट लेने वाला है उसका खर्चा होगा। उसको प्रचार करने के लिए जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि जो वोट लेगा उसका जनता के साथ सीधा संबंध उसी वक्त स्थापित हो सकता है जिस वक्त आप वोटर्स को कन्विन्स कराने के लिए जो कुछ आपने कार्य किये हैं, उसका ब्यौरा देगें। उस ब्यौरे के आधार पर आगे चुनाव में वोट लेगें। इसलिए यदि हम मानें कि इस चीज में खर्चे वगैरह की चिन्ता को बिल्कुल गौण समझ कर एक मोटे रूप में इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लें और मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली का, उस संशोधन को स्वीकार कर लें। यदि माननीय मंत्रीजी स्वीकार नहीं करते हैं तो सदन के माननीय सदस्य मेरा सहयोग देगें, इस आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र ने जो डाइरेक्ट इलेक्शन का प्रस्ताव रखा है तो रखते वक्त वह यह भूल गये कि डाइरेक्ट इलेक्शन के बारे में तो इस वक्त सिलेक्ट कमेटी ने रिकमन्ड ही नहीं किया है, उन्होंने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि यह इलेक्शन इस तरीके से कराये जांय कि जैसे पार्लियामेंट में या स्टेट्स असेम्बली में इलेक्शन्स होते हैं। इसका मतलब साफ है कि सिलेक्ट कमेटी ने यह सिफारिश की है कि डाइरेक्ट इलेक्शन हों और उस कन्स्टीटुएन्सी का हरेक व्यक्ति हरेक के लिए पर्सनली वोट दे।

श्री भैरूंसिंह—यह नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव—यह लोगों की समझ का फर्क है। यह चीज़ अलग है। लेकिन सिलेक्ट कमेटी की राय डेफिनिटली यही है। मैं इसको पढ़कर सुना दूं—

"The Committee while agreeing with the amendment of Section 12 of the Principal Act by this clause desires that the elections to the District Boards should be held in the same manner as the election to the State Assemblies."

[श्री गोपीलाल यादव]

तो स्टेट्स असेम्बलीज़ के तरीके से इलेक्शन होता है और आप डाइरेक्ट इलेक्शन चाहते हैं तो जो आप चाहते हैं वह इसके अन्दर चीज़ आई हुई है। अच्छा, अब सवाल यह रह गया है।

श्री वेदपाल त्यागी—इसमें एब्सरडिटी यह है कि····

श्री गोपीलाल यादव—उस पर मैं आ रहा हूं, I am coming to that.

अब सवाल यह रह गया है कि सिलेक्ट कमेटी के सामने जो चीज़ रह गई है, वह क्या है कि क्लॉज ९ की तरफ उनका ध्यान नहीं गया है और सेक्शन ९ में यह दिया हुआ है कि इलेक्टर्स कौन होंगे ? पंच वोटर्स होंगे, शायद यह चीज उनके दिमाग में आजाती तो सारी गड़बड़ ठीक हो जाती, वह सही कर देते। वह कह देते कि पंच वोटर्स होते हैं तो फिर असेम्बली के डाइरेक्ट चुनाव की तरह डाइरेक्ट चुनाव नहीं होंगे क्योंकि कन्सटीटुएन्सीज बनाने के बारे में एक्ट में कहा गया है कि कन्टीगुअस विलेजेज की कन्सटीटुएन्सी होंगी। पंच जो वोटर्स होंगे वह तो इलेक्ट्रोल कालेज फोर्म करते हैं। तो कन्टीगुअस विलेजेज की कन्सटीटुएन्सी बनाने की बात एक्ट में रखी है। संशोधन जो रखा है उसको मान लेते हैं तो बड़ी एब्सर्ड बात होगी। इससे ज्यादा गलत चीज और नहीं हो सकती। चुनाव हुए तो और पचों से मेम्बरों के वोट लेते हैं तो उनका इलेक्ट्रोल कालेज होगा न कि वेलिड कन्सटीटुएन्सी आप यह कह दें कि १०० पंच हैं। उनकी कन्सटीटुएन्सी होगी तो यह इसमें कहा गया है कन्टीगुअस विलेजेज का इलेक्ट्रोल रोल तैयार होगा, वह विलेजेज का इलेक्ट्रोल रोल तैयार होगा न कि इलेक्ट्रोल कालेज। तो मुझे निवेदन यह करना है कि मालूम यह होता है इस चीज़ के देखने से कि इस एक्ट की स्कीम को सिलेक्ट कमेटी ने समझा ही नहीं है और न कोई ठीक तरह से सिलेक्ट कमेटी को समझा सका है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसमें कि अगर सिलेक्ट कमेटी की राय हो कि जो उन्होंने क्लाज ५ में दिया है वह किस तरह से माना जा सकता है ? उसको मानते हैं तो डाइरेक्ट इलेक्शन का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। डाइरेक्ट इलेक्शन्स अगर उसको मानना होगा तो कन्सटीटुएन्सी उसी तरह से बनेगी जिनसे कि हर एक एडल्ट परसन वोट करेगा। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए यह स्कीम जो कि एक्ट आज बनती है वह अमल में नहीं आ सकती जब तक कि धारा ९ में संशोधन न किया जाय। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा ९ में संशोधन करना जरूरी है यह धारा ९ एमेंडमेंट बिल में नहीं है। स्पीकर महोदय आप इजाजत देंगे, हाउस की मन्शा होगी और मिनिस्टर महोदय चाहेंगे तो कहूंगा कि इलेक्शन किस तरह से होंगे "every adult person residing in the constituenecy." बस इतना सा वहाँ कर दिया जाय और बाद में सिलेक्ट कमेटी ने जो सिफारिश की है वह रखना पड़ेगा। तो यह मैंने निवेदन किया, सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों पर है, क्योंकि उनका संशोधन तो आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट कमेटी डाइरेक्ट इलेक्शन मानती है। अब सवाल यह रह गया है कि सेक्शन ९ को चेन्ज न करते हुए अगर सिलेक्ट कमेटी की रिकमन्डेशन्स का

[श्री गोपीलाल यादव]

पालन करते हैं तो जब धारा ९ को चेन्ज नहीं कर सकते हैं तो फिर सिलेक्ट कमेटी की रिकमन्डेशन्स पर अमल नहीं हो सकता है। आपकी पंचायत में २०० वोटर्स हैं, आपने उनको चार कोन्स्टिट्यु-एन्सीज में बांट दिया, पचास पचास की एक कोंस्टिट्यूएन्सी हो गई और अगर आप उन पचास से सीधे वोट्स लेते हैं। यह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है तो इससे ज्यादा गलत चीज हमारे समझने की और सिलेक्ट कमेटी के समझने की हो सकती है। (विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि) पचास आदमी वोट कास्ट करेंगे तो यह तो डेमोक्रेसी का मजाक हुआ। अगर आप धारा ९ का चेन्ज नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सिंगल ट्रांस्फरेबल वोट जो है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का, वह रखिये। मैं यह इस विषय में भी यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यहां जो यह बात कही गई है कि यह तो डिफिकल्ट है। I shall give my time. चाहें आप तो, I will train your S. D. Os and Collectors in the towns and districts within two months.

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री अध्यक्ष—निस्वार्थ।

(हंसी)

श्री गोपीलाल यादव—निस्वार्थ। दस पन्द्रह दिन की ट्रेनिंग दे दीजिये। दस दिन की भी मत दीजिये। कलेक्टर जैसे आदमी, एस. डी. ओ जैसे आदमी उसको एक दिन में समझ सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। किन्तु सवाल यह आता है कि क्या पचास आदमियों की राय को, क्या आम लोगों की राय का रिफलेक्शन समझेंगे। और वह रिफलेक्शन उसमें डाल सकेंगे, वह करेंगे तो यह ठीक नहीं है। इनडाइरेक्ट इलेक्शन रखना हो तो जो एक्ट में सोच समझ कर प्रोवाइड किया गया है, वही रख दीजिये। वह सोच समझकर रखा गया था। जनता की राय विशेष रूप से ऊपर से नीचे तक हो, उसके साथ चला जाय शुरू से ऊपर तक और इसीलिए इन्डायरेक्ट इलेक्शन रखा जाता है किसी वजह से अगर इन्डाइरेक्ट इलेक्शन नहीं रख सकते है वहां डायरेक्ट करना पड़ेगा। यह सिलेक्ट कमेटी की राय है और मैं समझता हूं कि यही राय माननीय मंत्री जी की भी होगी। कुछ मिसअन्डरस्टेन्डिग्स होंगी। अगर डिफिकल्टी की वजह से कोई दिक्कत आये तो उसको हटा दीजिये। सारा का सारा बिल भी पास हो जायगा। आज डेमोक्रेसी बहुत बढ़ गई है हिन्दुस्तान के आजाद होने के पहले भी आपके पड़ौसी प्रान्त पंजाब में इसके लिए डाइरेक्ट इलेक्शन था। हर एक असेम्बली वोट देती है, जब वोटर लिखा पढ़ा नहीं था तब भी हरएक वोट एडल्ट फ्रेन्चाइज़ के आधार पर वोट कास्ट करता है। एडल्ट फ्रेन्चाइज़ गलत है उस देश में जहां कि वोटर अशिक्षित है। जब तक हिन्दुस्तान का कोन्स्टिटुयशन नहीं बदला जाय, वहां तक तो वही रहेगा। या तो यह कर दीजिये कि पढ़े लिखे ही वोट देंगे। पढ़े लिखे कोन्स्टिटुएन्सीज़ के मैम्बर हो जायेंगे। पंचायतों के आधार पर वे बनेंगे तो वहां वे ही हो सकेंगे जो कि लिखे पढ़े होंगे। मान लीजिये कि दो सौ मैम्बर भी हैं तो वे आपको पढ़े लिखे मिल जाते है, अगर नहीं पढ़े लिखे है तो आप एक सरकुलर भेज

[श्री गोपीलाल यादव]

दीजिये कि जितनी पंचायतों के मैम्बर हैं उनको दो महीने में लिखा पढ़ा दिया जाय और वे दो महीने में लिख पढ़ भी लेंगे।

कल से अोपोजिशन के भाषणों को मैंने सुना और मैंने खुद ने यह महसूस किया कि कल से वे जो कुछ कह रहे हैं वह एक सच्चे दिल की आपसे अपील है।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के नाम पर ही सेक्शन ९ को चेन्ज कर देना चाहिए या उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष, कल जिस वक्त माननीय मंत्री जी ने विचारार्थ जो बहस हो रही थी उसका उत्तर दिया उस वक्त में उन्होंने इस क्लॉज के बारे में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन बाई मीन्स ओफ सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट रखने के बारे में एक कठिनाई यह बताई थी कि यह बहुत दिक्कत तलब है और तहसीलदार जो रिटर्निंग ओफिसर्स होंगे उनको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी और जो वोटर्स हैं, पंच हैं वे किस तरह से वोट देंगे यह भी मुश्किल है और इसके लिए बहुत बड़ी अथोरिटी कोर्ट की थी श्री सुकुमार सेन। यह सब मानते हैं मैं भी मानता हूं और इस राय का हूं कि वोट को कास्ट करना और गिनना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन बाई मीन्स ओफ सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट्स में मुश्किल चीज़ है, यह आसान चीज़ नहीं है। लेकिन यह मानते हुए भी मैं माननीय मंत्री जी से इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह ऐसी मुश्किल चीज़ है तो ऐसा तरीका क्यों अपनायें कि जिससे ऐसी मुश्किल चीजें लेनी पड़ें। हम डायरेक्ट इलेक्शन को ड्राप करके इन्डाइरेक्ट इलेक्शन रखते हैं और एक्ट पास करते हैं, उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन बाई मीन्स ओफ सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट्स रहता है और उसके बाद भी उसपर अमेन्डमेन्ट लाते हैं और वह मुश्किल चीज़ ड्राप कर देते हैं। यह तरीका सिद्धान्ततः गलत होगा। अगर मुश्किल चीज़ को देखकर किसी चीज़ को ड्राप कर देते हैं पुराने जमाने में जो शासन राजा लोग करते थे, आज तो चुनाव होते हैं, डाइरेक्ट इलेक्शन होते हैं, सारे देश के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, यह मुश्किल चीज़ हो सकती है इस तरह से मुश्किल मानना लेकिन उनका तो अधिकार होता था, वहां तो एकतन्त्रीय शासन चलता था, मुश्किल और आसान चीज़ को ही केवल लेते हैं तो वह मुश्किल था, आसान नहीं था, आज तो डेमोक्रेसी है, उसको सपोर्ट है, जनता का सपोर्ट है, प्रजातन्त्र का सपोर्ट है, जहां इस प्रकार की पद्धति नहीं होनी चाहिए थी, वहां भी लोगों ने अनपढ़ लोगोंने, अशिक्षित लोगों ने इसको अपनाया और उन चुनावों में लोगों ने हिस्सा लिया और वे उस चुनाव प्रणाली के आदी हो गये और आज भी उनकी यह मांग है कि इस चुनाव को वही तरीका हो, वही सिम्बल्स हों और उसी तरह बेलेट बोक्सेज में वोट डाले जाने चाहिए। जहां कोई ऐसी मुश्किल बात हो तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। आज कौंसिल ओफ स्टेटस या फाइनेन्शियल कमेटीज़ का चुनाव होता है, हाउस के मेम्बर्स के

Page No 33

[श्री गोपीलाल यादव]

लिए भी पहले वह तरीका मुश्किल था लेकिन अब इसके आदी हो गये, पहली दफा में अगर गलतियां हों भी जांय तो उसूलों के माफिक जो चीज़ हैं उनको स्क्रेप कर देना बड़ी बात होती है, अगर आप इसको मुश्किल समझते हैं तो मैंने कल थोड़ा सा आपसे निवेदन किया था कि आप इसके साथ सेकिन्ड बेलेट इन्ट्रोड्यूस कर दीजिये तो यह आसान होगा। इन्ट्रोड्यूस करने वालों को इस बात की हिम्मत होनी चाहिए कि जो तिकड़म से चुनाव जीत जाते हैं, जो गलती से इधर उधर चक्कर देकर चुनाव जीत जाते हैं वो सेकिन्ड बेलेट वोटिंग में नहीं होगा। उसका सीधा तरीका है, इन्डाइरेक्ट से मिलता है, इलेक्टोरल कालेज के लोग होते हैं, उसमें तमाम थोड़े ही होते हैं, पहली दफा वोट देते हैं, आप उसमें बेलेट बोक्सेज़ रख दीजिये, सात आठ केन्डीडेट खड़े हुए हैं तो उनको बेलेट पेपर दे दीजिये, एक सिंगल मेम्बर कान्स्टीट्यूएन्सी है, जैसा कि आपने बताया करने का इरादा है, जितने भी पंच हैं वे वोट कास्ट करेंगे उनके जो वोटिंग का काउन्टिंग होगा और फर्स्ट टू आवेंगे उनका दुबारा वोटिंग होगा और उन फर्स्ट टू में से ५० परसेन्ट वोट सिक्योर कर सकेंगे वही जीता हुआ समझा जावेगा।

इस सिस्टम में यह साफ बात है कि यदि १०० आदमियों ने चुनाव में हिस्सा लिया है और पहले दो आदमियों को यदि ३० वोट देने हैं और बाकी वोट यदि ६७ आदमियों को जाते हैं तो दुबारा चुनाव होगा तो वे सब लोग जिन्होंने ३० वोट दिये हैं उनके अलावा ७० में से कितने सीक्योर करता है, इस पर चुनाव निर्भर रहता है। इसलिये यदि हिम्मत रखते हैं कि ७० परसेन्ट वोट हासिल करने वाले जीतें तो सेकन्ड बैलट सिस्टम ठीक है और फिट होगा। इनडाइरेक्ट इलेक्शन के तौर पर इससे आपका खर्चा और कठिनाइयों से बचत हो जायगी। आपके सामने जो कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से आप कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेन्शन्स को बदलना चाहते हैं उस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इसलिये यह सिस्टम बहुत बेहतर होगा। आप इस बात को पुन: सोचें और रीकन्सीडर करें और सोच कर तरीका निकालें कि आपको क्या करना चाहिये? आखिर राजस्थान ही दुनिया में एक ऐसा प्रोविन्स नहीं है, दुनिया में राजस्थान ही अकेली स्टेट नहीं है जहां इनडाइरेक्ट इलेक्शन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में दिक्कत आती है जिसकी वजह से कार्यान्वित नहीं कर सकते। आखिर हिन्दुस्तान में और दुनिया में बहुत सी स्टेट्स में जहां इन्डाइरेक्ट तरीके से इलेक्शन होते हैं वहां सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम रखा जाता है। यदि आप चाहें तो दूसरे स्टेट्स की तरह डाइरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम भी रख सकते हैं। यदि आप डाइरेक्ट इलेक्शन से चुनाव करायेंगे तो आपका वह क्रिटिसिज्म जो इस हाउस में सिर्फ अपोजिशन की तरफ से ही नहीं हुआ बल्कि इस तरफ बैठने वाले मेरे साथियों की तरफ से भी हुआ है, वह नहीं होगा चाहे जितनी गड़बड़ियें अनियमितायें पंचायतों के चुनाव में हुई हैं और आपका इलेक्टरोल कालेज इनडाइरेक्ट इलेक्शन के लिये बनेगा वह अनियमितता के आधार पर बनेगा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का निर्माण करेगा, वह आलोचना भी खत्म हो जायगी और आपकी तारीफ होगी कि आपने डाइरेक्ट इलेक्शन

[श्री गोपीलाल यादव]

करवा कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को स्वच्छ तरीके से चुनवाया। इसलिये आपके लिये अच्छा मौका है कि आप शीघ्र ही डाइरेक्ट इलेक्शन करावें। देश में डाइरेक्ट इलेक्शन्स जितने ज्यादा होंगे। उतनी ही ज्यादा ट्रेनिंग आम वोटर्स को होगी और उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा जितना खर्चा होगा, उससे भी ज्यादा फायदा दूसरी तरफ से हम लोगों को होगा, इसलिये यदि आप उसको मुश्किल समझते हैं तो इस डाइरेक्ट सिस्टम को अपनाइये, लेकिन प्रजातन्त्र के सिद्धांत को आप गलत प्रणाली से खत्म नहीं करें। क्रिटिसिज्म होता है, वह होता है लेकिन आप में बहुत माद्दा पेसेन्स से सुनने की है। क्रिटिसिज्म सही हो या गलत हो उसको आप बर्दाश्त कर जाते हैं लेकिन इसका जो नतीजा होता है, वह यह होता है कि आप लोग माइनोरिटीज में जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनको खत्म करने और रिप्रेजेन्टेशन नहीं देने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे दो बातें होंगी या तो वाकई क्रिटिसिज्म खत्म होता है या पोलिटिकल पार्टीज खुद में झगड़ कर खत्म होती हैं और मुल्क देखता रह जाता है कि आखिर पोलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होकर क्या मखौल कर रही हैं। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनः विचार करें और सोचें और गलत तरीके की नींव नहीं डालने दें क्योंकि पंचायतों के चुनाव जिस आधार पर हुए हैं वह आधार कानून की दृष्टि से सही था लेकिन जो तरीका अपनाया गया वह बहुत ही गलत और अनियमित था। वार्ड्स गलत बनाये गये, गलत तरीके से एलोकेशन ऑफ सीट्स किया गया, गलत तरीके से जिस समय चुनाव कराये गये उस समय दूसरे गांवों से गलत वोटर्स का इन्क्लूशन किया गया, किसी स्थान पर केन्डिडेट जीता कौन है और जिताया किसी और को है। इस तरीके से अनियमितता करके चुनाव गलत ढंग से कराये गये। और अब इन्डाइरेक्ट इलेक्शन कराकर कौन सी प्रणाली को आप जन्म देना चाहते हैं और कौन से प्रजातन्त्र के ढांचे की परम्परा को हमारे सामने रखने जा रहे हैं, इसको आप सोचें।

मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूँ, जो यादव जी ने बताई जो आपने डाइरेक्ट इलेक्शन का तरीका बताया है, यदि आप उस बात को मान लें तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जायगा लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक नहीं समझा—

while accepting the amendment manner of elction उन्होंने Assemblies का रखा है। अमेंडमेंट जो है उसमें मेनर ऑफ इलेक्शन में असेम्बलीज में बैलेट बॉक्सेज रखे जाते हैं उस तरह से बैलेट बोक्सेज रखाये जायेंगे और सीक्रेट वोटिंग से इलेक्शन होगा। इसको मैं गलत समझा होऊं या दूसरे साथी समझे हों तो मंत्री जी ठीक करदें। यदि यह ठीक है तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जायगा। आज जल्दी राय दें वरना किसी को ऐतराज नहीं है माननीय गोपीलाल जी यादव की राय से इत्तफाक करने में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर इस सदन में काफी चर्चा हुई और हो रही है और मैं समझता हूँ जब भी किसी भी सदन के सदस्य को मौका मिले उस वक्त गवर्न-

[श्री वेदपाल त्यागी]

मेन्ट पर यह हेमर करने की कोशिश करनी चाहिये कि गवर्नमेन्ट जो काम करने जा रही है, वह निहायत ही गलत है। इससे न केवल वह अपनी प्रतिष्ठा को गंवायेंगी बल्कि डेमोक्रेसी की जड़ को खोखला करने की कोशिश करेगी। यह सिद्धान्त का सवाल है। राइट तरीके से इस पर नहीं सोचा जा सकता। इस पर गंभीरता के साथ सोच कर निर्णय लेना चाहिये। कल भी मैंने इस बात का प्रयत्न किया था कि मंत्रीजी को प्राइवेट में समझा सकूं कि जो निर्णय लिया जा रहा है वह गलत है इसलिये इस पर गंभीरता से विचार करें और जो स्पीच उन्होंने कल जवाब देते समय दिया इस संदर्भ में, उससे स्पष्ट होता है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानते हैं कि यह कार्य गलत हो रहा है लेकिन किन्हीं कारणों से जिनको वे भली प्रकार जानते है फिर भी अपने आप बंदिश में डाल रहे हैं यह जानते हुए भी कि वे गलती कर रहे हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैं गलत नहीं मानता।

श्री वेदपाल त्यागी (जारी)—वे इशारा कर रहे हैं, लेकिन वे गलती मानते हैं। मुझ से कल खुद ने कहा है (करतल ध्वनि) कि माइनोरिटीज को सेफगार्ड देना चाहते है। उनको सेफगार्ड देने का और कोई तरीका नहीं हैं सिवाय इसके कि प्रपोशर्नल रिप्रजेन्टेशन से चुनाव कराया जाय जिससे लोगों को प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन मिल सके। आज आप इन्डाइरेक्ट इलेक्शन कराना चाहते हैं लेकिन वोटिंग का तरीका डाइरेक्ट रखना चाहते हैं लेकिन कह सकता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की कांस्टीट्युएन्सी बनावें लेकिन किसी भी प्रकार से आप इस सिस्टम से माइनोरिटीज को रिप्रजेन्टेशन नहीं दे सकेंगे। यदि माइनोरिटीज के पास ४८ परसेन्ट वोट्स हैं भी वे इलेक्शन में नहीं आ सकते। मैं कल हैरान हो गया यह सुनकर कि कांस्टीट्युएन्सीज इस प्रकार बनायेंगे जिससे अपोजीशन को मौका मिल जाय रिप्रजेन्टेटिव भेजने का। मैं नहीं समझ सका कि आप किस तरह से ऐसी कांस्टीट्युएन्सी बनायेंगे ? क्या आप एक एक वोटर को पूछ कर कि तुम किसको वोट देवोगे, कांस्टीट्युएन्सी बनाओगे। आज का यह सोचने का तरीका गलत है। सिद्धान्त को न मानकर तरीके को इस प्रकार वर्क आउट करना चाहते है जिसके आधार पर न केवल माइनोरिटीज को बल्कि अपने आप को भी बदनाम करेंगे और मेजोरिटी जो आज खुश हो रही है वह भी खुश नहीं हो सकेगी। मैं जानता हूं कि जहां एक ही पार्टी के लोग चुन कर आते हैं और अपोजिशन को रिप्रजेन्टेशन नहीं मिलता और वहां अपोजिशन का कोई मेम्बर नहीं होता तो इनसाइड पार्टी अपोजिशन खड़ा हो जाता है। यदि कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है तो विदिन पार्टी अपोजिशन हो जाता है। आप यहीं की मिसाल लें। जब इधर के अपोजिशन की संख्या ज्यादा थी, तब उधर वाले सतर्क रहते थे और उधर वाले एकता में बद्ध थे। हमारी विधान सभा के प्रथम सत्र को देखें किस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखकर काम करते थे लेकिन ज्यों ज्यों कमजोरी आती गई और उधर ढिलाई होती गई। आज हम कहते हैं कि अपोजिशन

[श्री वेदपाल त्यागी]

का लीडर चुनने की जरूरत है तो आवाज आती है कि अपोजिशन के लीडर तो आपके अन्दर ही मौजूद हैं। यह तरीका है डेमोक्रेसी का।

तो आज चाहे आप खुश हो लें कि हम प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन हटा कर के उन लोगों को सान्त्वना दे रहे हैं, उन लोगों की तबियत खुश कर रहे हैं, जिन्होंने इसकी बुनियाद में ही रोड़े अटकाने शुरू कर दिये थे। पंचायतों का इलेक्शन ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की बुनियाद है, और पंचायतों के इलेक्शन्स में जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं वे ही जिम्मेदार हैं इस बात के कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन मत रखिये।

मैंने कल दो तीन मन्त्रीगण से बात चीत की और वे मानने को तैयार थे कि यदि सिद्धान्त की बात है तो होनी चाहिये और अगर केबिनेट ने भी निर्णय कर लिया है तो उसको बदलना चाहिये। पर वे साहब बीच में आये और कहा कि यह कैसे हो हो सकता है, कांग्रेस एग्जीक्युटिव का डाइरेक्टिव है कि वोटिंग का सिस्टम डाइरेक्ट ही होगा यह वे टेन्डेन्सीज हैं जिन्हें फासिस्ट कहा जाता है, यह डिक्टेटरशिप है और आप खुश हो रहे हैं, इसको डिक्टेटरशिप के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।

इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि आज फिर मौका है. कल अपोजिशन ने तय किया कि इसका विरोध करना चाहिए पर फिर देखा कि एक बार और समझाने कि कोशिश करें, ठीक तरह से गवर्नमेन्ट के समझ में आ जाय, ठीक तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का फोर्मेशन हो सके यह अच्छा है, पर जिस तरह का एटीट्यूड कांग्रेस पार्टी का बना हुआ है, आज कांग्रेस में भी बहुत से आदमी ऐसे हैं जो मानते हैं कि यह बुनियादी भूल है जिसको आगे जा कर ठीक नहीं किया जा सकता, पर आज व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए गुट्ट विशेष को खुश करने के लिये आप नहीं मान रहे हैं और आज फिर वही स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा राजस्थान इस स्थिति में पहुंचा है, वही स्थिति इससे और ज्यादा उग्र रूप धारण करेगी और उससे न जाने हमारे प्रान्त का भविष्य कैसा होगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिससे हम यह आशा करते हैं कि सोसलिस्टिक पेटर्न की यह एक आधार शिला है, एक बुनियादी चीज है और डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक लिंक है, अगर यह गलती की तो आप सोसलिस्टिक पेटर्न कायम करना तो दूर, उसकी हवा तक के नजदीक नहीं जा सकोगे और सोसलिस्टिक पेटर्न का आपका केवल नारा ही नारा रह जायगा।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि यदि इनडाइरेक्ट इलेक्शन कराना है तो प्रापोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर करायें। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया था सेकेन्ड बैलेट सिस्टम भी कर सकते हैं पर वह आपके लिए ठीक नहीं होगा। इलेक्शन्स में जो मेथड्स अख्त्यार किये हैं उनको देखते हुए ५१ परसेंट जिसको आप लेना चाहते हैं, वह कभी

Page No 37

[श्री वेदपाल त्यागी]

नहीं हो सकेगा, इसलिये संभवतः वह आपके लिए कारगर न हो। फिर सिर्फ इसलिये कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेनन का सिस्टम कोम्प्लीकेटेड मेथड है, जिसमें आप अपने आदमियों को ट्रेनिंग देने में असमर्थ से दीख रहे हैं, इस वजह से इसको बदलना यह न्याय संगत नहीं होगा। गांधी जी के वाक्य आपको याद हैं, वे कहा करते थे कि डाइरेक्ट इलेक्शन सिस्टम तभी रखना चाहिए कि जब इलेक्टर्स और इलेक्ट होने वाले के केन्डीडेट्स पढ़े लिखे हों, डेमोक्रेसी में सिर्फ उसी हद तक डाइरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कामयाब हो सकता है जिस हद तक कि इलेक्टर्स और इलेक्ट होने वाले केन्डीडेट्स दोनों में घनिष्ठ सम्पर्क हो। यदि डेमोक्रेसी जहां बचपन में है उस कन्ट्री में जहां इतनी बड़ी इल्लिटरेसी है वहां जिस तरह आप कर रहे हैं, वह करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपने इन्डाइरेक्ट इलेक्शन को मान लिया है, प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर डाइरेक्ट इलेक्शन के जो तरीके हैं, उनकी कोम्प्लीकेसीज से डर कर आप इस तरह इलेक्शन का तरीका बदल दें, कि जिसमें माइनोरिटीज को बिल्कुल नाश कर दें, तो यह आपकी बुनियादी भूल होगी। और इस भूल को इस स्टेज पर आप ठीक नहीं कर सके तो आपको तो इसका जो नतीजा होगा वह भुगतना ही पड़ेगा। आपके साथ ही साथ देश को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और आज जो आप यह कहते हैं कि आजादी का श्रेय हमें है, हमने देश को आजाद कराया है, उसी तरह डेमोक्रेसी को खत्म करने का श्रेय भी आप ही को मिलेगा। इस तरह आप फासिस्ट वाद, और डिक्टेटरशिप को देश में लाने में सहायक होंगे। यदि आप फासिस्टवाद और डिक्टेटरशिप को देश में लाना चाहते हैं तो डाइरेक्ट इलेक्शन रखिये और प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन सिंगल वोट का जो डाइरेक्ट इलेक्शन का तरीका रखा हुआ है, उसे आप हटा दीजिये। पर याद रखिये इस तरह बुनियादी गलती करके आप फासिज्म और डिक्टेटरशिप को पनपायेंगे। यू. पी. और पंजाब में डाइरेक्ट इलेक्शन है, और यहां उसमें से लोगों को चाहे उनके साथ कितने ही अत्याचार उस इलेक्शन में हुये हों जिनके खिलाफ इतना रोला मचाया था, जिनके अत्याचार के खिलाफ अन्याय के खिलाफ इतनी आवाज उठाई थी फिर भी उन्हीं का चुनाव हुआ। यदि आप चाहते हैं कि अनपढ़ सदस्य आयें, वे अपने अधिकारों का उपयोग न कर सकें तो डाइरेक्ट इलेक्शन को रखिये। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप कोई भी तरीका रखिये, पर इस तरह का तरीका रखिये जिससे अनपढ़ जनता अपने अधिकारों का उपयोग कर सके, ठीक तरह से अपने अधिकारों को काम में ले सके। हो सकता है कि इस तरह के तरीकों में गई गलतियां हों, कोमलीकेसीज हों तो उनको दूर करने का भी तरीका हो सकता है। यह मैं कल बता चुका हूं और अब रिपीटिशन नहीं करना चाहता कि अगर एक डर से कि हम ठीक तरह से चुनाव नहीं करा पायेंगे। इसमें कई तरह की गलतियां होंगी, दिक्कतें होंगी, इस डर से उसे तोड़ते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि यह जनता के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। जो तहसील पंचायतों के इलेक्शन्स हुए हैं, उनमें इन्डाइरेक्ट वोटिंग हुआ है, अपने दबाव से एक गुट विशेष ने सब पंचायतों को हड़प लिया है और जो माइनोरिटीज हैं, जो उस गुट को अपोज करने वाले हैं, उनको इनमें एक भी रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिला है। इन्हीं तहसील पंचा-

[श्री वेदपाल त्यागी]

यतों के द्वारा इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का इलेक्शन करायेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में भी जनता का बिलकुल रिप्रेजेन्टेशन नहीं रहेगा और यह जनता के साथ एक विश्वासघात होगा। अगर आप फिर उसी एक्सपीरियेंस को दोहराना चाहते हैं तो यह सरासर बेजा है। आप अपनी मैजोरिटी का गलत फायदा मत उठाइये।

इन्हीं शब्दोंके साथ मैं फिर अपील करना चाहता हूँ कि आप इसपर पूरा विचार करें और आपने जो पहले सिस्टम अपनाया है वही अपनायें। अन्यथा आप बहुत बड़ा अन्याय माइनोरिटी पर करेंगे।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष—आप इस पर भी और बोलेंगे ?

श्री वेदपाल त्यागी—This is a very important affair and we want to lay stress on this.

श्री अध्यक्ष—But there are only two aspects which have been amply clarified.

श्री वेदपाल त्यागी- But perhaps the Government could not understand the other aspect.

श्री अध्यक्ष—All right. Be brief.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, दांता रामगढ़ से आये हुए सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने जो संशोधन रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका कारण यह है कि अगर हम इनडाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली को अपनाते हैं और उसमें प्रोपोरेसनेट रिप्रेजेन्टेशन की व्यवस्था को नहीं रखते तो इनडाइरेक्ट इलेक्शन का कोई महत्व नहीं रहता। ऐसी सूरत में जब कि हम इसको नहीं अपनाते तो दूसरा एक ही रास्ता रह जाता है और वह है डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली को अपनाना। दांतारामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसको मानने में मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मन्त्री को क्या कठिनाई है? हमारे यहां लोगों को डाइरेक्ट इलेक्शन की पूरी जानकारी है क्योंकि एसेम्बली के इलेक्शन डाइरेक्ट हुए हैं इसलिये जनता को इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, कोरम पूरा नहीं है।

(गणपूर्क घंटी के पश्चात्)

Page No 39

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—इसके अलावा इलेक्टोरल रोल्स आलरेडी एसेम्बली के चुनावों के लिये बने हुए हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के लिए डाइरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को क्यों नहीं अपना लिया जाता? इसमें उनको क्या कठिनाई है? कल भी मैंने इस पर अपने विचार प्रकट किये थे और इस बात को सदन के सामने रखी थी, मगर माननीय मन्त्री जी ने इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि जब एसेम्बली के इलेक्टोरल रोल बने हुए हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में डाइरेक्ट इलेक्शन के लिये क्यों नहीं काम में लिया जाता? अगर हम चाहें तो इसको अभी कर सकते हैं। हमें जो काम करना है वह ठीक तरह से करना है। मेरे से पूर्व वक्ता ने इस पर काफी प्रकाश डाला है और इसके बारे में काफी समझाया भी है। अगर आपको इनडाइरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन रखना है तो फिर आपको उसके साथ प्रोपोरसनेट रिप्रेजेन्टेशन को भी रखना होगा। अगर आप इसको नहीं रखते हैं तो डाइरेक्ट इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर आप इनडाइरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम काम में लाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको प्रोपोरसनेट रिप्रेजेन्टेशन को जरूर अपनाना होगा और अगर वे प्रोपोरसनेट रिप्रेजेन्टेशन को नहीं मानते तो डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली को अपना लें इलेक्टोरल रोल्स जो एसेम्बली के बने हुए हैं उनको काम में ले लें और इलेक्शन करवा लें। मैं निवेदन करूंगा कि इलेक्टोरल कालेजेज़ जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये बनाये हैं वे ठीक तरह से नहीं बने हुए हैं क्योंकि हमारे यहां पंचायतों के इलेक्शन में बहुत अनियमितता हुई है। इसलिये मैं समझता हूँ कि प्रजातन्त्र के तरीकों का थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए मन्त्रीजी डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली को अपनालें। इससे प्रजातन्त्र का बहुत हित होगा। बस इतना ही कह कर मैं दाता रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

(श्री मुक्तिलाल मोदी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप पहले तो चले जाते हैं और अब लेक्चर के लिये खड़े होते हैं चले जाने वालों को बोलने की जरुरत नहीं होती।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जल बोर्ड की मीटिंग थी उसमें चला गया था साहब। जाना ही चाहिये था।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव किस तरह से किया जावे उसके बारे में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, हमने काफी अर्से से कोशिश कि सरकार ओरिजनल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में जो प्रणाली चुनावों की रखी है उसको मंजूर करे और उसके अनुसार राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव करावे। लेकिन सरकार ने इस बात को अध्यक्ष महोदय, नामंजूर किया। ऐसी सूरत में मेरे मित्र, दातारामगढ से आये हैं, उन्होंने जो संशोधन रखा है कि इन्डाइरेक्ट इलेक्शन आप कराते हैं, वह अधूरा है और आधे प्रकार का इन्डाइरेक्ट

[श्री मानसिंह महार]

इलेक्शन करते हैं, वह ठीक नहीं है। अगर आपको चुनाव कराना ही है तो आप डाइरेक्ट प्रणाली को अपनावें, उसको मैं उचित मानता हूं और उनके सुझाव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से राजस्थान की पंचायतें बनी हैं वे सब को मालूम है। हम जानते हैं कि ऐसी पंचायतें जातिवाद के आधार पर बनी हैं। हम जानते हैं कि बहुत सी पंचायतें गुटवाद, गुट बाजी के आधार पर बनी है और अधिक पंचायतों के लिये यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि जातिवाद, गुटवाद और जो भी वाद कहा जावे उनके आधार पर बनी हैं। अगर इन पंचायतों को हम यह अधिकार देते हैं या इन पंचायतों के पंचो के द्वारा डाइरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनाव कराते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें विरोधी दल का समावेश नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि जनतन्त्र के साथ अन्याय होगा कुछ लोग यह कह सकते हैं कि यह तो आपकी ही गल्ती है आप पंचायतों के चुनाव में क्यों नहीं आये? आपका पंचायतों में बहुमत क्यों नहीं आया ? मगर मैं यह कहूंगा कि यह बात नहीं है पंचायतों में कई डिविजन ऐसे मिल जावेंगे जिसके अन्दर वर्तमान ग्रुप के आदमी अल्पमत में होंगे लेकिन उस सूरत में भी यह वाजिब नहीं होगा कि ऐसे आदमियों के हाथ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सौंप दिया जावे जो एक ही ग्रुप की भावना के आदमी हों। मैं यह मान कर चलता हूं कि यदि डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना है तो विरोधियों को भी स्थान आपको देना पड़ेगा। यह मेरी निश्चित धारणा है। अध्यक्ष महोदय, हमको हमारी डेमोक्रेसी के छोटे से समय के अन्दर इस बात का तजुर्बा हो गया है कि अगर सरकार को न्यायपूर्ण बनाना है तो मजबूत विरोधी पक्ष रखना चाहिये। जब तक विरोधी पक्ष मजबूत नहीं रहता तब तक सरकार सही तरीके पर नहीं रहती। हमने देखा है कि आज से ३ वर्ष पूर्व जब राजस्थान में सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष में तीन या चार मत का फर्क था उस समय सरकार अधिक संजीदगी से चलाई जाती थी लेकिन जब आज १२५ और करीब ३५ या ४० का प्रोपोरेशन में फरक आ गया है तो मैं आज कह सकता हूं कि सरकार संजीदगी से काम नहीं करती है और आज पक्षपात किस हद तक चल रहा है उसका विरोध होते हुए भी परवाह नहीं की जाती।

ऐसी सूरत में हमको देखना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं? हमारी सरकार जो प्रणाली चुनावों की अपनाने जा रही है उसको हम देखें तो हम महसूस करेंगे कि जो तरीका वह अपनाने जा रही है उसके आधार पर हम जनतन्त्र का हनन करने जा रहे हैं। आज अगर ३०० पचों के द्वारा चुनाव कराया जाता है और अगर उनको ३ वार्ड में बांट देते हैं तो ऐसी सूरत में आपके पास १०० वोटर होते हैं और जो स्थिति होती है उसके हिसाब से २५ या ३० गैरहाजिर रह जाते हैं। और इस तरह से एक वार्ड में ७० से अधिक वोट्स से नहीं रहते।

(श्री गोपीलाल यादव, सभापति, पदासीन)

Page No 41

[श्री मानसिंह महार]

आप उनको हक देते हैं कि चार आदमी खड़े हैं वोट दिए जाए। उन ७० वोटरों में से २३-२३ मत या इससे भी कम मत आवेंगे। १७-१७ मत भी बंट जावें तो यदि किसी के एक या दो मत भी अधिक आ जावें तो वह जीत जावेगा यह तो कोई उचित बात नहीं है।

ऐसी सूरत के अन्दर मैं यह समझता हूं कि जब असेम्बली के चुनाव होने जा रहे हैं असेम्बली के लिये इलेक्टोरल रोल्स तैयार हो रहे हैं तो फिर हमें डाइरेक्ट इलेक्शन के लिये तैयार हो जाना चाहिये। अगर हम विधान सभाओं के चुनाव के पहले हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव डाइरेक्ट इलेक्शन से करवा देते हैं तो राजस्थान में मेरी यह निश्चित धारणा है कि वह आम चुनावों के लिये एक प्रकार से रिहर्सल हो जायगा लोगों को मालूम हो जायगा कि वोटर्स लिस्ट वगैरह में क्या खामियां हैं उन खामियों को दूर करने के लिये सरकार को समय मिलेगा और जनता को भी फायदा मिल जायगा। पंचायतों के चुनाव के समय जो धोखेबाजी चालबाजी और बेईमानी हुई वह किसी से छिपी नहीं है और उन्हीं पंचों द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव होंगे। आज राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जहां पंचायतों के चुनाव इस प्रकार से हुए हैं कि मत अधिक एक आदमी को आये और निर्वाचित दूसरा ही व्यक्ति घोषित किया गया ऐसे एक मामले में नहीं, दो मामलों में नहीं, दस बीस ही मामले हुए हों, यह भी बात नहीं है। मेरा यह दावा है कि तीस चालीस परसेन्ट केसेज ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार की धांधली हुई। जीते दूसरे लोग हैं लेकिन तहसीलदार या रिटर्निंग आफिसर था उसने हमारे नेताओं के दबाव में आकर दूसरे ही व्यक्ति को इलेक्टेड घोषित कर दिया। जनता के पास चेयरमैन महोदय, मैं बताऊं इस बात का विरोध करने के लिये कोई तरीका नहीं। यह कहा जा सकता है कि जनता ने शिकायतें क्यों नहीं की, जनता के पास शिकायत करने के लिये और सबूत देने के लिये कोई तरीका नहीं था। एक गांव के अन्दर वोटिंग होता है लोग आकर बैठ जाते हैं एक कन्डीडेट के पक्ष में २०० वोट आते हैं दूसरे केन्डीडेट के पक्ष में १५० वोट आते हैं। गिनती के बाद रिटर्निंग आफिसर महोदय कहते हैं गिनती हो चुकी आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइये और नतीजा डिक्लेयर किया जायगा—

श्री सभापति—अब तो बैलट पेपर्स से होगा, हाथ उठाने से नहीं होगा।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) चेयरमेन महोदय, मैं पंचायतों के चुनाव का जिक्र कर रहा हूं। किस तरह से गलत पंचायतों को डिक्लेयर कर दिया जाता है अगर उन्हीं पंचों के जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कराते हैं तो यह अन्यायपूर्ण होगा इस तथ्य की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अब मैं डाइरेक्ट इलेक्शन क्यों करना चाहिये, इस मूलभूत सिद्धांत पर आता हूं। राजस्थान की पंचायतों के जो चुनाव हुए, वे गलत हुए। मान लीजिये किसी पंचायत में ३०० पंच हैं जो किसी भी तरह से सही तरीके से चुने हुए नहीं हैं वे ३०० वोटर्स होंगे जो नाजायज तौर पर इलेक्ट हुए हैं, वे ही मत करेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर—अगर गलत हुए हैं तो इलेक्शन पेटीशन्स कर सकते हैं।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) आप पिटीशन्स की बातें करते हैं, सबूत के लिये कौन जायगा आप जायेंगे या मैं? उनके पास क्या सबूत है कि इस आदमी के १५० वोट आये और उसके २०० आये? पिटीशन्स से यह तो हो सकता है कि वकीलों को मेहनताना मिल सकता है। चेयरमैन महोदय, इलेक्शन पिटीशन तो करने के लिये तैयार हैं किंतु उन ग्रामीणों के पास सबूत पेश करना मुश्किल है कि इसको २०० मत मिले या १५० मत मिले। माननीय सदस्य उदयपुर डिवीजन के लिये पिटीशन की कह रहे होंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इस प्रकार की कार्यवाहियां खुले आम हुई हैं। मैं भी एक समय वहां गया था उस समय दो गांवों के चुनाव हो रहे थे उसमें इस प्रकार की कार्यवाही खुले आम हुई जयपुर डिवीजन के आसपास के इलाकों में इस प्रकार की कार्यवाहियां हुई वे अखबारों में प्रकाशित हो जाती थी क्योंकि इस इलाके को राजधानी से निकटतम सम्बन्ध है। लेकिन जो क्षेत्र राजधानी से दूर है वहां के बेचारे ग्रामीण क्या करें जहां इस प्रकार के अन्याय धोखेबाजियां हो रही हैं वे तो यहां तक पहुँचते नहीं। वे लोग जो यह कहते हैं कि पिटीशन कर दी जाय एक तरफ तो बेईमानी की जाय और उस पर फिर यह कहा जाय पिटीशन क्यों नहीं कर देते? मैं यही कहता हूं कि चुनाव गलत तरीके से हुए, चुनाव में पक्षपात किया गया, चुनाव में मेजोरिटी ऑफ वोट्स किसी को मिले और डिक्लेयर कोई किया गया, यही वस्तु स्थिति राजस्थान के पंचायतों के इलेक्शन के सम्बन्ध में है, जो साफ है। आज यह कह देना कि पंचों के जरिये चुनाव होंगे यह उचित बात है इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर सरकार चाहती है कि न्याय किया जाय राजस्थान में डेमोक्रेसी का हनन न किया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकार के पास सब साधन मौजूद हैं, फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों नहीं मानते? इस सूरत के अन्दर आपके लिये यह लाजिमी हो जाता है कि आप डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली को अपनायें, हिम्मत से काम लीजिये, इसमें विरोधी पक्ष या सरकारी पक्ष की बात नहीं यह न्याय की मांग है समय की मांग है, इसको अगर आप कुचलेंगे तो आप खुद कुचले जायेंगे। आज के युग के अन्दर इस प्रकार की पक्षपात की बातों की ओर ध्यान दिया जाता है तो वह सरकार जनतन्त्र की सरकार नहीं कही जा सकती। आज के युग के अन्दर अगर कोई इस धारणा को लेकर चले कि हम तो करा लेंगे बहुमत के आधार पर तो वे लोग डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं राजस्थान में। महात्मा गांधी ने जो इतना महान काम किया, पं० जवाहरलाल नेहरू जिस डेमोक्रेसी को भारत में कायम करने के लिये श्रम कर रहे हैं, अगर उन्हीं के चेले अगर उस डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं तो इससे अधिक दुर्भाग्य की बात राजस्थान में नहीं हो सकती। हमारी सरकार को चाहिये तो यह था कि जो विरोधी पक्ष न्याय की बात कह रहा है उसके हकों का हनन हो रहा है तो उस बात को सहर्ष स्वीकार करते। हमसे बातचीत करते हम डिफिकल्टीज को हल कराने का तरीका बताते आप लोगों की मदद करते लेकिन वे बातें नहीं यहां तो केवल डिक्टेटोरियल जवाब मिलता है कि हमारी एक्जीक्यूटिव ने पास कर दिया। हिम्मत रखिये। अब तो मेरी बातों को सुनने के लिये उपमंत्राणी जी आ गई हैं, पंचायतों के चुनाव में कितनी गड़बड़ियां हुई, उन्होंने स्वयं गांवों में जाकर कितनी गड़बड़ियां की हैं। ऐसी सूरत के अन्दर मैं उनसे आशा करूंगा कि वे अपने पुराने कारनामों की ओर ध्यान देते हुए सरकार पर दबाव डालेंगे कि इस प्रकार के अत्याचार

[श्री मानसिंह मह्रार]

हुए हैं उन अत्याचारों को रोकने के खातिर इन बातों को सही तौर पर दृष्टिगत करते हुए हम लोगों ने जो बातें कही हैं उनको मानेंगे। हम आशा करते हैं, उपमंत्राणी महोदया के बैठने के बाद तो मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बातों ने बहुत ज्यादा असर उन पर किया है उनके यहां आ जाने से अन्याय का जो बोलबाला हमारे इलाके में हुआ है। वह ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने आ जाता है। ऐसी सूरत के अन्दर मैं आशा करूंगा कि मेरी जो यह मांग कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव डाइरेक्ट इलेक्शन प्रणाली के आधार पर हों वह तो पक्की हो गई अब मैं स्वप्न में भी यह आशा नहीं कर सकता कि वे डाइरेक्ट इलेक्शन की बात को टाल देंगे। उपमंत्राणी जी जानती हैं कि पंचायतों के पंच किस आधार पर चुने गये ?

(घंटी)

चेयरमेन महोदय, अब मैं दूसरा पोइन्ट ले लेता हूँ, माननीय चेयरमेन मेरे मित्र ने जो बातें सदन के समक्ष रखी है वह बहुत न्यायोचित हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि आज के युग में अगर आप सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट से चुनाव करवाते हैं तो हम लोगों को काफी सन्तोष रहेगा जो यह बातें सदन में कही जाती हैं कि हम आदमियों को तैयार नहीं कर सकते यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। चेयरमेन महोदय, जैसा कि अभी आपने अपने आपको वालन्टियर किया है कि आप दो महिना के अन्दर अन्दर सब को सिखा देंगे और इस प्रणाली को कार्यान्वित कर सकते हैं। इस बात पर भी तो सरकार के कान खुलने चाहिये। सरकार यह समझती है कि काउन्टिंग करने वाले आदमी नहीं होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस प्रकार के आदमी अगर सरकार की नीयत साफ होगी, तो एक महिने के अन्दर खड़े किये जा सकते हैं।

१५ दिन तक अगर इस प्रकार के काउन्टिंग के अनुभव के लिये लोगों को यहां लाकर सिखाया जावे तो आसानी से यह बात सिखाई जा सकती है। राजस्थान में प्रथम स्टेट कौंसिल का चुनाव हुआ था तो हम नहीं समझते थे इस बात को, पर हम लोग कहीं सीखने नहीं गये, क्लासेज कहीं अटेन्ड नहीं की, पर उसके तरीके को हम काफी अच्छी तरह समझ गये हैं। और अब वर्तमान कौंसिल ओफ स्टेट के चुनाव के अन्दर जिस प्रकार उस अनुभव और जानकारी को मेनीपुलेट किया उसके काउटिंग के आधार पर कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी हमने उनके एक उम्मीदवार को बुरी तरह हराया और अपना उम्मीदवार ले आये।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया गया है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के लिये नहीं है इसलिये मेरा........

श्री सभापति—समय आपका हो गया है।

(घंटी)

श्री मानसिंह महार—मैं वही कह रहा हूँ चेयरमेन महोदय, समय भी थोड़ा है पर डिसटरबेन्सेज कर करके बीच में बात का तांता तोड़ देते हैं। अमेन्डमेन्ट नामन्जूर भी कर दें तो वह पुराना तरीका सर्व सम्मति से जो अपनाया था, और जिसे पास किया था, उस तरीके को सरकार लेकर यह कार्यवाही करे और सरकार के सन्मुख जो डिफिकल्टी है कि उसको कैसे ओवररूाइडिंग करेंगे तो जिन्होंने इन्टरप्रेट किया उनसे तो आशा नहीं करूंगा कि वे समझने की कोशिश करेंगे और उन्होंने तो प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की बात समझी नहीं और न यह बात उनके दिमाग में आ भी सकती है।

(घंटी)

यह मैं मानता हूं। लेकिन चेयरमेन महोदय, फिर भी मैं यह कहूँगा कि सदन के और सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री सभापति—इस तरह की पर्सनल बात नहीं करिये।

श्री मानसिंह महार—बीच में जो डिस्टरबेन्सेज आते हैं तो मेरी बात ही टूट जाती है और बिना वजह मुझे तंग करने की नीयत से ये किये जाते हैं, चेयरमैन महोदय। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, मैं पर्सनली निवेदन नहीं करूंगा, मैं वास्तविकता की ओर जा रहा हूँ। मैं सदन के सदस्यों के दिमाग से प्रार्थना कर रहा हूँ कि चुनाव की प्रणाली जो ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में है वह भी अगर रक्खी जावे तो इसके लिये भी सरकार अमल में लाने की तैयारी कर सकती है। जो डिफिकल्टीज के नुक्स की बात पेश की जाती है वह नुक्स अगर सरकार कोशिश करेगी तो नहीं रहेगा। वोटरों के बारे में कहा जाता है कि वोटर पढ़े लिखे कम हैं, इसलिये गलतियां करेंगे। तो इसके लिये निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी पार्टी के प्रचार के लिये जिस तरह वे पार्टियां एक एक वोटर को उभाड़ सकते हैं कि इस को वोट दो, उसको मत दो, तो वे इस पद्धति के बारे में भी वे उनको सब बातें बता सकते हैं और इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जावेगी कि हम अपने अपने वोटरों को सिखाने के लिये पूरी पूरी कोशिश करें कि किस प्रकार से वोट दिये जावें। यहां पर चुनाव हुआ था कौंसिल आफ स्टेट के तो उसमें पार्टीज के व्हिप्स वगैरह ने खूब कोशिश करके लोगों को समझाया और १०५ मतों में से एक भी मत ऐसा नहीं था जो नाजायज करार दिया गया हो। तो यहां इस सदन में जब ऐसा हो सकता है तो वहां के लिये भी दावे के साथ कहा जा सकता है, कि दो सौ चार सो वोटों में से दो चार वोट इधर उधर हो सकते हैं पर अधिकांश सही ही होंगे।

यह भी मानता हूँ कि तहसीलदारों के लिये शिकायतें होंगी। पर एस.डी.ओ., और ए.एस. आदि अफसर इतने मौजूद हैं जिनको आप रिटर्निंग अफसर अपोइन्ट करिये तो ऐसा अगर आप करेंगे तो यह मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितना पक्षपात पंचायतों के चुनावों में हुआ है, उतना पक्षपात और उतनी धांधलियां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों में नहीं होंगी। इसलिये मुझे दो ही बातें कहनी है पहली यह कि चुनाव की पद्धति जैसी ओरिजिनल एक्ट में थी वही रक्खी जावे, अगर उसमें रद्दोबदल किया जावे तो सरकार के समक्ष कोई गुंजाइश नहीं रहती। सरकार को न्याय का रास्ता

[श्री मानसिंह महार]

अपनाना चाहिये और वह यह है कि डाइरेक्ट इलेक्शन करावें। अगर वे नहीं करावेंगे तो जिस प्रकार आज तहसील पंचायतों में अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार आज एक ही पार्टी की मेजोरिटी तहसील पंचायत में आई है, एक पार्टी के आठ उम्मीदवार एक ही जाति के कहीं कहीं तो अगर खडे हुए हैं तो वे आठों ही आदमी तहसील पंचायत में आगये हैं और जो माइनोरिटी के आठ आदमी थे वे आठों के आठों ही हार जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक पार्टी विशेष की तहसील पंचायत बन जाती है। आप इसको देखना चाहें तो तहसील पंचायतों में कहीं भी जाकर देख लीजिये। बिना अपोजीशन के ये तहसील पंचायतें काम कर रही हैं। यह मुमकिन है कि जनता की किस्मत हो और चुनाव के बाद जो अन्याय होता है, जो लूटपाट होती है उसको लेकर आपस में ही उनमें लेन देन के मामलों को लेकर झगडे हो जाते हों और इस तरह से अोपोजीशन बन जाता हो। पर चुनाव में यह सही बात हुई है कि एक ही पार्टी विशेष के आदमी आये हैं और इस लिये तहसील पंचायतें जिस नीयत से बनाई गई थी वह नीयत ही खत्म हो गई है अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में भी ऐसी बात होगी तो जिस नीयत से हमने काम किया वह नहीं हल होगा। इसलिये सदन से मैं निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर गम्भीरता से सोचे। मन्त्रीजी से भी आशा करता हूं कि वे हिम्मत करके सोचेंगे। किसी के दबाव में आकर न सोचें, हिम्मत से स्वतन्त्रता से सोचें। आपके पक्षवालों ने भी बहुतों ने जो हिम्मत करके बातें कहीं हैं वे भी न्याय युक्त हैं। ऐसे मामलों में उन्होंने भी व्हिप का डर नहीं माना है। तो इसी तरह आपको भी हिम्मत से बढना चाहिये, न्याय करना चाहिये अगर न्याय करेंगे आपके पक्ष को भी न्याय मिलेगा। इसलिये मैं आशा करूंगा कि सदन सर्व सम्मति से इसका समर्थन करेगा और जो ताली बजा रहे हैं उनको सदन के बाहर हटावेंगे।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह दांता रामगढ़ से आये सदस्य ने जो संशोधन रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूं। पहले तो सरकार को जो पहले एक अच्छा कानून बना था, उसमें संशोधन लाना नहीं चाहिये था और अगर लाये तो ऐसा लाना चाहिये था, जिससे जनता को सुभीते का रास्ता मालूम पडता। इससे लोगों का चुनाव में भी काफी पैसा खर्च होगा। मैं बताऊं तहसील पंचायतों के चुनावों में आठ आठ और दस दस हजार रुपया खर्च हुआ है। मेरी तहसील का उदाहरण बताऊं बैराठ में कांग्रेस की पार्टी ने भी और उधर की पार्टी ने भी काफी पैसा खर्च किया। दोनों तरफ के लोगों ने वोटरों को ला लाकर तीन तीन चार चार दिन पहले से ही कमरों में बन्द करके रक्खा और काफी जीपें और मोटरें उनको लाने में लगाई। जिसने खिलाफत की उसे मारा पीटा। तो ऐसी हालत में अगर आज जिला बोर्डों का भी चुनाव वैसे ही होगा तो लाखों रुपया जनता का खर्च होगा। क्योंकि इसमें मेम्बरों को लालच बहुत है। वहां आने जाने का भत्ता मिलेगा। लाखों रुपया होगा जिसको खर्च करने में उनको लाभ हो सकता है। जब कि तहसील पंचायतों में तो ऐसा कोई रुपया भी नहीं है, न भत्ता ही है। तो इस से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि चुनाव से कितना भ्रष्टाचार फैलेगा, कितनी गडबडियां होंगी और कितनी वैमनस्यता आपस में बढ़ेगी।

Page No 46

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

मैं बताऊं अभी सरकार ने क्या क्या कारनामे किये ? १२ म्यूनिसिपेलिटियों की अभी कुछ दिन पहले दो तीन महीने के मियाद बढ़ा दी।

श्री अध्यक्ष—इसका सम्बन्ध नहीं है, वह तो पास हो गया।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं तो उदाहरण बता रहा हूं आपको।

(हंसी)

और इस मियाद को भी उलट दिया एक जगह इसको भी रद्द कर दिया। तो इसी तरह इसमें भी रोजाना आर्डर देंगे, रोजाना रद्द होंगे, पक्षपात होंगे और राजस्थान सरकार का न जाने कितना पैसा व्यर्थ जावेगा। ऐसी हालत में चुनाव ही नहीं हो पावेंगे, सरकार के इन कारनामों और पक्षपात के विरोध में रिट होगी। उन पर हाई कोर्ट फैसला देगा। फिर दुबारा और तिबारा चुनाव होंगे और यही क्रम चलता जावेगा। तो ऐसी हालत में इस एमेंडमेंट में जो यह बात मियाद के बढ़ाने की बात होगी उसके लिये वैसे आपका बहुमत है, कुछ भी कर लें। हम लोगों के बोलने की क्या जरूरत है ? आप अपनी डिक्टेटरशाही चला लें। जरूरत क्या असेम्बली में लाने की, यह पास होगा हम भी जानते हैं, परन्तु यह चीज जो हो रही है, वह गलत हो रही है वह आपको करना नहीं चाहिए। जब आप कहते हैं कि पंचायत राज्य है। जनता को अधिकार मिले तो जनता को अधिकार देने के लिये एक तरीका यह होना चाहिए कि सारी जनता के वोट मांग लें। आज जो वोटर्स लिस्ट बनी है उसके अन्दर भी काफी मतदान होने से रह जाता है वे वोट नहीं दे सकते हैं। तो फिर जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होगा तो लोगों को ज्यादा इन्ट्रेस्ट होगा और वोटर्स लिस्ट सुधारी जायगी और उनका मतदान जब असेम्बली का चुनाव होगा या पार्लियामेंट का चुनाव होगा तब मतदान भी ठीक तरह से होगा। जो लोग अभी बच गए हैं वे उससे महरूम नहीं रहेंगे। ऐसी हालत में जो वह चीज भी राजस्थान सरकार अगर करने के लिए तैयार नहीं है तो आज जैसा कि कौन्सिल ऑफ स्टेट के अन्दर वोट होते हैं उस तरह का तरीका अख्त्यार किया जाय। उस तरीके में मैं मानता हूं कि थोड़ी दिक्कत आ सकती है परन्तु थोड़ी दिक्कत के आधार पर उसको टालना नहीं चाहिए। लोग ऐसे नहीं हैं कि उसको समझ सकें, अगर वे पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं तो भी समझ सकते हैं और वोट दे सकते हैं, परन्तु उन्हें थोड़ा समझने की जरूर आवश्यकता पड़े परन्तु आज जो भैरूंसिंह जी ने संशोधन रखा है उस संशोधन के आधार पर तो मंत्री जी को मान लेना चाहिये, क्योंकि इतने जो लोगों ने बहस की और भी कुछ लोग बहस करें, शायद। परन्तु इतना समझाए जाने के बाद भी यह जिद नहीं होनी चाहिए राजस्थान सरकार को कि हम जो कुछ इसके अन्दर एमेंडमेंट लाये हैं, उस एमेंडमेंट के सिवाय दूसरी पार्टी ने एमेंडमेंट रखा है, उसको नहीं मानें, और जो भी कुछ एमेन्डमेंट राजस्थान कुछ

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

सरकार ने रखा है और जो कुछ भी उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य चाहें, वही चीज हो तो माननीय चेयरमैन, यह सरकार की मर्जी की बात है। एमेंडमैंट लाने की आवश्यकता ही क्या थी असेम्बली में ? वह उन्हें अपने आप ही पास कर लेना चाहिए था परन्तु वे जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की बात को सुनते नहीं हैं तो जैसे कि आज पंचायतों में झगड़े हो रहे हैं, तहसील पंचायतों में झगड़े हो रहे हैं, माननीय चेयरमैन, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होंगे। आप खुद वकील हैं। आप तो जानते है कि कैसे झगड़े हो रहे हैं। ऐसी हालत में जनता के द्वारा सीधे चुनाव का ही तरीका होना चाहिए। अगर जनता का नहीं होता है तो जैसा था वैसा ही रखना चाहिए, और आज जिस तरह का एमेंडमेंट आया है वह कतई नहीं होना चाहिए, यहीं नहीं राजस्थान में परन्तु दूसरे प्रान्तों के भी उदाहरण हैं। आप भारत के विधान में यह चीज सुझाइए कि असेम्बली के जो चुनाव हों वह भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो मेम्बर होंगे वही असेम्बली के लोगों को चुनेंगे और असेम्बली के लोग जो होंगे वही पार्लियामेन्ट के लोगों को चुने, और पार्लियामेन्ट के जो लोग होंगे, वही कौंसिल ऑफ स्टेट के लोगों को चुनेंगे। भारत के विधान में अगर यह तरमीम हो जाय तो कोई बात नहीं है परन्तु जब कि उसमें हुई नहीं है तो ऐसी हालत में राजस्थान के अन्दर यह चीज होती है। सी. पी. यू. पी. आदि दूसरे प्रान्तों में जब कि पंचों के द्वारा चुनाव नहीं होता है, और जनता के द्वारा होता है तो राजस्थान जो कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है इसके अन्दर तो जनता को ही ज्यादा मौका मिलना चाहिए।

माननीय चेयरमैन, मैं आपको और भी बताऊं कि जो जल बोर्ड बना हुआ है और जलबोर्ड के अन्दर जयपुर में...........

श्री सभापति—इसमें जलबोर्ड की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—बोर्डों के संबंध मे कहा गया है इसलिए........

श्री सभापति—जलबोर्ड का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं।

जयपुर में जलबोर्ड ने ढाई लाख रूपये दिये हैं। १९ तहसीलें जयपुर डिवीजन (डिस्ट्रिक्ट) में हैं और पापुलेशन है करीब १५, १६ लाख आदमियों के जब कि पापुलेशन दूसरी जगह और दूसरे जिलों में बहुत कम है। कहीं १० लाख है तो कहीं ८ लाख है और कहीं ३ लाख। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की १५, १६ लाख की पापुलेशन नहीं है जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है कि यहां पर २॥ लाख रूपये दिए हैं। यह डिक्टेटरशिप हो रही है पूंजीपतियों को बिठाकर जयपुर जलबोर्ड में। जयपुर डिस्ट्रिक्ट का मेम्बर किसी आदमी को नहीं लिया और उनको मालूम नहीं है

Page No 48

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

कि यह २॥ लाख रूपये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में क्यों दिये जाते हैं ? ऐसी हालत डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की तरक्की में होगी। कोई मिनिस्टर टेलीफोन करेगा, कोई सेक्रेटरी टेलीफोन करेगा, कोई किस अधिकार से दबायेगा तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में झगड़े होंगे। एक पंचायत यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में भाग लेने के लिये नहीं आई तो उस पंचायत के मेम्बर रिट करेंगे और रिट के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हुआ है वह रद्द हो जायगा। ऐसी हालत में आप यह बीमारी ही क्यों पालते हैं, समझ में नहीं आता है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि बीमारी के लिए कोई मौका ही न दें कि हमेशा हर आदमी के दिमाग में यह बीमारी घुसी रहे। इससे हर आदमी उन्नति नहीं कर सके, हर आदमी ऊंचा नहीं चढ़ सके। ऐसी हालत में राजस्थान सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए और जो कि जनता है राजस्थान की उसको भी आगे बढ़ना चाहिये और राजस्थान के अन्दर कोई भी एमेंडमेन्ट पास हो, कोई भी एक्ट पास हो व इस तरह के ऐक्ट हों कि जिससे दुनिया को देखने का मौका मिले, क्योंकि राजस्थान का हिन्दुस्तान में ही नहीं दूसरे फोरन कन्ट्रीज में भी नाम है, लेकिन कोई यहां आकर देखता है या कोई बहस को सुनता होगा तो यह सोचता होगा कि राजस्थान में किस तरह से एक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं उनमें डिक्टेटरशाही राजस्थान सरकार किस तरह से चलाती है.......

(घंटी)

श्री सभापति—टाइम हो गया।

श्री मुक्तिलाल मोदी—एक मिनिट।

उस तरह की डिक्टेटरशाही दूसरे प्रान्तों में इतनी नहीं चलती है। और मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वह खुद अपने दिल के ऊपर हाथ लगाकर देखेंगे तो उनको परेशानी होगी। मेरे को कुछ नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में मैं खड़ा नहीं होऊंगा और चुनाव भी नहीं लड़ाऊंगा। लेकिन वे खुद इससे परेशान होंगे और बाद में उनको पछतावा होगा। पार्टी के जोर पर पास कर देने के बाद में पछतायेंगे। इसलिए जो भैरूंसिंहजी ने एमेन्डमेंट रखा है उससे उनको भी सुविधा मिलेगी, सरकार को भी सुविधा मिलेगी और राजस्थान की जनता का भी भला होगा। माननीय चेयरमेन, मैं इतना कह कर बैठता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन,..........

श्री सभापति—श्रीमती यशोदा देवी।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय अध्यक्ष (सभापति), यह.......

श्री सभापति—५ मिनिट में ही आपको समाप्त करना है।

श्रीमती यशोदा देवी—चुनाव प्रणाली के बारे में हमारे सदन के सामने मेरे माननीय भैंरूसिंहजी का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करती हूं।

माननीय अध्यक्ष (सभापति), इसमें गांव की जनता की सहूलियत के लिए यह है; हमको सरकार इस ढंग से समझाकर हमारे सामने ऐसा कानून पास करवाना चाहती है। आप देखिये, गांधीजी के वे शब्द आप सब को याद होंगे कि जिस वक्त हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो गांधीजी ने यह शब्द कहे थे कि दिल्ली की कुर्सी पर चाहे किसान का अपढ लड़का हो, मैं उस किसान के लड़के को बैठाऊंगा और वह शासन चलाने के योग्य नहीं होगा तो नेहरू खुद उसके क्लार्क बनेंगे और सारे कानून उसको समझायेंगे, और हमारे हिन्दुस्तान का शासन किसान का लड़का करेगा; यह शब्द गांधीजी के थे। राजस्थान की सरकार यदि यह समझती है कि यह जो चुनाव का तरीका है इसको ग्रामीण जनता की सहूलियत के लिए ऐसा बनाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। आज आप देखें और मेरे माननीय सदस्यों के मुंह से आपने सुना कि ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायतों के चुनावों में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितने बेबुनियाद चुनाव हुए हैं. हो रहे हैं। पंचायतों के चुनाव होते हैं, हाथ उठाये और उसकी गिनती की जाती है। पूरी नहीं। वहां जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, जहां जहां तहसीलदार लोग जाते हैं या और लोग जाते हैं उसमें होता तो यह है कि उनको कहा जाता है कि अलग अलग गांवों के लोग अलग अलग बैठ जायं और वे अपना एक पंच चुन लें। वहां पार्टी बाजी कैसी? वहां स्वयम् तहसीलदार यह कह देता है कि अमुक अमुक आदमी को वोट देना है और एक तरफ खड़े हो जायं। यह किस विधान में है पद्धति? यह कौनसा तरीका है जो अपनाया गया? दूसरा जब चुनाव होते हैं तो पटवारी का आदमी भी वहां पहुंचे। एक बात बताऊं चेयरमेन महोदय, जो हमारा माननीय मंत्री मंडल है आप देख लीजिये कि किसी के मुंह पर भी मूंछ नहीं है।

(हंसी एवं घंटी)

चेयरमेन महोदय, मैं तो आपको एक उदाहरण बता रही हूं। अभी जो चुनाव हुए इस बेसिस पर चुनाव रद्द कर दिया कि इस लड़के के मुंह पर मूंछ नहीं है। अगर मुंह पर मूंछ नहीं होगी तो वह उस दिन बना कर चला गया होगा। (हंसी) मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हम गांव के लोगों को सहूलियत देते हैं और इस तरह से आशा करते हैं कि हम किसान का राज्य कायम करेंगे।

चुनावों में धांधलियां होती हैं। माननीय चेयरमेन महोदय ७ तारीख की बात है। तहसील पंचायत के चुनाव हुए। वहां वोटरों को लाया गया, उन्हें शराब पिलायी गई, उन्हें अनेक प्रलोभन दिये गये, पैसा बांटा गया। ये चुनावों में धांधलियां होती हैं। क्या इसी आधार पर हम ग्राम पंचायतें और तहसील पंचायत कायम करना चाहते हैं? क्या इसी प्रकार हमारे

[श्रीमती यशोदा देवी]

हिन्दुस्तान में किसानों का राज्य होगा। तो ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायत में जो ये चुनावों में धांधलियां हो रही हैं इसलिए मैं कहती हूं माननीय अध्यक्ष (माननीय चेयरमेन) कि जो चुनावों का जनरल तरीका है वही होना चाहिए और हमारी तरफ के माननीय सदस्यों ने बार बार कहा है, आप उसको मंजूर कर लें, नहीं तो जनता के साथ बहुत भयानक धोखा होगा।

श्री सभापति—श्री टीकाराम पालीवाल।

श्री टीकाराम पालीवाल:—चेयरमेन महोदय, प्रश्न चुनावों की प्रणाली का है। यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि इस समय जो कुछ मैं विचार रखने जा रहा हूं उनसे निर्णय पर शायद कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है, किन्तु मैं यह मानता हूँ कि जो मेरे विचार हैं इस सम्बन्ध में वे सदन के सामने रख दूं। जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट ओरिजिनली इस हाउस में आया था और इनडाइरेक्ट प्रणाली हमने इसमें रखी थी उस समय भी मैंने साथियों से कहा था, सम्भवतः सदन में नहीं कहा था, लेकिन मैंने अपने साथियों से कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जैसी संस्था का इनडायरेक्ट चुनाव जैसी प्रणाली से संभव नहीं होगा। आज भी मैं वही मानता हूँ अध्यक्ष महोदय। मेरा मानना यह है कि जो लोकल बोर्ड्स हैं, स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उनमें शायद कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी इन्डायरेक्ट इलेक्शन की। इन्डायरेक्ट इलेक्शन्स होते हैं लेकिन वे आम तौर से रिवाइज़िंग चैम्बर्स के होते हैं, जिनको लेजिस्लेचर के प्रतिनिधि के रूप में छोटा कोई काम सौंपा जाता है, उन्हीं का आम तौर से इन्डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी अपर चेम्बर्स इन्डायरेक्ट इलेक्शन्स से बनाये जाते हैं, कहीं डायरेक्ट इलेक्शन से भी बनाये जाते हैं। लेकिन लोकल बोडीज़ की बात छोड़ दीजिये। लेजिस्लेचर, जहां यूनिकेमरल लेजिस्लेचर, अथवा लेजिस्लेचर जिसको पोपुलर चेम्बर कहा जाता है, लोअर चेम्बर कहा जाता है वहां कहीं इन्डायरेक्ट इलेक्शन होते नहीं हैं। जहां लेजिस्लेचर बोडी में यह ख्याल रखा जाता है कि इन्डायरेक्ट इलेक्शन्स डिस्कार्ड किये जांय, वह तो रिवाइजिंग चेम्बर में होता है, लोअर चेम्बर में इन्डायरेक्ट इलेक्शन्स से काम नहीं लिया, वहां लोकल बोर्ड्स स्वायत्त शासन संस्थायें हैं। जिनका सम्बन्ध छोटी २ बातों के एडमिनिस्ट्रेशन से है, जनता के दैनिक जीवन से है, वहां उनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेंड एडोप्ट क्यों होता है ? हिन्दुस्तान में तो नहीं दिखता। दूसरे देशों में रहा हो लेकिन हिन्दुस्तान में तो नहीं है। जो मेथड है उसको न अपना कर फिर इसमें क्यों आ रहे हैं, यह जो ओरिजिनल एक्ट बनाया गया तब भी मेरी यही राय थी और आज भी मैं इसी राय का हूं। मैं समझता हूं कि फिर भी गवर्नमेन्ट की पोलिसी में अन्तर नहीं आने वाला है और हमारे दल का बहुमत है और संभव है यह इसी रूप में ही पारित हो जाय। सदन में चर्चा हो रही थी। मैं समझता था कि कुछ कहूं या नहीं कहूँ। मेरे कहने से जो कोर्स तय किया हुआ है उसमें अन्तर नहीं पड़ेगा। मैं अपने लिये खड़ा हुआ। मेरी आत्मा में तो संतोष हो जायगा। संतोष इसलिए कि खाली कुर्सियों को अपनी बातें कहीं। लेकिन इस समय नहीं तो भविष्य में भी सदन की रिपोर्ट में यह रहे।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इन्डायरेक्ट इलेक्शन भी है और फिर उसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन नहीं होता है, तो यह तो सर्वथा नई पद्धति है जहां कहीं है इनडायरेक्ट इलेक्शन, चाहे वे लेजिस्लेचर के अपर चेम्बर्स के रहे हों अथवा किसी लेजिस्लेचर के प्रतिनिधि स्वरूप बनाई गई कमेटी के हों, वहां सब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर होते हैं। इन्टरनल होते हैं, सब जगह सम्बन्धित रहते हैं, फिर उस चीज को यहां से उड़ा दिया जाय, यह समझ में आनेवाली बात नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि हम अब तक की जो प्रणालियां रही हैं, डेमोक्रेटिक पद्धति रही है, परम्परा रही है उससे सर्वथा नई चीज निकालने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय (चेयरमेन महोदय), मुझे कोई कारण नहीं मालूम होता कि इस तरह की चीज मंजूर करें जिससे स्पष्टतः कई हानियां होने वाली हैं और जिसके सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता और सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरी राय में इन्डायरेक्ट इलेक्शन होना ही गलत है और इनडायरेक्ट इलेक्शन्स के साथ प्रापोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन को खत्म कर देना और भी खतरनाक है। बाहर के लोगों को फुरसत नहीं है कि इसको ध्यान से देखें, अपने अपने कामों में सब व्यस्त हैं लेकिन कोई ध्यान देंगे इस पर कि राजस्थान विधान सभा में भी इस प्रकारका विधेयक पास हुआ है। मैं सही कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका होती है, हंसी के पात्र होंगे।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

और लोग कहेंगे कि आखिर विधान सभा में कुछ लोग सोचने-विचारने वाले थे या नहीं और सोच-समझ सकते थे, फिर किस उद्देश्य से यह अमेन्डमेन्ट पास किया और किस आधार को लेकर पास किया, यह आशंका है। यह जानते हुए भी कि मेरे कहने का जो कुछ निर्णय होने वाला है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। फिर भी मुझे कहना था इसलिये कहा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ५ के सिलसिले में जो अमेन्डमेन्ट पेश हुआ है और उसके संबंध में जो चर्चाएं हुई हैं उनसे ऐसा जाहिर होता है कि इस सदन में बहुत सी गलतफहमियें हैं। मैं माननीय चेयरमेन, आपके द्वारा इन गलतफहमियों को सब से पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—गलतफहमी आपको है, सदन को नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे भी हो सकती है और आपको भी है।

श्री सभापति—There should be no interference.

श्री अवनिकुमार मुकर्जीः—सदन के सामने गलत बात कही जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ताः—मैने कहा गलतफहमियें है।

श्री भैंरू सिंह:—हमको या आपको ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे को ही समझ लीजिये। जो बात कही गई है वह यह है कि इलेक्शन इन्डाइरेक्टली नहीं होना चाहिये, डाइरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इलेक्शन का तरीका हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट में दिया हुआ है। उसमें यह दर्ज है कि हमारी पंचायतों के पंच इस इलेक्शन में वोट दें और इस संबंध में कहा गया है इसके लिये जो सिंगल ट्रान्सफरएबल वोट का तरीका रखा गया था उसको बदल कर डाइरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम करना चाहिये। इस संबंध में यह भी हवाला दिया गया है कि पंजाब में और अन्य प्रान्तों में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव होते हैं वहां पर यही तरीका रखा गया है। मैं इस समय सदन की जानकारी के लिये कहूंगा कि मथाई कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें इस संबंध में कमीशन ने अपनी राय प्रकट की है और उन्होंने हिन्दुस्तान में जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनको एग्ज़ामिन करके अपनी तहकीक राय प्रकट की है और कहा है कि जहां कहीं भी डाइरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है उसको खत्म करना चाहिये और इन्डाइरेक्ट सिस्टम को इन्ट्रोडयूस करना चाहिये। मैं इस रिपोर्ट के पेज ५६ वोल्यूम ३ में इस संबंध में जो कहा है उसको पढ़ कर सुनाता हूं—

"It is clear that the District Local Boards can no longer continue in their existing form."

आगे लिखा है—

"Whether they should be modified or converted into bodies elected by panchayats themselves when the latter are sufficiently widespread, or whether they should be abolished and replaced by smaller bodies, and in that case, what the constitution of these small bodies should be, are matters to be decided by the State Governments in the light of the different circumstances of the different States."

इससे बिल्कुल स्पष्ट होगा कि उन्होंने क्लीयरली कहा है। दो बातें करनी चाहिये। एक तो यह कि मौजूदा जो बोर्ड्स डाइरेक्ट सिस्टम से इलेक्टेड हैं उनको खत्म करना चाहिये और दूसरा इन्डाइरेक्ट सिस्टम से पंचायतों के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव होना चाहिये या छोटे बोर्ड होने चाहिये? और आगे यह कहा है कि छोटे बोर्ड का तजुर्बा सेटिस्फेक्ट्री नहीं रहा इसलिये इसको एन्करेज नहीं करना चाहिये। इसलिये अर्ज करूंगा कि मथाई कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है उस तजुर्बे को और एग्जामिन करके देखा तो हमने यह सोचा कि हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये जो तरीका रखा है, वह गलत है। इसलिये सदन के सम्मुख यह अमेन्डमेन्ट रखा है। यह दूसरे प्रान्तों के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन्स पर बेस्ड हैं और प्रान्तों में जहां डाइरेक्ट इलेक्शन का तरीका है उसको भी अमेन्ड करके इन्डाइरेक्ट सिस्टम करने की सिफारिश जोन मथाई कमीशन ने की है इसलिये अपने यहां इन्डाइरेक्ट सिस्टम को तरमीम करने की बात नहीं है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

अब सवाल यह रहता है कि दफा १२ में जो हमने प्रपोर्शनल रिप्रज़ेन्टेशन का तरीका रखा है उस संबंध में क्या हो ? आया प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन का तरीका रहे या जैसा सुझाव है और जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है उसको मानलें तो उसका नतीजा क्या होगा ? जब तक दफा ६ मौजूद है कि इलेक्टर्स हमारे पंच हों तो हमारा जो अमेन्डमेन्ट है जिसमें कहा गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन को रद्द कर दें।

Substitite by the words "in accordance with the system of direct election."

यदि मैं इसको मान लूं तो मैं समझता हूं कि जो बात सिलेक्ट कमेटी ने कही है वही इसमें कहा है। इसमें कहा है कि जो सिस्टम एसेम्बली में है उसी तरह इसमें एडोप्ट किया है। यदि दफा ६ अमेन्ड हो जायगी तो इस अमेन्डमेन्ट से यह समझ सकते हैं कि दफा ६ अमेन्ड करनी पड़ेगी और एसेम्बली में इलेक्शन होता है वैसा हो जायगा तो यह बात इस अमेन्डमेन्ट में नहीं है। Unless you amend section 9, it is not possible.

श्री भैरू सिंह—वह भी अमेन्ड कर दीजिये आपके हाथ की ही बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब सवाल पैदा होता है प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन का और जो तरीका सिलेक्ट कमेटी ने बताया है उन दोनों में से कौनसा हो ? इस संबंध में यह निवेदन करूं कि यह बात कही गई और अभी हमारे बहुत सम्माननीय माननीय सदस्य ने कहा कि इन्डाइरेक्ट इलेक्शन होने पर प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन नहीं हो यह बात कहीं नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिये कहूंगा कि हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की और जगहों में जहां पंचायतों के जरिये इस तरह का चुनाव होता है वहां इस तरह के चुनाव में प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन कहीं नहीं होते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—They have made us wiser.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं आपकी दलील का जवाब अभी दूंगा और इस बारे में निवेदन करूंगा। इससे यह कहना कि डाइरेक्ट इलेक्शन होते हैं और इन्डाइरेक्ट प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन के बिना नहीं होते, ठीक नहीं है। मैं समझता हूं, यह कहीं नहीं है। इस सदन में एडोप्ट कर रखा है, फिर भी करना चाहें तो मुझे त्रुटि नहीं मालूम होती है।

अब सवाल रहा प्रपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन को हम क्यों छोड़ना चाहते हैं ? मैंने कल भी निवेदन किया था कि इस अमेन्डमेन्ट में जो बात है कि प्रेस्क्राइब कर दिया जाय और गवर्नमेन्ट को अधिकार दिया जाय कि गवर्नमेन्ट देखे कि वोटिंग का तरीका कौनसा हो, उसके लिये मैं विचार करने को तैयार हूं और कोई तरीका ऐसा हो जिससे हमारी दोनों दिक्कतें हल हो सकें, ऐसा कोई तरीका निकल जाय जिससे माइनोरिटीज़ को भी रिप्रेजेन्टेशन मिल जाय और चुनाव में भी सुविधा पैदा हो जाय तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

कल भी मैंने यही निवेदन किया था और आज भी निवेदन कर रहा हूं। कल सदन में बहुत से सदस्यों ने इस बारे में कहा था। इस पर मैंने दुबारा विचार किया कि गवर्नमेन्ट कहीं ऐसी गलती नहीं कर बैठे जो उसूलन गलती हो जाय। जैसे बहुत से सदस्यों ने कहा, उस पर मैंने बहुत से एमिनेन्ट राइटर्स की किताबें खास तौर से इस सबंध में देखीं और दूसरी जगह जो तरीका है उसको स्टडी किया। मैंने खास तौर से इस संबंध में किताबें देखीं कि माइनोरिटीज़ के रिप्रजेन्टेशन के लिये कहा जाता है, क्या यह बात ठीक है या इस बात को किसी देश ने अपनाया है। मैंने इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिये French & English writers की बहुतसी ऑथोरिटीज को कंसल्ट किया, उनमें से बहुत से पोलिटिक्स में विश्वास रखने वाले एमीनेन्ट राइटर्स हैं जिन्होंने इस सिस्टम को न सिर्फ डिफेक्टिव प्रोसीजर ही बतलाया है बल्कि ओन प्रिन्सिपल कंडेम्न किया है। एक मशहूर किताब मेरे लायक दोस्त अपने साथ लाये थे, that is a book by Garner. उन्होंने इस बात को कोट किया है, At page 657 he says:—

"Many able political writers have condemned this system both on principle and because of the practical difficulties encountered in operation."

इसके साथ ही बहुत से राइटर्स हैं, जो एमीनेन्ट राइटर्स हैं. पोलिटिकल तबके के आदमी हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन में बहुत सी खराबियां हैं और मैं भी सदन में निवेदन करूंगा कि इसके एक्शन में ही मुश्किल नहीं है बल्कि ओन प्रिन्सिपल भी यह गलत है और जो एमिनेन्ट राइटर्स हैं Robertson, Lasky, Finer, Gilchrist, Mazumdar, Jyoti Prasad, हमारे यहां के एमिनेन्ट स्कोलर्स हैं उन सब ने प्रिन्सिपल में गलती बताई है। जैसे—

"That its complexity makes it difficult & practical operation."

This is said by Garner.

और इसके अलावा उसने यह भी कहा है—

"One of the Chief difficulties is its complexity. It is not possible for the voter to indicate preferences and he is not..."

फिर वे काउन्टिंग के बारे में कहते हैं—

"that the process of counting is extremely complicated and it places the voters and the candidates at the mercy of the counting authoritities."

It is correct.

मैं सिर्फ इसमें यह एड करूंगा कि बहुत से वोटर हैं, अनपढ़ हैं, they will be entirely left to the mercy of the Returning Officer.

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

जो कि अपने हाथ से अनपरपजली गलतियां करेंगे। पर जो माननीय सदस्यों ने सदन में जो बातें कही हैं, उन्होंने अपने भाषणों में, जो दलीलें मैंने रखी हैं, उनका कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी मैंने कहा है कि अपन मिल कर, एक जगह बैठ कर एक ऐसा तरीका निकाल लें जिससे माइनोरिटीज को प्रोटेक्शन मिलता हो, उनको रिप्रेजेन्टेशन मिलता हो। फिर भी माननीय सदस्य इस प्रकार की चीज यहां सदन में रखें और गवर्नमेंट को दोष दें तो यह ठीक नहीं।

जहां तक प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के उसूल की बात है, the writers say that it will multiply and strengthen party groups.

और इसी वजह से इंग्लैंड में १९१८ में ही इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया और अमेरिका में थोड़े से हिस्से को छोड़ कर सब जगह सारे अमेरिका में इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया........

श्री वेदपाल त्यागी—The system is rejected in preference to the direct election, but not in preference to the election that you are proposing.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Therefore we should adopt direct system. ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Things are being distorted.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Not distorted.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Definitely.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि सैकेन्ड बैलेट सिस्टम हमें अपना लेना चाहिये। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सैकेन्ड बैलेट सिस्टम में चार पांच केन्डिडेट खड़े होंगे, उनके वोट लिये गये उनमें जिनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, उनके दुबारा चुनाव होंगे। सैकेन्ड बैलेट सिस्टम है उसमें दुबारा चुनाव कराने पड़ते हैं और इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है इसी लिये यह सब जगहों पर रिजेक्ट कर दिया गया है। This has been replaced by a system of proportional reprseentation.

इसलिये यह कहना कि सैकेन्ड बैलेट सिस्टम को अपना लेना चाहिये यह ठीक नहीं होगा क्योंकि यह बहुत कोम्प्लीकेटेड होगा। It will be double expensive.

डाइरेक्ट के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत जोर दिया और यह कहा कि

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

पचायतों के इलेक्शन के अलावा जिस तरह असेम्बली के चुनाव डाइरेक्ट होते हैं। वैसे होने चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि डाइरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है उसमें भी माइनोरिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कहते हैं वह कहां है। आन्ध्र में चुनाव हुए, जो कम्युनिस्ट थे, पिछले इलेक्शन की बनिस्पत उनकी वोटिंग स्ट्रेन्थ ज्यादा बढ़ गई पर फिर भी वे हार गये। तो यह कहना कि डाइरेक्ट इलेक्शन से माइनोरिटीज़ का रिप्रेजेन्टेशन होता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, यह गलत है। अपने सदन के चुनाव हुए हैं, डाइरेक्ट चुनाव सिस्टम से हुए। एक को १०,००० वोट मिले और दूसरे को १०,००१ वोट मिले तो १०,००१ वोट वाला जीत गया और १०,००० वोट वाला एक वोट के फरक रहने से हार गया। इसमें कहां माइनोरिटीज़ का रिप्रेजेन्टेशन होता है? तो यह कहना कि डायरेक्ट इलेक्शन से माइनोरिटीज को प्रोटेक्शन मिलता है, रिप्रेजेन्टेशन मिलता है, यह गलत है।

इसके साथ ही जो यह कहा गया है कि प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये, यह डाइरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं तो वह प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के बिलकुल खिलाफ है। यह जो अमेंडमेंट रखा है प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये और माइनोरिटी को रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये this has been discussed by all the writers and therefore they have recommended the system of proportional representation as against direct election. Under direct election, the minorities are not represented, as in the case in this House.

जैसा कि इस सदन के अन्दर है। तो माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन को उसूलन एडोप्ट किया जाय और यह कहा गया कि इसके बिना माइनोरिटीज का काम नहीं चलेगा। इस हद तक मैं मानता हूँ कि माइनोरिटीज़ को रिप्रेजेन्टेशन देना चाहिये, पर हमारे यहां माइनोरिटी है ही कहां········

श्री वेदपाल त्यागी—हमारे यहां हर जगह है····

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले मुझे सुन लीजिये। मैं अर्ज करूं, जहां मैं खड़ा हुआ वहां रिकोग्नाइज़्ड पार्टी के बेसिस पर चुनाव नहीं हुए। हमारे यहां कांग्रेस है, रामराज्य परिषद् है, जन संघ है, और और भी कई पोलिटिकल बोडीज़ ···· They are all India recognised parties. They are recognised by the Election Commission.

लेकिन इनके रिकोग्नाइज्ड पार्टी बेसिस पर पंचायतों के चुनाव हुए हों ऐसी बात नहीं है।

अगर हम प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का तरीका इस चुनाव में अपनायेंगे तो इससे हमको एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और वह यह होने वाला है कि १९५४ में शिमला में ऑल

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इन्डिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और यह प्रस्ताव पास किया कि हमारे चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं होने चाहिये। किसी पार्टी बेसिस पर, ग्रुप विशेष के बेसिस पर चुनाव कराने पर हमारी पंचायतों को बहुत नुकसान हुआ है। अगर इस प्रेक्टिस को अपनाया गया तो हमारे गांवों का बड़ा अहित होने वाला है। गांवों में जो परस्पर एकता की भावना थी वह खत्म हो चुकी है। आज गांवों में गुट्टबन्दियां, दलबन्दियां हो रही हैं। एक गाव में आपस में दो पार्टियों के झगड़े होते रहते हैं, पंचों में आपस में झगड़े हैं, जो पंच हार गया, वह दूसरे जीते हुए पंच के खिलाफ ग्रुप बना कर रात दिन उसको हराने की कोशिश में लगा रहता है और हरएक ग्रुप अपने अपने ग्रुप के आदमी को लाने की फिक्र में एक दूसरे से लड़ता रहता है और दिन रात पंचायतों में झगड़े चलते रहते हैं और इस सम्बन्ध में जो हमारे पास तार आते हैं, उनका एवरेज एक घण्टे में एक है और इस सम्बन्ध में शिकायतें, चिट्ठियां और रिप्रेजेन्टेशन आते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कह सकता। पार्टी बेसिस पर चुनाव कराने की वजह से गांवों की सुव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। इसलिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से और राजस्थान के प्रत्येक समझदार निवासी से यह निवेदन करूंगा कि चुनाव पार्टी बेसिस पर, ग्रुप बेसिस पर न कराये जांय। अब तो जो चुनाव हो गये सो हो गये, लेकिन आयन्दा मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि हमारे गांवों के चुनाव पार्टी बेसिस पर न होकर यूनेनिमस हों। अगर गांवों में यही सिस्टम एडोप्ट किया तो न तो पंचायतें काम करेंगी और न जो लोग यह समझते हैं कि इससे हमें मदद ही मिलेगी उनको किसी भी प्रकार की मदद मिलेगी और इसका नतीजा यह होगा कि लोकल सेल्फ बोर्डीज़ जिन्हें प्रजातन्त्र, जनतन्त्र की नींव मानते हैं, वह नींव ही ढह जाने वाली है। अब प्रश्न यह रहता है कि आया प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन को मानने से पार्टी बाजी पर क्या असर पड़ने वाला है? मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये बड़े बड़े जानकारों ने बताया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से ग्रुपबाजी और बढ़ेगी। जहां हम ग्रुपबाजी को खत्म करना चाहते हैं और जहां पर हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर जनता के फायदे का काम करें वहां ग्रुप बाजी नहीं होनी चाहिये। जनता के हित का काम तभी हो सकता है जब सब लोग मिल कर काम करें। मगर इससे ग्रुपबाजी ज्यादा बढ़ जावेगी। इससे क्या फायदा होगा? मानलें कि एक के सौ वोट आये, उसकी अलग पार्टी बन जावेगी और आपस में एक दूसरे में काफी मनमुटाव रहेगा और जो उनकी तरफ से खड़े होने वाले पंच हैं उनको दूसरे ग्रुप वाले मौका नहीं देंगे और इस तरह से नये नये लोग पंचायत के लिये आ जावेंगे। इसलिये ग्रुप को कम करने के लिये मैंने यह कहा है, इससे ग्रुप सिस्टम ज्यादा मजबूत हो जावेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सिस्टम साउन्ड सिस्टम नहीं है। हर एक सिस्टम में कुछ न कुछ तो डिफेक्ट होते ही हैं, सब गुण तो होते नहीं। जिसमें डिफेक्ट होते हैं उसमें कोई अवगुण भी हो सकता है। अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि गांवों में पार्टी बाजी नहीं हो तो फिर इसको ही रखना चाहिये। इसलिये मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि इसके बजाय डाइरेक्ट सिस्टम को अपना लिया जावे, मगर इस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। इतना ही कहना है कि जब हम यहां पर प्रेस्क्रा-

Page No 58

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इण्ड करने की बात है तो गवर्नमेंट खुद इस पर विचार करेगी। इस सम्बन्ध में मैंने कल भी कहा था और आज भी यही कहूंगा कि गुप्ताजी को हमें नहीं बढ़ाना है। इसके अलावा उस समय सदन के माननीय सदस्य जो भी इसमें सहयोग देना चाहेंगे मैं उनको मदद स्वीकार करूंगा। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा कहने के बाद माननीय सदस्य जिन्होंने इस एमेन्डमेंट को मूव किया है वापिस लेने की कोशिश करेंगे।

(श्री भैंरूं सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति—क्या आप इसको वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री भैंरूं सिंह—वापिस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ।

श्री सभापति—उत्तर देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो बातें इन्होंने अपने भाषण में कही हैं, उनका ही जवाब दें।

श्री भैंरूं सिंह—माननीय सभापति, माननीय मंत्रीजी ने मेरे संशोधन के उत्तर में जो बातें कही हैं उन बातों के विस्तार में मैं न जाकर संक्षेप रूप में ही कुछ बातें सदन के सामने रख कर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय सभापति, उन्होंने गार्नर की पुस्तक में से एक पेज का और उस पेज में से कुछ बातों का उल्लेख किया। मैं उसी किताब के पेज ६४८ का थोड़ा सा सार सदन में पढ़ कर सुनाऊं; तो जो कुछ गलतफहमी सदन में है उसका हवाला देकर पैदा की गई हैं उसका पता सदन को चलेगा।

"Representation of minority parties early advocates. The question whether the, Constitution should guarantee reprsentation, proportional or otherwise, to the minority political parties in the State, especially the more important ones, has had supporters dating from epoch when in practice the principle of minority representation was unknown."

Garner further says:-

"John Stuart Mill in his classic book on Representative Governments published in 1861 declared that it is an essential part of democracy that minorities should be adequately represented. No real democracy, nothing but a farce of democracy, it is said, is possible without it."

इसी किताब का उदाहरण है जिसको माननीय मंत्री ने दिया और उसमें आगे चल कर बताया गया है कि

[श्री भैरूंसिंह]

"The system of Majority representation is criticized as undemocratic and unjust because it effects permanently, disenfranchises a large number of electors and leaves them without representation, because they are politically in a minority in their constituencies."

अब मेरे समझ में नहीं आया कि एक किताब में से लेकर उस चीज को जो मामूली सा डिसएडवान्टेज रखती है उसका जिक्र किया, हो सकता है कि वे यह कहें कि उस किताब में से जो उनके हित की बात थी पढ़ कर सुना दी। मगर मैं यह कहूंगा कि इस किताब को ए. से ज़ेड. तक, एक से आखिर तक यदि वे पढ़ें और इस पर विचार करें तो मालूम होगा कि माननीय मंत्री जिस किताब की बात कह कर उस पर अपने भाषण को आधारित करते हैं और उस पर वे अपना यह विश्वास दिलाते हैं कि यह किताब इस बात को बताती है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टशन से माइनोरिटी को ज्यादा दिक्कतें आयेंगी और ग्रुप बाजी होगी, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो यह कहूंगा कि माइनोरिटी के रिप्रेजेन्टेटिव आयेंगे और अपनी कोन्स्टीट्यूएन्सी का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

दूसरी बात मथाई कमिशन के बारे में कही गई। मैं, इस मथाई कमिशन ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में जो बात कही है, आपको बताना चाहूंगा। माननीय मंत्री ने उसकी एक लाइन ही पढ़ कर आपको सुना दी और वह लाइन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जिन्दा नहीं रखने की सिफारिश के बारे में है और मैं यह कहूंगा कि उसको तोड़ मरोड़ कर कहा गया है। यदि उस मथाई कमिशन की रिपोर्ट को जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में लिखा गया है, आप पूरा पढ़ते तो आपको मालूम होता कि वास्तव में क्या बात है? मैं आपको बताना चाहता हूं।

"It is clear................"

उनका रेफरेन्स है "It is clear that District Local Boards can no longer continue intheir existing form."

राजस्थान में existing form कौनसा है? पार्टी नोमीनेटेड सदस्यों की है। जिस सूरत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना है ऐसी सूरत में उनकी कोई आवश्यकता नहीं, उन्होंने यह मान लिया है कि डाइरेक्ट इलेक्शन की जो बात होगी :

"whether they should be mobified or converted into......"

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—The Commission's opinion is not based only on the conditions obtaining in Rajasthan, but in all India Distt. Boards.

श्री भैरूंसिंह—(जारी) इस राय पर उन्होंने अपने भाषण का आधार बनाया है, जो यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को समाप्त किया जावे और तहसील पंचायतों को अधिकार दे दें। जो काम आप डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से लेना चाहते हैं वही तहसील पंचायत को सुपुर्द कर दीजिये। अगर आप गलती करें तो यह आपकी मर्जी है। मथाई कमीशन की कभी भी मंशा यह नहीं रही कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहें।

[श्री भैंरूसिंह]

माननीय सभापति, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि हम माइनोरिटी को रिप्रेजेन्टेशन देना चाहते हैं। लेकिन उनके खयाल से कोई रिकोग्नाइज्ड पार्टी नहीं है। मगर मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री शायद भूल गये होंगे कि आपकी पार्टी ने इस बात को लेकर कि किसी खास व्यक्ति को टिकिट दिया जावे, उसके लिये झगड़े चलते रहे और चलते चलते वे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँच गये और तहसील पंचायतों में झगड़े आये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से झगड़े आये। वे सारे के सारे इलेक्शन को लेकर चलते हैं। मैं नहीं समझता कि वे किस कारण का फल है। यदि आपके दिमाग में यह बात हो कि हम किसीको रिकोगनाइज नहीं करते हैं और जिसको रिकोगनाइज करते हैं उनका ही रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये यह एक अलग बात है। अब में आपसे निवेदन करूंगा और आपको विश्वास दिलाउंगा कि अगर आप माइनोरिटी पार्टी का रिप्रेजेन्टेशन चाहते हैं तो उनके रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं उनको दूर करिये। पैसा जो खर्च होता है तो उसको दूर करें लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि माइनोरिटी को प्रोटेक्शन देनेकी जो बात है उसको तो रखिये।

आपने स्वयं ने माना है प्रोटेक्शन मिलना चाहिये, दे नहीं सकते तो मैं समझता हूं कि यह फालतू सी मजबूरी है।

मेरे संशोधन के बारे में जो डाइरेक्ट इलेक्शन के लिए था, कहा गया और माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन में मत देने वाले सब पंचायतों के मेम्बर होंगे। हमारी मजबूरी है जब कि आपकी इच्छा के प्रतिकूल आप से कहलवाया जा रहा है विधान सभा के प्रोवीजन्स बने हुए है हमारी इच्छा के विपरीत भी इस प्रकार के संशोधन ला रहे हैं। वरना क्लॉज ६ में संशोधन ला सकते थे। संशोधन करने का सुझाव रख सकते थे हमारा भी सीमित स्कोप है हम तो केवल क्लॉज १२ में संशोधन लाकर तसल्ली कर सकते हैं चाहे आप हमारी विचार-धारा को प्रोत्साहन दें और डाइरेक्ट इलेक्शन प्रणाली को अपना लें। दूसरा संशोधन क्लॉज ६ में तब्दीली कराने के लिए है लेकिन लिमिटेड स्कोप होने के कारण अपनी भावनाओं के प्रदर्शन करने का साधन हो सकता है वह इस क्लॉज में अमेन्डमेंट लाकर वही चेष्टा कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है कि डाइरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये तो आपकी इच्छा और भावना की कद्र करते हुए हम अभी ला सकते हैं पांच दस मिनिट में इसे रिड्राफ्ट कर देंगे और जितनी भी खामियां है उन खामियों को दूर कर देंगे। उसके बाद आप कोम्बीनेशन अमेन्डमेन्ट बिल प्रस्तुत करिये उसका हम भी स्वागत करेंगे और जनता भी उसका स्वागत करेगी। इतना ही कह कर मैं चाहता हूं कि मैंने तरीका बता दिया, हालांकि तरीका कठिन है क्लॉज ६ संशोधन नहीं लाता है, परिवर्तन नहीं लाता है तो मैं यह कहूंगा कि यह बातें करना फालतू है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अन्त में इस विषय पर ज्यादा न कह कर माननीय चेयरमेन, मैं इतना ही कहूंगा कि जहां इच्छा का प्रश्न है, कठिनाइयों का प्रश्न है, सिद्धांत का प्रश्न है, खर्चे का प्रश्न है, इन सब में हमें मोटे रूप से सिद्धांत के प्रश्न को आगे रखकर चलना चाहिये। चाहे सिद्धांत के प्रतिपादन में कितनी ही कठिनाइयां हों उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये तैयार होना चाहिये।

[श्री भैरूंसिंह]

मैं खास तौर से विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विरोधी दल की जो मनोवृत्ति है उसकी परीक्षा का प्रश्न है, उनके लिए जो वैधानिक हथियार हैं इसमें सहयोग न देने का, उसे हम प्रयोग में लावे तो कोई अनुचित नहीं होगा। सरकार अपने बहुमत का दुरूपयोग कर रही है, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप ऐसा न करें; फिर भी वे कर रहे हैं तो हमारे लिए केवल एक ही रास्ता रह जाता है कि हम इसमें शामिल न हों, यही हमारे लिए अच्छा होगा। इतना ही निवेदन कर मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि माइनोरिटीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए अपने साथियों पर जोर डालें और सही माने में जनता के प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करें और इस प्रकार का संशोधन लाकर माइनोरिटीज़ पार्टी के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिये अवसर प्रदान करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार करेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बहस हुई है उससे स्पष्ट हो गया और जैसा कि श्री पालीवालजी ने बताया इससे कोई चीज होने वाली नहीं। मैं यह ठीक तरह से जानता हूं कि आपके पास बहुमत है और जो संशोधन इधर से रखे गये हैं, वे गिरेंगे और जैसा सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई है वह स्वीकार होगी। उसको स्वीकार करने में विरोधी दल सहयोग नहीं देना चाहता, इसलिए एज़ ए प्रोटेस्ट विरोधी दल वाक आउट करना चाहता है। आशा है मैंने जो इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं वे माननीय मंत्री महोदय के विचार बदलने के लिए पर्याप्त होंगे।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—जब तक आपका अमेन्डमेन्ट मूव नहीं होता तब तक तो रहिये।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन अमेन्डिंग बिल के क्लॉज ५ में श्री भैंरूं सिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अमेन्डिंग बिल का क्लॉज ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Page No 62

[श्री सभापति]

क्लॉज ६

श्री भैंरूसिंह (१६)—माननीय चेयरमेन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस क्लॉज को डिलीट कर दिया जाय।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ संशोधन विधेयक की रखी गयी है, मूल एक्ट की धारा २६, उस धारा को उपधारा (१) के रूप में पुनः संख्यांकित की जायगी और इस प्रकार पुनः संख्यांकित सब क्लॉज के पश्चात् निम्नलिखित नवीन सब धारा निविष्ट की जायगी तथा सदैव निविष्ट की हुई समझी जायगी; वह इस प्रकार है :—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), every District Board established under any Act or law repealed by sub section (1), and deemed to have been established under this Act by sub-section (2), of section 2 shall continue to perform the functions and discharge the duties of a Board under this Act, even though in accordance with the Act or law under which it was established or in accordance with the provisions of sub-section (1), its term of office may have expired, or is hereafter likely to expire, before the establishment of a new Board in accordance with the provisions of this Act under the proviso to sub-section (2) of section 2, and the provison contained in section 3 of the Bhim district Board Validation Act, 1955 (Rajasthan Act 24 of 1955), shall be deemed to be amended accordingly so as to authorise the District Board of Bhim to perform the functions and discharge the duties of a Board till the establishment of a new Board under section 5 for the district in which the Bhim area is situated."

माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज में संशोधन जो मैंने रखा है कि इस क्लॉज को विलोपित कर दिया जाय, यह जो मैंने संशोधन रखा है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर रखा है। जहां राजस्थान में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये अवधि पहली क्लॉज पास करके दो साल तक की अवधि बढ़ाने की सुविधा दे दी। लेकिन अब इस क्लॉज में खुले अधिकार दे रहे हैं, जिसकी कोई अवधि नहीं, जो चाहे जिस तरह से इसका उपयोग करे। जिसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं कि कितने समय में इलेक्शन होंगे; कितने समय में नहीं होंगे, खुली छूट दे दी। जिस वक्त तक नये एक्ट की मातहत चुनाव नहीं होंगे वे ही बोर्ड बने रहेंगे।

अब तक तो हम समय की बातें कह रहे थे, जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक। जहां छः महिने के लिये लोगों को एतराज था, एक साल के लिये एतराज किया जब डेढ़ साल की बात आई तब भी एतराज किया, दो साल की बात आई तब भी एतराज किया लेकिन इस क्लॉज में इन सबसे

[श्री भैंरूसिंह]

आगे ले जाकर कि जब तक नये एक्ट के मुताबिक चुनाव नहीं होंगे वे ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसी प्रकार बने रहेंगे। किस किस जगह जाकर रोकें, किस जगह जाकर खण्डन करें इस प्रकार की खुली छूट का खुला अधिकार हम इस क्लॉज में दे रहे हैं और उस पर विधान सभा की मोहर लगवा रहे हैं। यह मुझे पूर्णतया पता है कि बद किस्मती से जो मेरे अमेंडमेंट का पहले हाल हुआ उसी प्रकार का हाल इस अमेंडमेंट का भी होगा। इस विषय में भी सदन का ध्यान उन्हीं बातों की ओर ले जाना मैं उचित नहीं समझता लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस प्रकार की जो खुली छूट हम दे रहे हैं यह अच्छा नहीं है। आप उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जिन्दा रखने के लिये जिनके कारनामें आपके सामने स्पष्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डर्स को किसी भी प्रकार चालू रखना जनता के लिए सुविधाजनक नहीं होगी। उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के संचालन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति का प्रश्न आये तो मैंने उसके लिए माननीय अध्यक्ष के पास संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका निर्णय क्या हुआ, मुझे कोई सूचना नहीं आई। वह संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है धारा १७३ में जिसमें सरकार को सुपरसीड करने के लिये अधिकार दिये हैं।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज १७३ तो इस अमेन्डिंग बिल में नहीं है।

श्री भैंरूसिंह (जारी रखते हुए)—इसीलिये तो इसका जिक्र कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। मामूली सा संशोधन है जो मैंने प्रस्तुत किया है जिसमें सरकार को सुपरसीड करने के अधिकार दिये हैं। अगर वे अधिकार सरकार को मिल जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। माननीय मंत्री महोदय अगर क्लॉज १७३ के संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, जो संशोधन मैंने उन्हीं की प्रेरणा से प्रस्तुत किया, उनके भाषण ने जो प्रेरणा दी उसी को मूर्त स्वरूप में संशोधन के रूप में मैंने प्रस्तुत किया: जैसा कि खुद ने, उन्होंने कहा ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तो डिज़ोल्व किये जाने चाहिये, ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को डिज़ोल्व किया जाना चाहिये जो अन डेमोक्रेटिक हैं। तो उनसे प्रेरणायें लेकर मैंने यह संशोधन पेश किया था, तो वह मेरा संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाती है तो उनके हाथ मजबूत होंगे एडमिनिस्ट्रेटर को अपोइन्ट करने में। इसलिए दुबारा अपील करूंगा कि आप इस प्रकार की खुली छूट मत लें बल्कि सुपरसीड करके उन पर एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट कर दें। इस पर फिर विशेष नहीं कहना चाहता, आपके पास बहुमत है। आप जैसा जी में आवे करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रख अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्षजी, यह जो क्लाज ६ है उसमें कोई नई बात नहीं है। दफा दो के मुताबिक जब तक चुनाव नहीं हो जावें तब तक के लिये हमने इन पुराने बोर्डों के एग्जिस्टेन्स को मान लिया है और उसको सिर्फ वेलिडेट करने के लिये यह दफा है, यह सिर्फ दफा २ की कोरोलरी है और जो बात मैंने कही थी कि २६ जुलाई के बाद ये बोर्ड नहीं रहेंगे उस पर इस

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

क्लाज ६ का असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह जो मैंने विश्वास दिलाया है उससे इन्हें आगे चलाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा और इसलिये निवेदन करूंगा कि वे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरूंसिंह से) आपको कुछ कहना है ?

श्री भैरूंसिंह—क्या कहूँ, कुछ नहीं कहना है। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—सुनते तो हैं।

श्री भैरूंसिंह—सुनते तो हैं। मैं इसमें आगेके शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। नहीं तो कल की तरह की बात होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस संशोधन के पक्ष में मत लिये जावें। क्या सदन की यह राय है कि इसे स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ७

(विराम)

श्री हिम्मतसिंह। (अनुपस्थित)

(श्री भैरूंसिंह से) आप कहिये।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ७ का विलोप किया जावे। इस प्रकार का प्रस्ताव मैं सदन में प्रस्तुत करता हूं। क्लॉज ७ में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि:

[श्री भैरूं सिंह]

"(3) Any sum of money due as cess under section 113 or under the provision of any Act or law repealed by section 2 imposing a cess of a similar nature, which has been in arrear shall be recoverable by the Board as if it were an arrear of land revenue."

मैंने यह संशोधन जो प्रस्तुत किया है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू होने से पहले जयपुर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट जयपुर के हिस्से में लागू था, जिसमें आज यहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, उन्होंने टैक्स किस तरह से लगाये, किन पर लगाये, यह बहुत लम्बी कहानी है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने,जो एक्ट था उसके द्वारा व्यवस्था की थी कि जहां तक काश्तकार का प्रश्न है वह यदि लगान किस्म में देता है तो उनको एक-दो पैसा रुपया का टैक्स देना पड़ेगा, यदि कैश में लगान देता है तो उनको एक आना रुपया का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यदि कोई काश्तकार जागीर एरिया में है तो उतना ही टैक्स जागीरदार को भी देना पड़ेगा और उतना ही काश्तकार को देना पड़ेगा। जहां तक काश्तकार का प्रश्न था और खालसा एरिया में था उसमें काश्तकार से टैक्स सीधा गवर्नमेन्ट ने वसूल किया पर जो जागीर एरिया था उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस की वसूली तहसीलदार डाइरेक्ट नहीं करता था लेकिन उस एरिया के जागीरदार को काश्तकार से वसूल करके काश्तकार का हिस्सा और अपना हिस्सा दोनों सरकार को जमा कराना होता था।

जिस समय यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू हुआ तो इसका विरोध किया गया कि जागीरदार किसान से वसूल करके कोई सैस सरकार को नहीं दे सकता क्योंकि आज किसान ने जागीरदार को लगान देना बन्द कर दिया है। यही नहीं बल्कि पहले का दस दस वर्षों का लगान उनका बाकी पड़ा है तो ऐसी स्थिति में वे सैस कैसे वसूल करके दे सकते हैं। वह वसूली ज्यों की त्यों वर्षों की पड़ी है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने सन् १९४८ में सबसे पहले टैक्स लगाया। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इस बात की व्यवस्था है कि अगर टैक्स लगाना है तो पहले इस आशय का एक प्रस्ताव बोर्ड के सामने पेश किया जाय, उस पर जनमत की जानकारी ली जाय और इसके बाद उस प्रस्ताव को दुबारा बोर्ड में पेश करो और फिर पास करके सरकार के पास भेजो और सरकार तब उस प्रस्ताव को स्वीकार करे। पर हमारी राजस्थान की सरकार ने जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इस प्रकार की व्यवस्था होने के बावजूद कोई प्रस्ताव पास नहीं होने दिया जनमत नहीं जानने दिया। केवल सेक्रेटरियट से एक ऑर्डर भेज दिया कि जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत कार्य कर रहे हैं उनसे एक आना रुपया काश्तकारों से और जागीरदारों से वसूल किया जावेगा। इन क्लॉजों के प्रतिकूल हमारी सरकार ने इस प्रकार का टैक्स इम्पोज किया और वह अभी तक लग रहा है। जब ऐसा किया गया तो इस प्रणाली को हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया गया। लोगों ने कहा कि यह टेक्स लगाने का तरीका गलत है, पर बदकिस्मती हमारी यह है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में एक संशोधन लाया गया और उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया। जनमत को मालूम नहीं किया गया और उसकी पूर्ण अवहेलना की गई इस तरह की गलत कार्यवाही करके और उस गलत कार्यवाही पर बहुमत के जोर से मोहर लगवाई गई इस सदन में।

[सिंह]

आज उस मोहर से भी सरकार को तसल्ली नहीं हुई बल्कि तसल्ली चाहते हैं कि उस गलत प्रणाली के आधार पर लगाया गया टैक्स किस प्रकार वसूल किया जाय ? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की वसूली की क्लॉज ११३ में व्यवस्था की है कि उसे तहसीलदार वसूल करे। पर बदकिस्मती यह है कि उस क्लाज की व्यवस्था से भी उनको सन्तोष नहीं है, उनकी हविश और आगे बढ़ी। अब उसको लेण्ड रेवेन्यू के एरीयर के तौर पर वसूल करना चाहती है सरकार और इस एरियर में और लैण्ड रेवेन्यू के एरीयर में बहुत फर्क है। एक आदमी काश्त करता है तो काश्त का भाड़ा देना पड़ता है। जिस जमीन में वह काश्त करता है उस काश्त के लिए उसको लगान देना पड़ता है। उस खेती का लगान देना पड़ता है, और वह लगान यदि बाकी रहता है तो जो लेन्ड रेवेन्यु के एरियर को वसूल करने की व्यवस्था की गई है उस प्रकार से हम वसूल करें और भी कई सरकारी ड्यूज हैं जो कि वाजिब हैं। अगर वाजिब ड्यूज को वसूल करने में इस प्रकार की व्यवस्था अपनायें कि जिस व्यवस्था के आधार पर लेन्ड रेवेन्यू के तौर पर उन्हें वसूल किया जा सके तो कोई चीज है। लेकिन जिस चीज का कोई वजूद नहीं है और गलत वजूद पर बना हुआ जो टैक्स है उसके एरियर्स को हम लेन्ड रेवेन्यू के तौर पर वसूल करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मंत्री जी जिस केओस की बात कर रहे थे इस प्रपोर्शनल रप्रेजेन्टेशन के करने में वह केयोस इस कारण से अवश्य पैदा होगा और मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की जो गड़बड़ी है, इस प्रकार का असंतोष जनता में नहीं फैले इसके लिए मंत्री जी पहले से ही सतर्क हो जायं। कोई जागीरदार किसी काश्तकार से टैक्स वसूल नहीं करेगा, कोई काश्तकार किसी जागीरदार को टैक्स नहीं देगा और आपके यहां अदालतों की डिक्री उन पर जायगी क्योंकि तहसील में जितनी डिमान्ड स्लिप्स तैयार हो रही हैं वे सारी की सारी जागीरदारों के नाम हुई हैं। उन जागीरदारों से लगान मांगेंगे उन जागीरदारों से सेस मांगेंगे और यदि वह जागीरदार ऐसी हालत में नहीं है तो कहेगा कि काश्तकार ने नहीं दिया है और जागीरदार और काश्तकार का संबंध आज इस प्रकार का है कि काश्तकार एक साथ कहेंगे, कि जागीरदार को लगान दे दिया। जागीरदार का हमारी तरफ से कोई लगान बाकी नहीं है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेस का एक पैसा भी बाकी नहीं है हमने दे दिया है, और जो कुछ करना है वह जागीरदार के खिलाफ करो। तो जागीरदार के जो बचे खुचे साधन हैं उन साधनों के ऊपर कुर्की लाइये, जप्ती कराइये, उनके बैल बेचो, उनके मकान नीलाम करो, उनके झोंपड़ो को कुर्क करो, पर पैसा वसूल करो। आपकी यह साफ चीज है कि आप जागीरदारों पर पहले से ही छुरी चला रहे है। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि किसी तरह से उनके आर्थिक संगठन को तोड़ दें ताकि वे सरकार के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जायं। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें खूब परेशान करें ताकि उस परेशानी से तंग आकर वे आपके खिलाफ रिवोल्टि करेंगे, आपकी सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे और मजबूर करेंगे जनता को कि इस प्रकार की गंदी सरकार को उलट दें। हम देख रहे हैं कि आप गरीब जागीरदारों से इस लेन्ड रेवेन्यू के तौर पर इस प्रकार से टैक्स वसूल करेंगे। हम नहीं दे सकते है। हमारे पास एक पैसा नही हैं। न काश्तकार देता है और न खुद ही हमारे पास पैसा है। आप लेन्ड रेवेन्यू के तौर पर उनसे वसूल करना चाहते हैं। आप जरा उनसे पूछिये जाकर वह बतायेगें। आपने

[श्री भैंरू सिंह]

अभी जुलूस में देखा होगा कि उनके फटे हुए कपड़े थे, वे भूखे पेट थे, उनके तन पर पूरे कपड़े नहीं थे उनके पेट में रोटी नहीं थी। वह आपने जुलूस के अन्दर देखा होगा। उनकी हालत को देखकर मामूली से आदमी को तरस आये बिना नहीं रह सकता है। उनसे आप किस प्रकार से टैक्स वसूल करेंगे? जिस आधार की आप व्यवस्था कर रहे हैं, लेन्ड रेवेन्यु के तौर पर आप व्यवस्था कर रहे हैं तो यह व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नहीं होगी, लोगों को आसानी पहुँचाने वाली नहीं होगी। मेरे कहने का कुछ असर हो, विधान सभा के सदस्यों के कहने का असर हो, आप पर कुछ असर हो, लेकिन गलत तरीके के आधार पर जो सम्मति लोगों ने दी है उसके कारण सही बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं केवल इतना सा कह देता हूँ कि इसका नतीजा उस गरीब राजपूत पर होगा, उस गरीब काश्तकार पर होगा कि जो आज तीन साल से आपके अभिशाप के कारण बहुत पीड़ित है। जिनके पास में एक पैसा नहीं है उनसे लेन्ड रेवेन्यू के तौर पर इसको निर्धारित करके उनके बैल, जमीन, मकान वगैरह कुर्क करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वह बिलकुल अनुचित है। वह अनुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो वह चीज अच्छी होगी। फिर भी यदि माननीय मंत्रीजी अपने बहुमत का दुरुपयोग करना चाहते हैं तो करें लेकिन सदन इस बात के लिए सतर्कता बनाये रखे। और यदि इस प्रकार का कानून उन्होंने बनाया तो दुनियां जो देख रही है वह हम लोगों का हंसी-मजाक बनायेगी।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष जो अमेंडमेंट दांतारामगढ़ से आये हुये माननीय सदस्य ने रखा है उसके समर्थन में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अन्दर जो यह व्यवस्था की गई है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस····

श्री अध्यक्ष—We will have to sit beyond the scheduled time.

श्री मानसिंह महार—मैं तो दो-तीन मिनिट में ही खत्म कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष—नहीं, वैसे ही कहता हूं।

श्री मानसिंह महार—थर्ड रीडिंग में भी तो बोलना है क्योंकि इस बिल को तो हर स्टेज पर अपोज़ करना है।

माननीय अध्यक्ष, इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर पहली बात तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स केवल फोरमर जयपुर स्टेट में हैं, और जगह हैं भी तो उनमें टेक्स वगैरह इतना कम हैं कि नहीं के बराबर है और गंगानगर में है लेकिन फिर भी वहां पर टेक्स की इन्कम को आप देखेंगे तो नहीं के बराबर हैं। यह

[श्री मानसिंह महार]

केवल फोरमर जयपुर स्टेट में ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इतनी बड़ी तादाद में है और वहां पर टेक्स इतनी बड़ी तादाद में वसूल होता है और हुआ है कि जिसकी कोई हद नही। इसके लिए यदि सरकार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर यह चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस को जो बाकी रह गया है उसको एज एरियर्स ऑफ लेन्ड रेवेन्यू वसूल किया जाय।

सबसे पहली बात, अध्यक्ष महोदय, इसमें यह देखने की है कि जो सेस आज तक हम लोगों ने दिया है उसका दुरुपयोग हुआ है या सदुपयोग। सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस के रूप में या सहायता के रूप में जो भी पैसा हम लोगों ने दिया है उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इस बात को मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती। वह अब यह कहें कि इसमें कोई बात नहीं है तो उन्होंने खुद ने मन्जूर किया है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नोटिस तक दे दिया है कि तुमने पैसे का दुरुपयोग किया है इसलिए क्यों नही बोर्ड को डिजोल्व किया जाय? तो यह मेरी जो बात है उसका उन्होंने मैं समझता हूँ समर्थन ही किया है यह बात कहकर। ऐसी सूरत के अन्दर अब सरकार यह अमेंडमेंट लाये कि जिन लोगों के अन्दर आज तक का बकाया पड़ा हुआ है उस बकाया को उन लोगों के मकान, जमीन, जायदाद बैल वगैरह कुर्क करके वसूल किया जाय तो इसको मैं अन्याय संगत मानता हूँ। सरकार को यह चाहिये कि जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अख्त्यार है वह उन लोगों पर सिविल सूट फाइल कर सकता है, वही रहने दे। सिविल सूट फाइल करके पैसे को वसूल कर सकते हैं। वह छूट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को रहनी चाहिये। यह नया प्रोवीजन लगाकर एक सेमी गवर्नमेंट बोर्ड को जिसने कि गवर्नमेंट के हर प्रकार के आदेशों का उल्लंघन किया है, गवर्नमेंट को हर प्रकार से धोखा दिया है; जिन सेमी गवर्नमेंट बोडीज ने गवर्नमेन्ट की सहायता का दुरुपयोग किया है उन बोडीज को हर प्रकार की सहायता देना और उस पैसे की वसूली के लिए इस प्रकार का कदम उठाना, वह एज एरियर्स आफ लेन्ड रेवेन्यू वसूल किये जायेंगे, कोई शोभनीय बात नहीं है। अगर आपको इस प्रकार का प्रोवीजन करना है तो पहले जनता को बतायें कि आपने उनसे जो पैसा वसूल किया है उसको सही ढंग से लगाया है। उस पैसे को आपने इधर उधर रिश्वतों में धर दिया है और अब चाहते हैं कि जो बाकी रह गया उन लोगों से भी पैसे को लेकर हड़प कर लिया जाय, यह कोई न्याय संगत बात नहीं है। आप पहले के पैसों का जो लाखों रूपया आया है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उनका हिसाब दें। हम लोगों को लेखा-जोखा दे दिया जाय। आप यह साबित कीजिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने उस पैसे का सदुपयोग किया है। जबतक आप इस बात को साबित नही करते हैं आप हकदार नहीं होते हैं कि आप हम लोगों से वह पैसा एज एरियर्स ऑफ लेन्ड रेवेन्यू वसूल करें। आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो इस बात के प्रत्यक्ष नमूने हैं कि दुनियां के अन्दर पक्षपात और धोखेबाजी किस प्रकार से बढ़ावा पाते हैं? यह बात आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मौजूद हैं। इसके गलत उदाहरण मौजूद हैं। यह बात आप तक मौजूद है। आपकी ऑडिट रिपोर्ट में, सरकार ने जो ऑडिट कराया है उसमें लाखों रूपये की इधर उधर होने की बात मौजूद है। सरकार

[श्री मानसिंह महार]

कुछ करने को तैयार नहीं हैं, उन रिपोर्ट्स पर। यह कहा जाता है कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, पर दरअसल यह देखा जाय तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको मैंने इसी सदन का एक केस रेफर किया था। मंत्री जी ने और बातों का जबाब दिया लेकिन उस बात पर मौन रहे। कोई जबाब मंत्री जी की जबान से नहीं आया। हमारी गाढ़ी कमाई के १५००) रू० इधर उधर कर दिये जांय और उस बात पर आप मौन रहते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस के एरियर्स एज एरियर्स ऑफ लेन्ड रेवेन्यू वसूल किये जांय तो यह भी रखें कि जिन लोगों ने नाजायज तरीके से पैसा ले लिया है और वे लोग पैसे को हजम करना चाहते हैं तो उन लोगों से वह पैसा एज एरियर्स आफ लेन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जाय। और ऐसी बात आप नहीं करते हैं और केवल गरीबों का आप शोषण ही चाहते हैं, आपको तो पैसा आना चाहिए। यह नहीं चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने पांच लाख का बजट बनाया है, पांच लाख रुपया तो जरूर आना चाहिए, वह खर्चा किस प्रकार किया जाता है, किस तरह से उन रुपयों को बर्बाद किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पचास प्रतिशत का ही सदुपयोग हुआ होगा। अगर मंत्रीजी हिम्मत रखते, जो ऑडिट रिपोर्ट्स आयी हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्डर्स का ऑडिट नहीं हुआ है उनका ऑडिट कराते, विरोधी पक्ष के तीन-चार आदमियों को साथ में रखिये, और उन ऑडिट ऑब्जेक्शन्स की जांच कराइये। अगर आप जांच करायें तो जो कुछ हमने यहां बातें कहीं हैं वे अक्षरशः सत्य हैं लेकिन अगर आप अपने घर में कुलड़ी में गुड़ फोड़ कर इन रिपोर्ट्स को गोल माल कर देंगे, आप कर सकते हैं, आपके हाथ में सरकार की मशीनरी है, जो गोल-माल हुआ है उनको इधर उधर की तारीखें देकर कर सकते हैं। यह जो क्लॉज़ आप एड कर रहे हैं उसको कभी मत कीजिये, यह जनता के खिलाफ जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की पहले हालत को सुधारिये, और अगर इसको फिर लावेंगे तो वह विचारणीय होगा।

(घंटी)

जनता यह सोच रही है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को चन्दा न दे, जो पैसे को लेकर मकानात बनाता है, और निजी चुनावों में खर्च करते हैं। और जनता जनार्दन के लाभ के लिए कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार के ज्वलन्त उदाहरण मौजूद हैं, दिये जा चुके हैं। मंत्रीजी सुन चुके हैं, उनको और उन पर मंत्रीजी मौन रहते हैं और चाहते हैं कि जनता पर कुर्कियां करके उनसे वह पैसा वसूल किया जाय। जनता देने वाली नहीं है। आप बाद में पछतायेंगे, आप यह कहेंगे कि यह मोर्चा कायम हो रहा है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मत कीजिये। मैं इसका विरोध खास तौर पर कर रहा हूँ। मेरी कांस्टिटुएन्सी, जमुआ रामगढ़ के लोगों ने इसका विरोध किया।

श्री अध्यक्ष—जनरल बातों पर कहिये, जमुआ रामगढ़ कहां आ जाता है ?

श्री **मानसिंह महार**—मैं माननीय अध्यक्ष, तहसील पंचायतों को सेस देने के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था और यह उल्लेख कर रहा था कि जमुआ रामगढ ने भी यह सेस नहीं दिया है, इस बात पर विरोध किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बेइमानियां हैं, उनकी जांच न हो और सही ढंग से हमारे पैसे को काम में न लाया जाय, हम टैक्स नहीं दे सकते हैं। ऐसी सूरत में मैं सरकार से आशा करूंगा कि वह इस क्लॉज़ को पास नहीं करायगी और हमारी न्यायोचित बात जो है उसको मंजूर करेगी।

श्री **अध्यक्ष**—एक राय तो मान लीजिये।

(हंसी)

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वायत्त शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट बहुत सिम्पल है और मैं समझता हूँ कि उसमें जो ओरिजिनल क्लॉज़ है उसके मुताबिक कोई गलती नहीं की गई है। यह जो क्लॉज है उसमें सिर्फ इतना प्रोवाइड किया गया है कि टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में किसी वजह से एरीयर्स रह गये हों और अगर वसूली नहीं हो पायी है तो उन एरीयर्स को वसूल करने के लिए कानून के अन्दर प्रोवाइड कर दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट है उसमें दो क्लॉजेज थे; एक दफा ३४ और दूसरी दफा ३६। ३४ के मुताबिक यह है कि गवर्नमेन्ट लैंड की ग्रान्ट से इतना पैसा सैस के रूप में वसूल करेगी, जो टिनेन्ट्स से करते है। जितना सेस वसूल हुआ है, जिन जागीरदारों ने टिनेन्ट्स से वसूल किया है, दफा ३६ में यह प्रोवाइड है कि अगर सेस की बकाया रह गई है तो उसको लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूल किया जायगा। उसी को यहां प्रोवाइड किया है। उसके मुताबिक किसी कारण से जिन लोगों ने सेस नहीं दिया है उसको पी. डी. आर. के अन्तर्गत कलेक्टर वसूल कर सकता है। इस एक्ट में वह है। जो टिनेन्ट्स से वसूल कर सकते हैं वही सेस है। किसी कारण से नहीं दिया है, ग्रान्ट आदि कर चुके हैं, किसी कारण से अदा नहीं किया है इसलिए इसमें इसकी वसूली के लिए प्रोविजन किया गया है पी. डी. आर के अन्तर्गत। यह कोई अन्यायपूर्ण बात नहीं है। यह कानून में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, कोई नया कानून बनाने की बात नहीं है। क्यों रह गई बकाया. इसके लिए निवेदन करूंगा कि बहुतसों ने रिटर्न्स नहीं दीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्डर्स की गलती का फायदा उठा कर वसूल नहीं करना अन्यायपूर्ण होगा और हाईकोर्ट से स्टेऑर्डर्स लेकर रोका गया, उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वसूल नहीं कर सकता था इसलिए इसमें प्रोविजन किया गया है।

जहां तक इस बात का सवाल है कि रुपयों का दुरुपयोग होता है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पास जितनी भी शिकायतें आयी हैं, उनकी जांच करायी है। जो सीकर के लिए माननीय मित्र ने कहा, तो वहां के चेयरमेन को बुलाकर मैंने पूछा कि १५००) का क्या हुआ, बातचीत हुई चेयरमेन कन्वीन्स हो गये फिर भी एक्जीक्युटिव इन्जीनियर को भेजा। उसने स्वयम् जाकर जो बातें थीं उसकी रिपोर्ट भेज दी। दुरुपयोग की बातें कहीं गई। उसके लिए मैं निवेदन करूं कि जहां कहीं कोई बात होगी मैं उसकी इन्क्वायरी कराऊंगा और कानून के अन्तर्गत जो बात होगी वह कराऊंगा। मेरे इस आश्वासन के बाद माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव रखा है वे उसको वापिस ले लें।

Page No 71

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे कोई संतोष नहीं हुआ, केवल यह कह कर और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ पर जो संशोधन श्री भैंरू सिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ८ व ९.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ और ९ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ८ और ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १ व शीर्षक

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ और शीर्षक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

अंग १ व शीर्षक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, रूल १४६ के माफिक यह जो संशोधन विधेयक सदन में आज विचार्थ लाया गया है उसको आज ही पास करवाने के लिए जो माननीय मंत्रीजी ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको आज नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसमें जहां तक अमेन्डमेन्ट का प्रश्न है कोई अमेंडमेंट स्वीकार नहीं हुआ या कोई अमेन्डमेन्ट सदन द्वारा पारित नहीं हुआ; वह जहां तक प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अमेंडमेन्ट प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार नहीं हुआ है किन्तु अमेंडमेन्ट की कुछ बातें स्वीकार की है, कठिनाइयों के कारण की हैं या और किसी कारण से स्वीकार की हैं....

श्री अध्यक्ष—मूल पर कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री भैरू सिंह—क्लॉज १४६ के अनुसार जो प्रस्ताव आज आया है इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था माननीय अध्यक्ष,........

श्री अध्यक्ष—There is no much force in it.

श्री भैरू सिंह—जो प्रस्ताव आया है वह बिल्कुल गलत है। इस संशोधन विधेयक द्वारा जो जनतंत्र में अधिकार थे उन पर कुठाराघात हुआ है। माइनोरिटीज् पर जबरदस्त ज्यादतियां हुई हैं। गलत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सेवायें सरकार मंजूर करती है. ये अनडेमोक्रेटिक हैं, जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जनता की शिकायतें हैं. उनके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, नोटिस दिया है डिजोल्व करने का और फिर भी इनको डिजोल्व नहीं कर रहे हैं, सरकार के लिए बर्दाश्त की चीज नहीं और हमारे लिये भी यदि हम इसको स्वीकार करें तो यह शोभा की चीज नहीं होगी। प्रपोशनल रिप्रजेन्टेशन की बात को खत्म करके जो अनडेमोक्रेटिक स्टेप आज बहुमत पर बनी सरकार ने उठाया है वह बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स द्वारा सेस वसूल करने का तय किया है या गरीब जागीरदारों के गले पर छुरी चलाकर पैसा वसूल करने का काम किया है तो भी बर्दाश्त हो जाता लेकिन प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन को खत्म करना बर्दाश्त नहीं हो सकता। इन तीनों चीजों के बारे में मैं नहीं चाहता कि हमारी मौजूदगी में पास हो। यह अनडेमोक्रेटिक और जनता की भावनाओं को कुचलने वाला है, इसलिए मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको पास कराने में भाग नहीं लें और इसका कलंक अपने ऊपर नहीं लें। यह कलंक बहुमत वालों पर ही रहे। इतना कह कर मैं यह कहूंगा कि इसके प्रोटेस्ट में हम वाक आउट करके चले जायेंगे तो यह सरकार को बुरा दिखलाने वाला होगा।

Page No 73

श्री भैंरु सिंह]

सलिये मैं वाक आउट करता हूं और बाकी सदस्यों से भी कहता हूं कि वे भी वाक आउट रके चले जांय तो अच्छा होगा।

(श्री भैंरु सिंह एवं विरोधीदल के अन्य सदस्यों द्वारा वाक आउट)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस बिल को पास किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक १६, ४, ५६ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२ बजकर २२ मिनिट पर, सोमवार, दिनांक १६, ५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १४ अप्रेल, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

शुद्धि-पत्र

दिनांक १४ अप्रेल, ५६

कृपया पृष्ठ २७४७ पर 'श्री अध्यक्ष–There is no question hour today' नीचे शीर्षक के रुप में 'सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति' पढ़ें ।